राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का नवां दिवस [संख्या ६

मंगलवार, १२ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह पूर्व ११. ५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्रीमती सतवन्तकौर।

इस वर्ष प्राइमरी व मिडिल स्कूलें खुलने की तारीख तथा पांचवी कक्षा तक पुस्तकें

१५०. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्राइमरी व मिडिल स्कूलें इस वर्ष कब से खुले हुए हैं तथा इनमें कक्षा ५ तक कौनसी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त कक्षाओं के लिये निर्धारित पुस्तकें आज तक छप कर नहीं आई हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी राष्ट्रीयकरण की नीति में परिवर्तन करेगी और कब तक ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) प्राइमरी व मिडिल स्कूलें राजस्थान में जुलाई में खुलीं तथा कक्षा ५ तक निम्नलिखित पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं।

कक्षा १	हिन्दी पुस्तक १.
कक्षा २	हिन्दी पुस्तक २,
कक्षा ३	हिन्दी पुस्तक ३, अंक गणित पुस्तक १, सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान.
कक्षा ४	नवीन पाठमाला, अंकगणित, सामन्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान
कक्षा ५	नवीन पाठमाला, अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामाजिक ज्ञान।

(ख) पुस्तकें सितम्बर में आनी प्रारम्भ हुई और अब तक प्रायः राजस्थान के सभी भागों में वे पहुंच गई हैं।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० चन्द्रकला : क्या सरकार को मालूम है कि बाजार में अप्रमाणित, बिना इन्सपेक्टर के मोहर की पुस्तकें बिकने लगी हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी हमारे पास तो सूचना नहीं है ?

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को मालूम है कि पांचवीं क्लास की पाठ्यपुस्तकें आज तक भी बाजार में नहीं पहुंची हैं उनकी भी कुंजी बाजार में बिकने लगी हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी भी सूचना हमारे पास नहीं है।

डा० चन्द्रकला : तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर ऐसी शिकायत होगी कोई तो।

श्री मूलचन्द डागा : समाज विज्ञान नामक पुस्तक श्री केसरीमल बोरूदिया वाली कब प्रकाशित हुई और कब बाजार में उपलब्ध हुई ? पुस्तक का नाम सामाजिक ज्ञान है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : वह अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : तो क्या वह कोर्स में नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोर्स में तो है पर अभी तक वह भेजी नहीं गई है।

डा० चन्द्रकला : तो इससे जो विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है उसके प्रति क्या फिर सरकार अपना कोई उत्तरदायित्व महसूस करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : नाइन्थ क्लास में कामर्स क्लासेज़ के लिये बिजनैस मैथड पुस्तक भी क्या अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो नेशनेलाइज़ नहीं की गई है।

डा० चन्द्रकला : क्या सरकार को यह मालूम है कि कुछ हिन्दी की पुस्तकों में मूलभूत गलतियां हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ हैं, उनको ठीक किया जा रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : इससे विद्यार्थियों को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में सरकार ने क्या किया ? जो देरी से किताबें मिलने से नुकसान हुआ उसके बारे में क्या सरकार ने कुछ सोचा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी दशहरे और बीच में कुछ छुट्टियां थीं उनको कम किया गया, कुछ समर वेकेशन में कमी की जारही है, कुछ ट्यूटरों के द्वारा अधिक पढ़ाई का प्रयत्न किया गया। जिस तरह से ज्यादा से ज्यादा मेकअप किया जा सकता है वह सब किया जा रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : पुस्तकें प्रकाशित करने में इतनी अधिक देर कैसे हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पेपर मिलने के अन्दर थोड़ी सी ज्यादा देर हो गई।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि जो पुस्तकें गांवों में या बाहर पहुंची हैं वे विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए बहुत कम पहुंची हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

सिरोही जिले में डिप्टी इन्सपेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स की संख्या में वृद्धि

१५१ **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state :

Whether in view of the increased number of educational institutions in Sirohi District after the restoration of Abu-taluka to Sirohi, the Government proposed to raise the Dy. Inspectorate of Schools to Inspectorate at Sirohi ?

Page No.3

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : उप निरीक्षक, शिक्षणालय, सिरोही के कार्यालय को निरीक्षक पाठशालाओं के स्तर में बदलने के प्रश्न पर आगामी वर्ष अन्य ऐसे उप निरीक्षक कार्यालयों के साथ विचार किया जावेगा।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या क्राइटेरिया है इसका? कितनी कितनी स्कूलें इनके लिये होनी चाहिये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये कोई निश्चित तौर से तो तादाद तय की हुई नहीं है पर स्कूलों की तादाद इसके लिये मुख्य आधार है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या इन्स्टीट्यूशन्स मुख्य आधार नहीं हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वही तो मैंने कहा कि वही मुख्य आधार है।

श्री मोहब्बतसिंह : तो इसको मद्दे-नजर रखते हुए क्या सिरोही में डिप्टी इन्सपेक्टरेट की जगह इन्सपेक्टोरेट करने का सरकार इरादा नहीं रखती जब कि पाली और दूसरी जगहों पर सिरोही से कम संख्या में पाठशालाओं के होते हुए भी इन्सपेक्टोरेट है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पाली जिला सिरोही से बड़ा है। वहां स्कूलों की तादाद ज्यादा है। इससे भी यह मालूम होता है कि जहां स्कूलों की तादाद ज्यादा हो वहां पहले प्रबन्ध किया जावे। फिर ज्यों ज्यों स्कूलों की संख्या बढ़ रही है त्यों त्यों हम भी इन्सपेक्टरेट को बढ़ा रहे हैं।

राजस्थान में महिला कल्याण केन्द्र एवं उन्हें शासकीय अर्थ सहायता

१५२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में महिला कल्याण केन्द्र कहां कहां हैं और उन्हें सरकार की ओर से क्या क्या सहायता अब तक दी गई है?

(ख) उपरोक्त केन्द्रों की मुख्य मुख्य क्या क्या प्रवृत्तियां हैं?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर महिला कल्याण केन्द्र चल रहे हैं। इन केन्द्रों को समाज कल्याण खण्ड का नाम दिया गया है।

(१) समाज कल्याण खंड, उदयपुर
(२) ,, ,, जयपुर
(३) ,, ,, संगरिया (जिला गंगानगर)
(४) ,, ,, छोटी खाटू (जिला नागौर)
(५) समाज कल्याण खंड झुंझुनु
(६) ,, ,, अलवर
(७) ,, ,, भीलवाड़ा
(८) ,, ,, सरदारशहर
(९) ,, ,, बूंदी
(१०) ,, ,, भरतपुर
(११) ,, ,, जोधपुर
(१२) ,, ,, पाली
(१३) ,, ,, अजमेर

इन केन्द्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को निम्न लिखित सहायता दी गई है।

१९५५–५६	३७२०० रू०
१९५६–५७	४८४६७ रू०
	८५६६७

श्री तनसिंह : मेरे पास सूची है।

श्री भीखाभाई : Should I read ?

श्री अध्यक्ष : He has that information.

श्री भीखाभाई : (ख) उपरोक्त महिला कल्याण केन्द्रों की निम्नलिखित प्रवृत्तियां हैं :

(१) बालवाड़ी, (२) शिशु स्वास्थ्य केन्द्र (३) महिला प्रौढ़ शिक्षा (४) खेल कूद एवं मनोरंजन केन्द्र, (५) शिल्प केन्द्र, (६) औषध वितरण, (७) प्रसूति केन्द्र, (८) दुग्ध वितरण, (६) सांस्कृतिक कार्यक्रम, (१०) उद्योग शिक्षा आदि।

श्री तनसिंह : क्या अब भी कोई नये केन्द्र खोले जा रहे हैं या यही रहेंगे ?

श्री भीखाभाई : जरूर खोले जावेंगे, पर अभी कोई निश्चय नहीं हुआ।

श्री तनसिंह : इनके खोलने का क्या आधार है और कहां कहां खोले जा रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : इसका आधार यह है कि पहले जिला स्तर पर वहां की संस्थाओं की मांग पर ये कल्याण केन्द्र खोल दिये जाते थे लेकिन आज कल यह हुआ है कि जिला विकास समितियां जहां हों या समाज विकास समितियां जहां संगठित की गई हैं, उनकी मांग पर प्रोजेक्ट दिये जाते हैं और उस शर्त पर कि वे १।३ कॉन्ट्रिब्युशन दे सकें।

श्री तनसिंह : बाड़मेर जिला है उसमें विकास समितियां हैं, विस्तार खंड भी हैं वह एक जिला भी है, किन्तु वहां कोई ऐसे केन्द्र नहीं हैं तो क्या भविष्य में खोले जावेंगे ?

श्री भीखाभाई : अगर कोई प्रार्थना पत्र स्टेट सोशल बोर्ड की मार्फत आवेगा तो उस पर विचार किया जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला : क्या केन्द्र खोलते समय यह विचार किया जाता है कि उसके द्वारा सब आवश्यक प्रचार हो सके ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : कोटा में कितने ऐसे केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री भीखाभाई : सूची आपके सामने पढ़ कर सुना दी है।

श्री अध्यक्ष : कोई गैर सरकारी संस्था हो और वह इस सम्बन्ध में इनीशियेटिव ले, तो केन्द्र खोले जाते हैं अन्यथा सरकार की ओर से नहीं खोले जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : महिलाओं के ऐसे कितने केन्द्र हैं ?

श्री भीखाभाई : यहां यह प्रश्न नहीं पूछा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : एस. डी. ओज. होते हैं तो क्या वे उसको देखते हैं ?

श्री भीखाभाई : इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर !

जुलाई सन् १९५७ तक नायब-तहसीलदार, पदमपुर के पास विचाराधीन दरख्वास्तों व मिसलों विषयक कार्यवाही में विलम्ब

श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नायब-तहसीलदार, पदमपुर के पास ता० ३१. ७. ५७ तक कितनी दरख्वास्तें,

(श्रीमती सतवन्तकौर)

मिसलें आदि विचाराधीन थीं तथा उनके इतने लम्बे समय तक पड़े रहने के क्या कारण हैं एवं सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों व मिसलों पर शीघ्र ही निर्णय दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) २३६ कागज़ात विचाराधीन थे जिनमें से २०४ की तकमील हो चुकी है। ३२ कागज़ात बाकी हैं जो फरवरी से जुलाई तक के हैं। ये कागज़ात आसामियान के मौके पर न मिलने के कारण देर से पेश हुए। अब जल्दी ही तकमील हो जावेगी।

(ख) अवश्य।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सच है कि कई देर की, सात-सात साल की मिसलें पड़ी हुई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि २३६ में से २०४ तकमील हो चुकी हैं और केवल ३२ मिसलें पेन्डिग हैं। इसका कारण यह है कि आसामियान मौके पर नहीं मिले।

श्री मूलचन्द डागा : क्या एस. डी. ओ., कलेक्टर ने निरीक्षण नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है। यदि आप यह पूछेंगे कि किसने किस किस का निरीक्षण किया तो मैं बता दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : जब नायब-तहसीदार के पास बड़े अर्से से कागजात पेंडिंग हैं तो क्या यह जरूरी नहीं है कि तहसीलदार, एस. डी. ओ., कलेक्टर निरीक्षण करें ? यदि नहीं किया तो क्यों नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब कहा कि बड़े अर्से से पेंडिंग हैं। मैंने यह बताया था कि ३१. ७. ५७ तक २३६ पेंडिंग थे उसमें से २०४ समाप्त हो चुके और ३२ पेंडिंग हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कब से पेन्डिंग हैं यह भी तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १३. ७. ५७ तक पेन्डिंग के बारे में पूछा और उसका उत्तर दिया गया।

श्री मूलचन्द डागा : कब से किस साल से पेन्डिंग हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह प्रश्न अलग से पूछिये कि किस तारीख से पेन्डिंग हैं। एक मुकदमे की तारीख बता दूंगा कि कब से किस तारीख से पेन्डिंग हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

सरकार द्वारा जिला विकास समितियों को सन् १९५२ से ५७ तक स्थानीय विकास कार्यों के निमित्त प्रदत्त धन-राशि

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या योजना एवं विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) डिस्ट्रिक्ट डेवलप्मेन्ट कमेटीज़ को जिलावार सन् १९५२ से ५७ तक कितने कितने रुपये स्थानीय विकास कार्यों के लिये दिये गये एवं किस आधार पर दिये गये ?

(ब) बीकानेर जिले में सन् १९५२ से ५७ तक प्रतिवर्ष जिला विकास समिति की ओर से कितनी सहायता की मांग की जाती रही है और सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये ?

Page No.6

मुख्य एवं योजना मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : (अ) डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटीज़ का गठन आर्थिक वर्ष १६५२-५३ में नहीं हुआ। १६५३ से १६५७-५८ तक स्थानीय विकास कार्यों के लिये जितना रुपया बांटा गया उसकी सूची संलग्न है। यह धन-राशि निम्न आधारों पर वितरित की जाती है :

(१) जिले की जन संख्या।

(२) जिले की संभावनायें।

(३) केन्द्र से प्राप्त धन-राशि।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ब, बीकानेर जिले में, सन् १६५२-५३ में जिला विकास समिति का गठन नहीं किया गया था। सन् १६५२ ५३ में कोई राशि न तो प्रस्तावित की गई और न स्वीकृत हुई। सन् १६५३-५४ में कलेक्टर, बीकानेर द्वारा ३, ७०, ६७० रु० प्रस्तावित किये गये तथा सरकार द्वारा २०११०० रुपये स्वीकार किये गये। यह स्वीकृत राशि, कुछ प्राविधिक कठिनाइयों के कारण व्यय न की जा सकी और साल के समाप्त होने पर लेप्स हो गई। सन् १६५४-५५ से १६५७-५८ तक बीकानेर जिले के लिये जिला विकास समिति द्वारा जो राशि प्रस्तावित की तथा सरकार द्वारा स्वीकृत हुई उसकी सूची नीचे अवलोकनार्थ दी जाती है :

वर्ष	प्रस्तावित रकम	स्वीकृत रकम
सन् १६५४-५५	८४,५४१ रु०	२०,१००रु०
सन् १६५५-५६	२,२२,२५० रु०	४६,३०० ,,
सन् १६५६-५७	१,७२,२६२ ,,	३७००० ,,
सन् १६५७-५८		२७,५००

श्री भीमसेन : बीकानेर जिले में मांग के अनुसार रकम स्वीकृत न करने का क्या कारण था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी जिले में मांग के अनुसार रकम स्वीकृत करना सरकार आर्थिक कारणों से असमर्थ पाती है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या जिला विकास समितियों ने यह नीति बना दी है कि जो भी सरकार द्वारा स्वीकृत रकम हो उसको राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में खर्च किया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। यह सरकार की नीति नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या शहर भी जिला विकास समितियों में आते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या कारण है, जिला विकास समितियों द्वारा उपलब्ध राशि को विस्तार सेवा खण्ड में खर्च किये जाना एक व्यावहारिक बात चल पड़ी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य की आवश्यक जानकारी के लिए धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना इस सम्बन्ध में जिला विकास समितियों को भेज दी जावेगी।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं। जिला विकास समितियों में पड़ी स्वीकृत राशि का अधिक से अधिक भाग राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में खर्च किया जाता है तो उसको अन्य कामों में परिवर्तनीय समझा जायगा। अगर ऐसी नीति नहीं है तो सरकार बतायेगी कि क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार की ऐसी नीति नहीं है। यदि अन्य कामों में उस धन-राशि का उपयोग होता है तो यह ठीक है। निश्चित सूचनायें जिला विकास समितियों को दी जावेगी कि केवल उस धन-राशि को विस्तार खण्डों में ही खर्च न किया जाय।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सरकार की जानकारी में नहीं है कि प्लानिंग विभाग की ओर से इस प्रकार के सर्कुलर जारी किये गये हैं कि इस धनराशि को केवल विस्तार सेवा खंडों में ही खर्च किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मिल चुका है।

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन : जो बेकवर्ड जिले हैं क्या उनके विस्तार के लिए अधिक से अधिक रकम स्वीकृत की जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बात का प्रयत्न किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री तनसिंह।

बाड़मेर नगर के संस्कार केन्द्र पर व्यय तथा उससे लाभ उठाने वाले व्यक्ति

१५५. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाड़मेर नगर के संस्कार केन्द्र से लाभ उठाने वाले सदस्यों के क्या नाम हैं ?

(ख) अब तक इस केन्द्र पर क्या खर्च किया गया ?

(ग) क्या इस केन्द्र के अन्तर्गत किसी को ऋण अथवा आर्थिक सहायता भी दी गई है ? यदि हां, तो किसे और कितनी ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) बाड़मेर नगर के संस्कार केन्द्र के सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ख) इस केन्द्र पर सितम्बर, ५७ तक कुल १, ८२० रुपया खर्च हुए हैं।

(ग) इस केन्द्र के अन्तर्गत किसी प्रकार का ऋण व आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

श्री तनसिंह : इन संस्कार केन्द्रों की क्या प्रवृत्तियां होती हैं और क्या काम करते हैं ?

श्री भीखाभाई : संस्कार केन्द्र की ये प्रवृत्तियां होती हैं कि वे अस्पृश्यता निवारण योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाते हैं और शिक्षा के माध्यम द्वारा सवर्णों और हरिजनों के बीच में जो खाई है उसको पूरा करके उनकी उन्नति करना।

श्री तनसिंह : यदि हरिजनों और अ-हरिजनों के बीच की खाई को दूर करना ही इन संस्कार केन्द्रों का उद्देश्य है तो क्या यह मन्त्री महोदय के ध्यान में है कि इनमें केवल हरिजन सदस्य ही रहते हैं ?

श्री भीखाभाई : अगर माननीय सदस्य ने इस सूची को ध्यान पूर्वक देखा है तो उनको यह मालूम होगा कि वहां पर एक विधवा ब्राह्मणी भी है और एक महाजनी भी।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत नियम

१५६. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट कौन सी तारीख से लागू किया गया ?

(श्री भीमसेन)

(ख) क्या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने रूल्स बनाये हैं? अगर नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट दिनांक १–७–५६ से लागू हुआ।

(ख) जी हां। कुछ रूल्स बन चुके हैं और वे या तो प्रकाशित हो गये हैं या प्रेस में छप रहे हैं। कुछ रूल्स अभी सरकार के विचाराधीन हैं और मंत्रीमंडल की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही प्रकाशित किये जावेंगे।

श्री भीमसेन : यह रूल्स देर से बनने के क्या कारण हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स बनने में, तैयार करने में, छपाने में, जो देर लगती है वह देर लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या १०१ दफा के अन्तर्गत रूल्स बन चुके हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, बन चुके हैं।

श्री भीमसेन : अगर नियम तैयार नहीं थे तो एक्ट जल्दी से तैयार करने की क्या आवश्यकता थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्ट के बनने के बाद ही रूल्स बनते हैं न कि एडवान्स में। एक्ट बनने के बाद ही वे हाथ में लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

सरकार द्वारा हरिजनों को मकान बनाने हेतु धन–राशि तथा निःशुल्क कानूनी सलाह

१५७. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या हरिजन कल्याण केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने कोई ऐसी सिफारिश सरकार से की है कि हरिजनों को मकान बनाने के हेतु धन-राशि तथा निःशुल्क कानूनी सलाह सरकार द्वारा प्रदान की जावे? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखा भाई) : केन्द्रीय हरिजन समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की ऐसी कोई सिफारिश की सूचना इस विभाग को नहीं है। अलबत्ता हरिजनों को घर बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ३५० रु० प्रति घर के हिसाब से सहायता दिये जाने का प्रावधान विभागीय बजट में रखा गया है। हरिजनों को निःशुल्क कानूनी सलाह देने का भी प्रावधान है।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से मकान बनाने के लिए सहायता का कार्यक्रम छोड़ दिया है और केवल कुछ बस्तियों के लिए ही सहायता देने की बजट में व्यवस्था की गई है?

श्री भीखाभाई : केन्द्रीय हाउसिंग मंत्रालय की योजना के तहत इन्डिविजुअल हाउस को सहायता दी जाती है और दी जाती रहेगी।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं मन्त्री महोदय की सूचनार्थ यह निवेदन कर सकता हूं कि इस वर्ष उदयपुर के लिए कुछ बस्तियों के लिए ही सहायता दी है पिछड़ी हुई जातियों के लिए, लेकिन व्यक्तिगत मकानों के लिए सहायता देने के लिए आपके विभाग ने इन्कार कर दिया है।

Page No.9

श्री भीखाभाई : हो सकता है कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत बस्तियां चालू की गई हों और उनको सहायता न दी गई होगी।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता था कि मन्त्री महोदय निश्चित रूप से अपने विभाग में जो नीति और कार्यक्रम चल रहे हैं उस बारेमें बतलाते।

श्री अध्यक्ष : लेकिन हर जिले के बारे में तो वे जानकारी लेकर आये नहीं हैं।

श्री भीखाभाई : आपने जानकारी दी है उसकी सूचना बाद में दे सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : जानकारी देने का प्रश्न नहीं है। यह तो इन्हीं की नीति की बात है जिसके अन्दर विभाग काम कर रहा है। व्यक्तिगत मकान बनाने के लिए जहां तक मेरी सूचना है किसी को भी सहायता नहीं दी गई है।

श्री भीखाभाई : हमारे यहां दो स्कीमें हैं, एक तो सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम है और दूसरी अपने यहां की। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो कुछ आया हुआ है वह सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड रिहेबिलिटेशन के लिए होगा वहां पर उसके तहत हरिजनों को सहायता मिली होगी। केन्द्रीय सरकार से ऐसे क्षेत्रों के लिए सहायता दी गई हो और दुसरे क्षेत्रों के बारे सहायता न दी गई हो।

श्री धर्मपाल : जो सहायता सरकार दे रही है वह कितनी दे रही है, मकान बनाने के लिए ?

श्री भीखाभाई : इन्डिविजुअल हाउस के लिए ३५०) रु० की सहायता दी जाती है।

श्री धर्मपाल : हरिजनों को मकान के लिए ऋण देने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री भीखाभाई : इसका संबंध इस मंत्रालय से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपके मंत्रालय से ऋण देने की क्या कोई योजना है ?

श्री भीखाभाई : नहीं, इस मंत्रालय के द्वारा ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री धर्मपाल : कानूनी सलाह न देने के कारण हरिजनों पर मुकदमें चल रहे हैं इस बारे में सरकार क्या महसूस करती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

श्री भीखाभाई : महसूस करती है....

श्री अध्यक्ष Please do not answer to questions which are also not permissrible.

सन् १९५१ में राजस्थान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से घास की खरीद में घाटा

१५८. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार ने १९५१ में यू. पी. सरकार से कितना घास किस कीमत पर खरीदा था ?

(२) क्या यह सही है कि उस में से पूरी कीमत का घास प्राप्त न होने पर भी सरकार को पूरी कीमत चुकानी पड़ी ?

(३) क्या इस घाटे की रकम का उत्तरदायित्व किसी पर स्थिर किया जा सकता है ?

Page No.10

अकाल सहायता मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (१) सरकार ने २,८२, ८५२ मन २८ सेर घास २ रु० १३ आ० प्रति मन के हिसाब से खरीदा था।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

श्री तनसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सारे का सारा घास आपके यहां राजस्थान में आ गया या कुछ वहीं रह गया और सड़ गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यू. पी. में ७६५७ मन घास वर्षा में खराब हो गया है उसकी वजह यह थी कि रेल के डिब्बे नहीं मिलने से घास वहां से उठ या नहीं जा सका।

श्री तनसिंह : तब आपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह कैसे कहा कि जी नहीं और अभी कहा कि काफी घास सड़ गया है इसलिए पहुँच नहीं सका ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जी हां कहा है, जी नहीं नहीं कहा है।

श्री तनसिंह : यह जो रेल के डिब्बे नहीं मिले हैं, तो क्या सरकार ने आर्डर देते समय रेल के डिब्बों की व्यवस्था करने का विचार नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विचार भी किया और प्रयत्न भी किया।

श्री तनसिंह : किसके ऊपर उत्तरदायित्व था रेल के डिब्बों की व्यवस्था करने का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रेलवे से इन्तज़ाम नहीं हो सका ; इतने डिब्बे नहीं मिल सके।

श्री तनसिंह : आपको नहीं मिल सके या यू० पी० गवर्नमेंट को नहीं मिल सके, उत्तरदायित्व किसके ऊपर था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उत्तरदायित्व तो रेलवे पर था। रेलवे को लिखा गया और प्रयत्न किया तथा कोशिश की।

श्री तनसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, कि घास पहुँचाने का उत्तरदायित्व यू० पी० सरकार पर था या राजस्थान सरकार पर था ? और यदि इन्हीं सरकारों पर न था तो रेल के डिब्बे तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती, लेकिन उनको भेजने के बारे में, इन्तजाम करने के बारे में किसका उत्तरदायित्व था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यू० पी० सरकार को भेजना था और राजस्थान सरकार को लेना था।

श्री तनसिंह : लेकिन डिब्बे किसके द्वारा पहुँचाने थे ?

श्री अध्यक्ष : पैसा राजस्थान सरकार ने दिया है इसलिए इसका उत्तरदायित्व इन्हीं पर रखें।

श्री तनसिंह : लेकिन डिब्बे पहुँचाने की कार्सपोन्डेन्स किसी ने की होगी ; वह कौन सी सरकार का उत्तरदायित्व था ?

श्री जनार्दनराय नागर : क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर आने दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मन्त्री) मैं निवेदन करूंगा कि जिस वक्त यह घास लिया जा रहा था, उस वक्त मुझको मालूम है कि वैगन्स के मिलने में बहुत बड़ी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दिक्कत थी, इसलिए प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पाये। इसलिए जितना घास करीब ७ हजार मन, वह वहां पर रह गया।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैंने स्पष्ट पूछा था कि यदि आप पर उत्तरदायित्व नहीं था तो फिर इस सरकार का प्रश्न पैदा नहीं होता और यदि यू० पी० सरकार का उत्तरदायित्व था कि वह घास भेजेंगे और बुकिंग की व्यवस्था भी वह करेंगे तो फिर हम किस बात का घाटा भुगतें ?

श्री अध्यक्ष : टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एक अलग से प्रश्न है। मेरे पास इस वक्त इसकी इत्तिला नहीं है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थे। डिब्बों की कमी उस वक्त रही और हमने कोशिश की लेकिन फिर भी इतने पूरे डिब्बे नहीं मिल सके, इसलिए ८ हजार मन के करीब घास वहां रह गया।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि इस ८ हजार में से बाद में पंजाब सरकार को बेच दिया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। पंजाब सरकार को जो घास बेचा गया है, वह दूसरा है।

श्री तनसिंह : क्या इसी ऑर्डर के सिलसिले का वह घास था और उसी के अन्दर वह पंजाब सरकार को बेचा गया है, तो क्या पंजाब सरकार से वह घाटा वसूल किया गया है या राजस्थान सरकार से वह घाटा वसूल किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो उस वक्त घास लिया गया है उसके बाद में स्थिति यह थी कि राजस्थान के अन्दर कई हिस्सों में उस घास का उपयोग कम मालूम होता था। इस प्रकार यह प्रयत्न किया गया कि उस घास को पंजाब सरकार को दे दिया जाय।

श्री तनसिंह : यदि वह घास इस राजस्थान के इलाके के लिए उपयोगी नहीं था तो ऐसे घास का ऑर्डर देते समय इस बात का क्या विचार किया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि जिस वक्त यह घास लिया गया था तो उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है वह सन् १९५१ का जमाना था और उस वक्त राजस्थान के अन्दर कन्डीशन्स यह थीं कि लाखों मवेशी इधर से उधर मूव कर रहे थे, उस वक्त यह घास लेकर इन्तजाम किया और उसके लिए प्रयत्न किया गया और अगर ७ हजार मन घास उसमें से बच जाय २० लाख मन में से और पंजाब सरकार से उसके लिए डील किया जाय तो वैसी अवस्था के अन्दर वह ठीक बात है।

श्री तनसिंह : मैं एक प्रश्न और यह पूछना चाहता हूं कि ८ हजार मन घास जो सड़ गया है वह घास किसी ने डिसपोज ऑफ किया या पड़ा रहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वर्षा की वजह से वह गल गया और उसको डिस्पोज ऑफ करने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री तनसिंह : वह वहां पड़ा रहा या बेच दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह गल गया, वहां क्या पड़ा रहा।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह कहा गया कि वह गल गया, तो ८ हजार मन जो घास है वह किस ढंग से गलता है, वह गलने की बात तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बेचने में कितना समय लग

(श्री तनसिंह)

गया कि वह सारा गल गया। घास एक बार में ही गलता नहीं है, तो क्या उस गले हुए में से एक मन भी या १०० मन भी घास कुछ ऐसा नहीं था कि वह बेचा जा सके और सारे का सारा वहीं सड़ गया ? इसी घास को पंजाब सरकार को बेचा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे अर्ज किया ८ हजार मन ही गल गया। उसके बेचने का सवाल नहीं होता है। इसी लॉट में से पंजाब सरकार को बेचा गया है, यह ठीक है।

श्री तनसिंह : क्या यह जो २ लाख मन का ऑर्डर दिया गया था उसी घास में से पंजाब सरकार को वह घास बेचा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, उसमें से बेचा गया है २–८२–८५२ मन में से।

श्री तनसिंह : क्या अभी आप बता सकते हैं कि कितना घास बेचा गया है पंजाब सरकार को और हमारे पास कितना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ७५, ४३१ मन १ सेर घास पंजाब सरकार को बेचा गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या बाकी का घास रेलवे के द्वारा लाया गया है राजस्थान में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

कस्बा हनुमानगढ़ में मंडी के अथवा रिहायसी प्लॉट अलॉट करने की योजना

१५६. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कस्बा हनुमानगढ़ में मन्त्री के अथवा रिहायसी प्लोट कब तक अलोट करने की स्कीम है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि वहां बिना इजाजत कितने ही मकान बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): फिलहाल हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी में ११० प्लोट दिनांक १६. १७ व १८ दिसम्बर, १९५७ को नीलाम किये जा रहे हैं, कस्बा हनुमानगढ़ में कुछ रिहायसी मकानों के बनाने के लिए प्लोट जल्दी ही नीलाम किये जायेंगे।

(ख) इस सम्बन्ध में तहकीकात की जा रही है। पूरी होने पर कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री धर्मपाल पंवार : प्लान के माफिक ये प्लोट कब तक नीलाम होने चाहिये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : योजना के मुताबिक ही नीलाम हो रहे हैं।

श्री धर्मपाल पंवार : आखिर डेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : वह अभी तक आई नहीं है।

बाड़मेर में गत पांच वर्षों से चूना जलाने का ठेका व उसकी शर्तें

१६०. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर में गत ५ वर्षों से चूना जलाने का ठेका किस किस को तथा कितने में दिया गया ?

Page No.13

(श्री तनसिंह)

(२) वर्तमान ठेकेदारों से क्या शर्तें पालन करने के लिये कहा गया है ?

(३) क्या उपरोक्त ठेकेदारों से यह भी शर्त लिखवाई गई है कि वे जनता को चूना अमुक भाव से बेचेंगे ? यदि हां, तो क्या भाव निश्चित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप खनिज मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) ३ ठेके दिये गये :

(१) सेवाराम रु० २१६१ वार्षिक दिनांक १-११-५२ से ३१-१०-५३ तक ।

(२) जेठानन्द रु० ३०२५ दिनांक १-६-५४ से ३०-६-५५ तक

(३) मूलचन्द खेमराजमल रु० २२५० दिनांक २०-८-५६ से १६-८-५८ ।

(२) वतमान ठेकेदार को अप्रधान खनिज रियायत १६५५ नियम के अन्तर्गत ठेका दिया है ।

(३) खनिज अप्रधान रियायत नियम सन् ५५ के अन्तर्गत ऐसा कोई नियम नहीं है । सिर्फ ठेकेदार को खोदने और बेचने का ही वाजबी दर पर अधिकार है परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है ।

श्री तनसिंह : वाजिब दर पर बेचने का ठेकेदार को अधिकार है तो क्या सरकार ने वाजिब डिफाइन किया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ऐसी डेफिनेशन नहीं है । यह तो लेसिज़-फेअर के माफिक डिमान्ड और सप्लाई होती है ।

श्री तनसिंह : यदि ठेकेदार ५० रु० मन के भाव से बेचना चाहे तो क्या सरकार के पास कोई साधन है उसे रोकने के लिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री तनसिंह : क्या सरकार ठीक व्यवस्था बनाये रखने के लिये नियमों में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई शिकायत किसी जगह से आवे और जनरल शिकायत हो तो विचार किया जा सकता है वर्ना इतने ठेके दिये जाते हैं, हर जगह मार्केट के अनुसार हर जगह अलग अलग रेट होती है । ऐसा नियम हमारे पास नहीं है और न ऐसा कोई विचार किया जा रहा है ।

श्री तनसिंह : दूसरी बार ठेका ३००० से ऊपर दिया गया और तीसरी बार ठेका २००० के करीब दिया गया तो क्या यह बताया जा सकता है कि इन दोनों रेट्स में इतना अन्तर कैसे हुआ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ठेका जब नीलाम होता है तब बोली लगती है और उसके अनुसार हमारे यहां यह नियम है कि अमुक पर्सेन्टेज से यदि ठेके की कीमत कम आवे तो सैंक्शन कर दिया जाता है, इससे नीचे आवे तो दुबारा नीलाम किया जाता है । ओपन ऑक्शन में बोली बोली जाती है उसके अनुसार ठेका दिया जाता है । इसमें कम ज्यादा बोली आ सकती है ।

श्री तनसिंह : मैंने उस प्रश्न (३) में यह पूछा था कि क्या उपरोक्त ठेकेदारों यह भी शर्त लिखवाई गई है कि वे जनता को चूना अमुक भाव से बेचेंगे, इसका जबाव नहीं दिया गया ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने इसका जवाब दिया कि कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार हम रेट फिक्स कर सकें।

श्री अध्यक्ष : ये निश्चित नहीं कर सकते।

राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर विदेशियों की मूर्ति

१६१. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) प्रान्त में वर्तमान में किन किन स्थानों पर विदेशियों की मूर्तियां स्थापित हैं? कृपया इसकी एक सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सरकार इन मूर्तियों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का विचार कर रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) राजस्थान में जिन जिन स्थानों पर विदेशियों की मूर्तियां स्थापित हैं उनकी सूची इसके साथ सलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(२) इन मूर्तियों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कब तक हटादी जायेंगी ये मूर्तियें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितनी जल्दी हो सकेंगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या जिन स्थानों पर विदेशियों की मूर्तियें हैं उनके स्थान पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियें लगाने का विचार है, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थानों पर लगी हुई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ऐसा नहीं सोचा गया।

डॉक्टर चन्द्रकला : ये मूर्तियें कहां रखी जायेंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सम्भवतः म्युज़ियम में।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या उदयपुर म्युज़ियम ने इन्हें रखने से इन्कार कर दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ऑर्डर कब जारी किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ८ नवम्बर, १९५७ को।

सैटलमेन्ट महकमें में नियुक्तियों में पक्षपात

१६२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सैटिलमेन्ट महकमें में कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की आवश्यकता थी ?

(२) क्या ये नियुक्तियां पूर्ण करली गईं ?

(३) लालसोट चाकसू से ऐसी नियुक्तियां कितनी की गईं ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

(५) क्या यह सत्य है कि इन नियुक्तियों में पक्षपात बरता गया है ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(६) यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) ६७ अमीनों को तारीख १–४–५६ से ३१–३–५७ तक।

(२) जी हां।

(३) यह नियुक्तियां भारत के नागरिकों में से योग्यता के आधार पर की गई थीं, स्थान विशेष के वासियों का कोई लिहाज इन नियुक्तियों में नहीं रखा गया और न ऐसी सूचना इस विभाग में उपलब्ध है कि लालसोट व चाकसू से कितने व्यक्ति लिये गये।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्तमान सत्र में जयपुर जिले में अध्यापकों की नियुक्ति

१६३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस सत्र में जयपुर जिले में कितने अध्यापकों की नियुक्ति की मांग थी ?

(२) वह मांग किस प्रकार पूर्ण की गई ?

(३) लालसोट व चाकसू तहसील में कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) ५३३ अध्यापकों की मांग थी।

(२) उक्त स्थानों की पूर्ति के लिये लोकल पत्रों में विज्ञापन दिया गया और विभागीय आदेशानुसार प्रार्थियों को साक्षात्कार किया जाकर चुनाव किया गया एवं चुने हुए प्रार्थियों को वरिष्टतानुसार नियुक्त किया गया।

(३) लालसोट में ३ व चाकसू में ३।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील रूपवास व बसेड़ी में बांध टूटने से फसल को हानि

१६४. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) तहसील रूपवास और बसेड़ी में अधिक वर्षा के कारण बांधों के टूटने से किन किन गांवों में ज्वार आदि की फसल नष्ट हुई और किन किन गांवों में घर आदि को नुकसान पहुंचा ?

(ख) सरकार ने उपरोक्त तहसीलों में क्या सहायता दी या देने की सोच रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) तहसील बसेड़ी: कच्चे बांध पूसपुरा के टूटने से कस्बा बसेड़ी खास में कुछ रकबे में फसल को अधिक हानि हुई है। जिसकी रिलीफ खतोनी तैयार की जा रही हैं। कुछ अन्य देहातों में भी अधिक वर्षा के कारण मामूली हानि हुई है। बाढ़ पीडितों के लिये २०० रुपये रिलीफ तकसीम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और तकावी व टीन के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं।

तहसील रूपवास : बांधों के टूटने से बसीवागरी, शिकरोदा, गहनोली खनुआ में फसल को कुछ हानि हुई है और मोजा चौकरेरा व जसवन्त नगर में कुछ घरों को हानि पहुंची है। यह हानि बहुत कम हुई है और सहायता देने के काबिल नहीं समझी गई है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

फिर भी रिलीफ खतौनी तैयार होने पर और रिलीफ देने काबिल हुई तो रिलीफ दे दिया जावेगा ।

(ख) इसका उत्तर प्रश्न के खंड "क" में दिया जा चुका है ।

मंत्रियों व सरकारी अफसरों द्वारा ऑफिस के चपरासियों से अपने घर पर काम लेना

१६५. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि मन्त्री व बड़े सरकारी अधिकारी ऑफिस में काम करने वाले चपरासियों से घर का काम भी करवाते हैं ?

(ख) क्या उन चपरासियों को अधिकारीगण अपने घर का कार्य करवाने के बदले वेतन भी देते हैं ? अगर हां, तो कितना, अगर नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या उपरोक्त कर्मचारियों की ओर से सरकार के पास कोई शिकायत इस विषय में आयी है ? अगर हां, तो सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी नहीं । चपरासियों से घर पर केवल सरकारी ही कार्य लिया जाता है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ग) जी हां । सरकार ने इस सम्बन्ध में तारीख २१-६-५७ को एक परिपत्र जारी किया है जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री गिरधारीलाल : चपरासियों को नियुक्त करने व निकालने का अधिकार किसको है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अधिकारियों को ।

श्री गिरधारीलाल : तो क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि चपरासी इसलिये शिकायत नहीं करेंगे कि अधिकारी लोग तरह तरह के लांछन लगाकर उनको निकाल सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यों नहीं निकाला जा सकता । पहले चार्ज शीट देकर पूरी कार्यवाही करनी पड़ती है ।

श्री गिरधारीलाल : क्या चार्ज शीट झूठी नहीं बन सकती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यदि झूठी बने तो आगे अपील कर सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या बिना चार्ज शीट के किसी को निकाला जा सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं ।

श्री गिरधारीलाल : क्या बीकानेर में ५० चपरासियों को वहां के अधिकारियों ने इसलिये निकाल दिया कि वे लोग उनके घर पर काम नहीं करते हैं, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या दौसा के भूतपूर्व एस. डी. ओ. नरेन्द्रमोहन सक्सेना के विरुद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत आपके पास आई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये नोटिस चाहूंगा । एक एक एस. डी.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ओ. की जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या चपरासियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि उनसे घर पर काम नहीं लेना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तभी तो सर्कूलर निकला ।

श्री धर्मपाल : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि हरिजन चपरासी घर पर काम नही कर सकते इसलिये उनको नौकरी से टुकराया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : घर पर काम करने का तो विरोध हो रहा है फिर हरिजन चपरासी घर पर काम क्यों करना चाहते हैं ।

श्री धर्मपाल : फिर उनको जगह क्यों नहीं मिलती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा सर्कूलर निकलता है कि जहां चपरासियों की जगह खाली हो वहां हरिजनों को प्राथमिकता दी जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी कहा था कि कुछ शिकायतें आई हैं, यह किस आधार पर कहा ? आपके पास कोई स्टेटिक्स, डेटा, एप्लीकेशन या कम्प्लेन है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा कहने का प्रश्न नहीं है । कुछ जगह प्रस्ताव पास हुए हैं और कुछ जगहों से लिखित रूप में भी आया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपके पास कैलाशनारायण की दरख्वास्त भूतपूर्व एस. डी. ओ. दौसा के खिलाफ आई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : सरकार ने सर्कूलर कब जारी किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : २१-६-५७ को ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या इस सर्कूलर के पालन के लिये सरकार किसी कमेटी को नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सर्कूलर का चपरासी स्वयं फायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेन्ट कमेटी अपोइन्ट करे, उससे फायदा नहीं होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : Has the Government received any complaint from Bharatpur district ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Yes please.

श्री श्रीभानसिंह : How many ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : The number is not known to me at present.

श्री श्रीभानसिंह : What action has been taken by the Government ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : A circular has been issued.

श्री जर्नादनराय नागर : सरकार को इस बात का विश्वास है कि जो सर्कूलर सरकार ने दिया, उसका पालन अवश्य हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह इस पर निर्भर करता है कि स्वयं क्लास फोर गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट उस प्रकार के कामों को न करें और सर्कूलर का लाभ उठायें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर वे काम नहीं करते हैं तो उन पर रिप्रेस होता है।

(कोइ उत्तर नहीं दिया गया)

राजस्थान के अकालग्रस्त घोषित जिले

१६६. **श्री लक्ष्मीचन्द :** (सांचोर) क्या अकाल सहायता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) राजस्थान के किन किन जिलों के अकालग्रस्त होने के समाचार प्राप्त हुए हैं और इनमें से किन किन जिलों में अकाल स्थिति की घोषणा की गई है ?

(ख) क्या जालौर जिले की सांचोर व जालौर तहसीलों में अकाल की सी स्थिति वर्तमान है और वहां से रिप्रेज़ेन्टेशन भी आया है ? यदि हां, तो फिर वहां अकाल स्थिति की घोषणा अब तक क्यों नहीं की गई है ?

(ग) सरकार कब तक जालौर जिले को अकाल ग्रस्त घोषित कर वहां रिलीफ वर्क चालू करेगी ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जयपुर खंड : जिला सीकर, झुंझुनू,

जोधपुर खंड : जिला जालौर, बाड़मेर सिरोही व जैसलमेर

उदयपुर खंड : जिला उदयपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर

बीकानेर खंड : जिला बीकानेर, गंगानगर व चुरू से अकाल की स्थिति की प्राथमिक सूचना प्राप्त हुई है, घोषणा गिरदावरी संपूर्ण होने पर की जा सकेगी।

(ख) इसका उत्तर प्रश्न के खंड (क) में दिया जा चुका है।

(ग) स्टेट रिलीफ वर्क्स के लिये ४००० रूपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। रिलीफ वर्क्स के लिये प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह घोषणा कब तक हो जायगी। गिरदावरी कबतक आपके पास आ जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस महीने के आखिर में आ जायगी।

श्री भीमसेन : जिनकी जानकारी आपके पास आ गई है, उनको अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी प्रिलिमिनरी सूचना आई है। गिरदावरी के आने के बाद फाइनल प्रपोज़ल्स हो जायंगे।

श्री धर्मपाल : क्या गंगानगर से दरख्वास्त आई थी कि वहां पर शीघ्र काम शुरू किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दरख्वास्त तो काफी आई हैं, किसी खास दरख्वास्त का हवाला दीजिये।

श्री भीमसेन : बीकानेर से आपके पास मुकम्मिल रिपोर्ट आ चुकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुकम्मिल रिपोर्ट नहीं आई है।

नवम्बर के एण्ड तक घोसित कर दिये जायेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या जहां से रिपोर्ट आ गई है, वहां टेस्ट वर्क चालू कर दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस माह के अंत तक टेस्ट वर्क चालू कर दिये जायेंगे। वैसे टेस्ट वर्क के लिये रुपया अलॉट कर दिया गया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उदयपुर के कितने गांवों को सरकार ने अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया है ?

श्री दामोदरलाल : अभी तक किसी गांव को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया है ?

श्री गिरधारीलाल : क्या जिन गांवों के नाम गज-पत्र के अन्दर आये हैं, वे झूठे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पिछली साल की बात कह रहे हैं। हम १९५७ की बात कह रहे हैं।

गत आम चुनावों शिक्षा विभाग की सिनेमा दिखाने वाली मोटर द्वारा उम्मीदवारों की सभाओं में बाधा

१९७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गत आम चुनाव के वक्त अजमेर जिले में शिक्षा विभाग की सिनेमा दिखाने वाली मोटर द्वारा कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए उम्मीदवारों की सभाओं में बाधा पहुंचाने की शिकायतें सरकार के पास हुईं ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम बाधर-सिंदरी तहसील किशनगढ़ में स्वतंत्र उम्मीदवार श्री चांदमल मेहता की सभा में सिनेमा दिखाने वाली मोटर ने बाधा पहुंचाई और उसकी शिकायतें स्थानीय एस. डी. ओ. व कलेक्टर अजमेर व शिक्षा सचिव के पास रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजीं ?

(३) यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) इस प्रकार की कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई। एस. डी. ओ. किशनगढ़ के पास फरवरी सन् १९५७ में श्री चांदमल मेहता ने इस बाबत एक दरख्वास्त पेश की थी।

(२) शिक्षा विभाग की सिनेमा वान भारत सरकार की योजना के अनुसार गांव गांव में सामाजिक शिक्षा का प्रचार करने जाती है। इस विभाग की सिनेमा वान ने व कार्यकर्ताओं ने किसी भी उम्मीदवार की सभा में बाधा नहीं पहुँचाई। एक दरख्वास्त इस बारे में एस. डी. ओ. किशनगढ़ के पास फरवरी, ५७ में पेश हुई थी।

(३) शिकायत पेश होने पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस किशनगढ़ के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई जिस पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने उचित आदेश अपने अमले को कर दिये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या निर्णय हुआ उस पर ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जरा जोर से बोलिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस के पास भेजने के बाद क्या निर्णय हुआ उस पर ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एस. डी. ओ. ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस के पास भेज दी थी।

Page No.20

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पीछे क्या परिणाम निकला उसका ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह इलेक्शन का पार्ट है, इसलिए इसका पुलिस महकमे से कन्सर्न है। हमारे महकमे से भेज दी गई थी।

डा० चन्द्रकला : इसका उत्तर पुलिस महकमे से मिल जायगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका अलग से सवाल पूछिये। इस सेशन में मिल जायगा या अगले सेशन में जवाब मिल जायेगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या सिनेमा वान शिक्षा विभाग के अन्तर्गत काम करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : करती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर सिनेमा वान के खिलाफ आपके विभाग को शिकायत करें तो उस पर कार्यवाही नहीं हो सकती ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) शिकायत एस. डी. ओ. किशनगढ़ के पास हुई, उन्होंने उसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास भेज दिया कि यह मालूम करें कि वास्तव में इन्टरफियरेन्स हुआ या नहीं हुआ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने कहा आरोप सिद्ध नहीं हुआ, यह किस आधार पर कहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो जवाब दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से उसके आधार पर सिद्ध होता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : शिक्षा सचिव को कोई प्रार्थना पत्र दिया गया या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

ग्राम खूंटखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर की प्राइमरी स्कूल बंद

श्री श्री भानसिंह (बयाना) Will the Education Minister be pleased to state :

(a) Was there any Primary School at village Khunt Khera in Tehsil. Bayana of Bharatpur District ?

(b) Has it been closed ? If so, why ? When does the Government propose to reopen it now ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (क) जी हां।

(ख) छात्रों की संख्या बहुत कम होने के कारण तथा पाठशाला भवन न होने के कारण स्कूल बन्द है। यदि जनता स्कूल भवन का प्रबन्ध कर दे और नियमानुसार छात्र संख्या हो जावे तो पाठशाला प्रारम्भ हो सकती है।

श्री श्री भानसिंह : छात्र संख्या कितनी चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्राइमरी के लिए २५, ३० लड़के होने चाहिए।

श्री श्री भानसिंह : जो स्कूल के इन्सपेक्टर हैं उनको उस गांव के टीचर ने कम्प्लेन्ट की थी कि छात्रों की संख्या पूरी नहीं है, क्या गवर्नमेंट ने उसकी इन्क्वायरी की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके साथ ही जो भवन था, वह भी गिर गया। स्कूल के लिए भवन भी नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह: And to your information I might state that I have visited the place and the 'Bhawan' is there.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने सूचना दी है, उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : आपने पाठशाला शब्द का प्रयोग किया है। क्या पाठशाला चलाना भी सरकार के कर्तव्य के अन्तर्गत है? क्या सरकार पाठशाला खोलती है या स्कूल खोलती है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां पाठ पढ़ाया जावे वह पाठशाला।

(हंसी)

तहसील कोलायत जिला बीकानेर के अकालग्रस्त ग्रामों को सरकार द्वारा सहायता

१६६. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में सन् १६५६, ५७ में किस किस गांव में अकाल था? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(ख) १६५६, ५७ में उपरोक्त तहसील के अकालग्रस्त गांवों को सरकार की ओर से क्या क्या सहायता दी गई?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) किसी भी गांव में नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरधारी लाल : क्या कोलायत तहसील में कितना गांव है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न पूछिये। आपने पूछा कि किस किस गांव में अकाल पड़ा, मैंने कहा किसी भी गांव में नहीं।

श्री गिरधारीलाल : कोई भी गांव अकालग्रस्त नहीं था? मैं ११० गांवों की लिस्ट दे सकता हूं जो अकाल ग्रस्त थे। आपको झूठी रिपोर्ट दे दी है।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सूचना दे रहे हैं। तहसील कोलायत में कोई गांव अकाल ग्रस्त नहीं था।

श्री गिरधारीलाल : आपकी जो सूचना है, वह झूंठी निकली तो क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर सूचना गलत निकलती है, तो कार्यवाही करेंगे और करते हैं।

श्री गिरधारीलाल : आपकी सूचना गलत है।

श्री जगदीश प्रसाद : उन गांवों में कमी थी या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर कमी होती तो अकालग्रस्त घोषित किये जाते।

ग्राम गढ़ी जालिमसिंह, तहसील भरतपुर में बेसिक स्कूल के लिए वहां के निवासियों का सरकार के समक्ष ज्ञापन

१७०. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : क्या वित मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम गढ़ी जालिमसिंह, तहसील भरतपुर, के निवासियों ने एक बेसिक स्कूल खोलने की गवर्नमेंट और इन्सपेक्टर

Page No.22

(श्री श्रीभानसिंह)

आफ स्कूल से रिप्रेजेन्टेशन द्वारा मांग की थी ?

(ख) क्या ग्राम वालों ने स्कूल बिल्डिंग तैयार कर दी है और खेती के लिये भी जमीन देने का वायदा किया है ?

(ग) क्या उनकी मांग सरकार ने पूरी कर दी है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करने का विचार है ।

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) मांग जरूर की थी लेकिन नये स्कूल्स के ऑर्डर्स निकलने के बाद ।

(ख) भवन तैयार होने की सूचना सरपंच द्वारा मिली है लेकिन जमीन देने की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी नहीं, अब तो अन्य ऐसे स्कूलों के साथ इसकी उपयुक्तता एव सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष विचार किया जावेगा ।

तहसील सांचोर जिला जालौर गर्ल्स स्कूल के मकान का किराया

१७१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील सांचोर, जिला जालौर में कोई गर्ल्स स्कूल है यदि हां, तो कहां पर और कब से ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त स्कूल गवर्नमेंट बिल्डिंग में न होकर किराये के मकान में है ? यदि हां, तो वह मकान कितने रूपये माहवार किराये पर है ?

(३) क्या किराये का भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो अब तक किराया नहीं देने का क्या कारण है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) एक गर्ल्स स्कूल सांचोर गांव में सन् १६५२ से है ।

(२) यह स्कूल पंचायत द्वारा दिये गये भवन में चल रहा है जिसका कोई किराया नहीं दिया जाता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या मकान के किराये की किराया चिट्ठी लिखायी गई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी सूचना नहीं है । यह मकान किराये पर नहीं है, यह साफ लिखा हुआ है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किराये की चिट्ठी लिखाई गई थी, तहसीलदार द्वारा ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : विभाग अधिकारी ने नहीं लिखाई । तहसीलदार ने लिखाई तो उसके लिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से पूछें ।

श्री लक्ष्मीचन्द : शिक्षा विभाग के इन्स्ट्रक्शन के ऊपर यह चिट्ठी लिखाई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप सूचना दे रहे हैं, इसको फिर देख सकते हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : आप इसको नोट कर लीजिये ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह माननीय सदस्य के कहने की बात नहीं है । मैं नोट कर रहा हूँ ।

माध्यमिक पाठशाला सुलतानपुर तहसील दीगोद में स्थानाभाव

१७२. **श्री रामनारायण शर्मा** (पीपलदा) :

(श्री रामनारायण वर्मा)

क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर तहसील दीगोद के लिये राजकीय मकान के अतिरिक्त एक सेठ के मकान को वर्षों से काम में लिया जा रहा है परन्तु फिर भी विद्यार्थियों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इसी ग्राम में थाने की नई बिल्डिंग बन जाने से पुरानी बिल्डिंग नष्ट होती जा रही है ?

(ग) क्या माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर द्वारा उक्त बिल्डिंग की मांग की जा रही है ?

(घ) यदि हां, तो उक्त बिल्डिंग स्कूल को न दिये जाने का क्या कारण है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) यह सूचना मिली है कि थाने की पुरानी बिल्डिंग खाली पड़ी है।

(ग) जी हां।

(घ) इसके लिये पुलिस विभाग से लिखा पढ़ी हो रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : सेठ को कितना किराया दिया जा रहा है स्कूल के लिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : किराये का प्रश्न पैदा नहीं होता। किराये के बारे में सूचना नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : थाने की बिल्डिंग कब से खाली पड़ी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मालूम नहीं है कि कब से खाली पड़ी है। लेकिन खाली जरूर है। पुलिस वालों से बातचीत चल रही है।

सरकारी कर्मचारियों को बैड क्लाइमेट अलाउन्स

१७३. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकारी कर्मचारियों को बैड क्लाइमेट के नाम पर कोई अलाउन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो किस किस जगह पर दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या तहसील सांचोर जिला जालौर में मर्जर के पहले सरकारी कर्मचारियों को वहां पर इस प्रकार का कोई अलाउन्स मिलता था ?

(३) यदि हां, तो यह एलाउन्स अभी तक मिलता है या नहीं ? यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

उप वित्त मन्त्री : (श्री रिखबचन्द धारीवाल) (१) राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को बैड क्लाइमेट के नाम पर कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता है।

(२) सरकार को यह विदित नहीं है कि जालौर जिला के सांचोर तहसील में स्थित कर्मचारियों को ऐसा कोई अलाउन्स मिलता था या नहीं। यदि ऐसा अलाउन्स मर्जर के पहले मिलता भी था तो भी मर्जर के बाद ऐसे कर्मचारियों को यह एलाउन्स नहीं दिया जा सकता क्योंकि मर्जर के बाद कर्मचारियों को यूनिफाइड पे स्केल रूल्स के अनुसार ही पे और अलाउन्स दिये जायेंगे। यदि ऐसा कोई

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कर्मचारी अपनी यूनिट में पा रहा हो तो भी सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना ऐसे कम्पन्सेटिंग अलाउन्स नहीं दिलाये जा सकते। चूंकि सरकार ने ऐसे बैड क्लाइमेट अलाउन्स किसी भी जगह के लिये नहीं दिलाये हैं। अतः ऐसी विशेष स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब कि पहले सांचोर में बैड क्लाइमेट अलाउन्स मिलता था तो अब क्या वहां की क्लाइमेट चेन्ज हो गई है जो यह अलाउन्स अब वहां नहीं मिलता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान में कई जगह बेड क्लाइमेट के नाम से पुकारी जाती थीं सरकार को मालूम नहीं कि किसी जगह इस प्रकार का अलाउन्स दिया जाता था, अगर कहीं दिया भी जाता था तो यूनिफाइड पे स्केल्स के रूल्स के अनुसार ही पे मिलती है अतः रूल्स के विपरीत अब उन्हें यह अलाउन्स नहीं मिल सकता।

श्री लक्ष्मीचन्द : ५ रुपया की क्लर्क को सांचोर में दिया जाता था स्टेट मर्जर होने से पहले ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हो सकता है मर्जर से पहले दिया जाता हो पर यूनिफाइड पे स्केल्स बन गये तो अब वह इन रूल्स के माफिक ही पा सकता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : राजस्थान में बैड क्लाइमेट की कौन कौन सी जगह हैं, क्या उनकी सरकार के पास सूची है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां पर बैड क्लाइमेट हो आप समझ लें, सरकार के पास ऐसी सूची नहीं है।

(हंसी)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर ऐसी सूची सरकार के पास नहीं है तो सरकार ऐसे अलाउन्स कैसे निश्चित करती है ?

श्री अध्यक्ष : निश्चित कहां करती है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पहले इस प्रकार के अलाउन्स मिलते थे...

श्री अध्यक्ष : मर्जर से पहले।

डॉ० चन्द्रकला : कहां कहां दिये जाते थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १७४

श्री अध्यक्ष : श्री ऋद्धिचन्द पालीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुरसिंह। -

धौलपुर उप जिले में उप सहायक, शिक्षा निरीक्षक आदि के कार्यालय

१७५. **श्री बहादुरसिंह (धौलपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर उप जिले में कितने उप सहायक शिक्षा निरीक्षक कार्यालय तथा माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(ख) क्या सरकार का धौलपुर में एक उप शिक्षा निरीक्षक का कार्यालय स्थापित करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक यह कार्यालय खोला जावेगा ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) उप शिक्षा निरीक्षक कार्यालय ३, माध्यमिक पाठशालाएं १३ तथा प्राइमरी पाठशालाएं १४६ हैं।

(ख) जी नहीं, वर्तमान स्कूलों की संख्या को देखते हुए वहां डिप्टी इन्स्पेक्टर का रखना आवश्यक नहीं है।

श्री बहादुरसिंह : क्या धौलपुर की विशेष स्थितियों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार आश्वासन देना चाहती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जवाब दिया गया है वह वहां की स्थितियों और भावनाओं को ध्यान में रख कर दिया गया था।

डॉ॰ चन्द्रकला : आवागमन की सुविधाओं को देख कर ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आवागमन की सुविधाएं जैसी धौलपुर में हैं वैसी पूरे जिले में दूसरी जगह नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : भावनाओं को ध्यान में रख कर दिया गया था, ऐसा प्रश्न के उत्तर में कहा गया, तो वे कौनसी भावनाएं थीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यही भावनाएं कि वहां पर रखना चाहते हैं पर वहां वर्तमान अवस्था में रखना आवश्यक नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : आवागमन शब्द इस दुनिया का नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अब तो सेटेलाइट जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या १७६

श्री अध्यक्ष : श्री ऋद्धिचन्द पालीवाल।

(अनुपस्थित)

डॉ॰ चन्द्रकला।

शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के लिए व्यावहारिक उपाय

१७७. डॉ॰ चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) शासन तंत्र में से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये सरकार क्या सक्रिय और व्यावहारिक उपाय काम में ला रही है ?

(ख) जनता का नैतिक स्तर उठे, इस दिशा में भी क्या सरकार कुछ करने का विचार कर रही है ?

(ग) क्या इस विषय में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं और धर्माचार्यों के उपयोग की बात भी सरकार सोचती है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(क) भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने आवश्यक कार्यवाही हेतु स्पेशल इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, तथा कमिश्नर, विभागीय जांच की नियुक्तियां की हैं। भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड का पुनर्गठन भी किया जा चुका है।

(ख) शिक्षा द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) नहीं।

डॉ॰ चन्द्रकला : शिक्षा द्वारा जो प्रयत्न किया जा रहा है वह क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो मुख्य एक तरह से कहा जाय कि अच्छाइयां हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया जाय, अलग-अलग शिक्षणालयों द्वारा उनमें ऐसी वृत्ति पैदा की जाय कि अच्छे बनें। भाषणों और पुस्तकों द्वारा उनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाय।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस तरह का पाठ्यक्रम या पुस्तकें निर्धारित की गई हैं या अध्यापकों को इस प्रकार के सर्कुलर्स जारी किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित करना इस विषय में ज्यादा लाभदायक नहीं हो सकता, बनिस्पत इसके कि ऐसा वातावरण पैदा किया जाय।

श्री जनार्दनराय नागर : भ्रष्टाचार के अन्तर्गत सरकार किन-किन विषयों और मदों को समझती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ इसकी व्यवस्था बहुत कुछ स्पष्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सक्रिय और व्यावहारिक कदम उठाये उनमें भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ऐसा कहा गया, तो क्या पुराना बोर्ड इसे रोकने में असमर्थ रहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी बात नहीं है, विभाग का पुनर्गठन किया गया। इसी तरह इस बोर्ड का भी पुनर्गठन किया गया।

डॉ० चन्द्रकला : गैर सरकारी सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या उन दो में से एक सदस्य के स्वयं के ऊपर भी जल बोर्ड के पैसे के गबन का आरोप है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, यह गलत है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार भारत सेवक समाज की शाखा स्थापित करना आवश्यक समझती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भारत सेवक समाज के सोचने की बात है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या भारत सेवक समाज से इस बारे में बात चीत की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारी पूर्ण सहानुभूति है।

श्री मूलचन्द डागा : किस किस तरह से रिश्वत कम हो सकती है, इस बात पर सरकार ने पूर्ण विचार किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे जनरल कोशिश करती रहती है, और जहां संभव हो उपाय किया करती है।

एक माननीय सदस्य : पी. डब्लू. डी. में जो रिश्वत चलती है उसको रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाना आवश्यक समझती है ?

श्री अध्यक्ष : कोई रिसर्च किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी किया गया प्रश्न मूल से भी अधिक व्यापक है।

श्री तनसिंह : अब तक के प्रयत्नों का क्या परिणाम रहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई केसेज़ पकड़े गये उन पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह ।

ब्यावर तहसील में फसल बिना ही तकावी वसूल

१७८. **श्री नारायणसिंह** (मसूदा) : Will the Revenue Minister be pleased to state :

(a) Is it a fact this year Taccavi realisations in Beawar Tehsil were made at a time which was not a fasal season i. e. July-August ?

(b) Is it also a fact that people had to sell of mortgage lands or cattle to pay off their Taccavi instalments ?

(c) Whether, and if so, why people were put in Havalat and put to various harassments in realising taccavi, inspite of the fact that their lands were already in security with the Government and a penalty is charged on default of an instalment ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(a) Yes.

(b) No such cases have been reported.

(c) No loanee was put to any harassment for the realisation of Taccavi dues.

श्री नारायणसिंह : Is it a fact that in a village Kalu son of Lala had to mortgage his land to defray taccavi loan ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You are giving information and I will find out.

श्री नारायणसिंह : Is it a fact that from a village three persons were taken into custody and kept for three days ? They were also harassed likewise when their lands were under security ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have said that such cases have not been reported to me and so I am not in a position to say anything. I am getting information from the Hon'ble Member and I will find out.

श्री नारायणसिंह : Is it a fact that taccavi interest at the rate of annas eight and penalty at the rate of annas eight percent and thus the total rate becomes exorbitant in comparison to the local Bohra rates ?

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as interest, etc. is concerned it has been prescribed in the Ajmer Rules.

श्री श्रीमानसिंह : Has the Government information after consulting the Supdt. of Jails, Ajmer whether certain persons were put under arrest ?

श्री दामोदरलाल व्यास : As I said my information is that nobody was put under detention for that purpose.

Page No.28

श्री तनसिंह : यदि दूसरे प्रकार की इन्फो मेंशन आपके पास उपलब्ध होती है और सही निकलती है तो जिन्होंने आपको यह गलत इन्फोर्मेशन दी है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying but if it is found to be correct.

श्री श्रीभानसिंह : We will be satisfied if you say that the matter will be looked into by you.

श्री दामोदरलाल व्यास : If the in. formation is correct.

श्री श्रीभानसिंह : Is the man, who has given information, the same person who has harassed those men ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No, he is the superior man.

प्रश्न संख्या १७६

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

१२ म० प०

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : Legiseative business. Clause by Clause consideration of the Rajasthan Secondary Edncation Bill, 1957.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा विधेयक पर जो संशोधन क्लॉज़ ६ में एक माननीय सदस्य ने रखा और जिस पर कल काफी वाद-विवाद हुआ उस क्लॉज़ ६ के पक्ष में, जिसमें कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य लागू करने की दृष्टि से जो संशोधन रखा गया और जिसके पक्ष में अपने विचार प्रकट करते समय मैंने सदन के सामने यह विचार रखा कि राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से किस हद तक पिछड़ा हुआ है, उसको, देखते हुए यह, आवश्यक है कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य लागू की जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि संशोधन के इस प्रश्न के पहलू पर मैंने अपने विचार सदन के सदस्यों के सामने रखे । कल, माननीय सदस्य जो भरतपुर से आये हैं और जिन्होंने इस पर अपने विचार रखते समय इस संशोधन के बिल्कुल विपक्ष में अपने विचार प्रकट किये और उन्होंने कहा कि अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न आज कोई नया प्रश्न नहीं है। पुराने समय में, यानि आज से ८०० वर्ष पहले, राजा भोज के समय में तक्षशिला और नालन्दा का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि हजारों और लाखों विद्यार्थियों को वहां पर शिक्षा दी जाती थी। वे लोग पेड़ों के नीचे, बाग-बगीचों में बैठ कर शिक्षा प्राप्त करते थे, उसी तरह आज भी शिक्षा प्राप्त की जाए और जो अनावश्यक व्यय भवन बनाने के लिये खर्च किया जाता है उसमें कटौती करके उसी परम्परा के आधार पर शिक्षा दी जाए। मैं समझता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए इस विचार से किसी की दो राय नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो सकती। मगर जहां तक किसी परम्परा पर शिक्षा देने का आधार हो, किस आधार पर शिक्षा दी जाए, मैं यह कहूँगा कि शिक्षा की दृष्टि से मौलिक परिवर्तन करना होगा। मैं माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा देने का संबन्ध हैं मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। परन्तु जो दृष्टिकोण रखा है कि आज ८०० वर्ष के पश्चात् भी वही पद्धति लागू की जाए जो ८०० वर्ष पहले चल रही थी, यानि हम आज ८०० वर्ष पीछे चले जावें और जो शिक्षा ८०० वर्ष पहले दी जाती थी उसी प्रकार आज भी दी जाए। आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं लोकतन्त्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ने की योजनाएं बना रहे हैं, लोगों को डेमोक्रेसी की शिक्षा देना है, यदि हमें जनतन्त्र को सफलता के साथ चलाना है तो हमारे सामने यही प्रश्न पैदा होता है कि यहां पर शिक्षा अनिवार्य हो। हमारे सामने यह प्रश्न पैदा होता है कि ३५ करोड़ लोगों को या हमारे १।। करोड़ राजस्थानी लोगों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए? क्या इस उद्देश्य की पूर्ति महज़ प्राइमरी एजुकेशन कम्पल्सरी करने से हो सकेगी? क्या हम प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य करके डेमोक्रेसी की शिक्षा दे सकेंगे? क्या प्राइमरी शिक्षा के आधार पर लोगों की बेकारी की समस्या को मिटा सकेंगे, हल कर सकेंगे? ये बहुत सारे मूलभूत प्रश्न हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक सेकन्डरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन ८ वीं कक्षा तक दी जाती है और वह देश के किसी भी व्यक्ति या नौजवान को अपनी जीविका कमाने के संबन्ध में स्वावलम्बी नहीं बना सकती है। इससे उस व्यक्ति के जीवन की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं, यह शिक्षा उसको नौकरी नहीं दिला सकती और न उसके रोटी-पानी की समस्या को हल कर सकती है, न रोटी-पानी दे सकती है और न ही कपड़े दे सकती है। मैं समझता हूं कि आज प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क बना देने मात्र से कोई बहुत बड़ी समस्या हल नहीं हो सकती, यह तो केवल लोगों को साक्षरता प्रदान करती है, किसी व्यक्ति को दस्तखत करना और अखबार पढ़ना सिखाती है। क्या अखबार पढ़ने या पुस्तक पढ़ने तक ज्ञान कराने से मसला हल हो गया कहा जा सकता है? यह नहीं हो सकता। जहां तक जीवन की मंजिल का प्रश्न है वह यहीं पर हल नहीं होता। यदि उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको सेकन्डरी एजुकेशन देनी होगी। यदि राजस्थान की बेकारी की समस्या को रोकना चाहते हैं, यदि वास्तविक रूप में सही तरीके से लोकतन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं, यदि आप राजस्थान के गावों में, शहरों में और कस्बों में पढ़ने वाले, रहने वाले और गरीब तबके के लोग हैं जो वहां पर ८ वीं कक्षा तक गांवों और कस्बों में पढ़ कर, शिक्षा प्राप्त करके आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे नहीं कर सकेंगे; क्योंकि उनके पास पैसा देने को नहीं होगा। इसका नतीजा यह होगा कि वे लोग ८ वीं कक्षा पास करके अपने अपने घर बैठ जावेंगे और उन लोगों को किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिलेगी। उनके लिये यह शिक्षा, जो उन्होंने प्राप्त की है, किसी काम की नहीं होगी। यदि हमें उन लोगों को स्वावलंबी बनाना है, यदि उन्हें अच्छे पथ पर अग्रसर करना है तो हमें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सेकन्डरी एजुकेशन फ्री कर देना होगा उन लोगों के लिये जो ८ तक पढ़ कर आते हैं। अगर सेकन्डरी एजुकेशन फ्री होगी तो वे लोग आगे बढ़ सकेंगे।

इसके बारे में एक तर्क दिया जाता है कि अभी हम लोग आज तक प्राइमरी एजुकेशन भी कम्पलसरी नहीं लागू कर पाये हैं और इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं तो फिर सेकन्डरी एजुकेशन देने में कई प्रकार के झंझट होंगे। मैं यह कहूँगा कि इसमें भी क्या कोई तर्क है, कोई दलील है, न्याय है? आपने प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य नहीं की इसका मतलब यह नहीं कि आप सेकन्डरी एजुकेशन निःशुल्क नहीं कर सकते। यह तो वह बात हुई कि एक मां अपने घर में छोटे बच्चों को दूध पिलाती हो और कहती हो कि पहले छोटे-छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं दूसरे बच्चों को खाना नहीं खिलाया जाए या वे बच्चे घर में न रहेंगे जो दूध नहीं पीते हों। यदि ऐसा होगा तो दूसरे सभी बच्चे मर जावेंगे। इसी तरह से जो लोग कक्षा ८ तक पढ़ कर आगे बढ़ते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन फ्री आपने किया है मगर जब प्राइमरी शिक्षा समाप्त हो जाती है तो लोग आगे बढ़ते हैं और शिक्षा के द्वार सब के लिये खुल जाने चाहिये। हर एक आदमी पढ़ता-पढ़ता सेकन्डरी एजुकेशन की स्टेज पर आवेगा। माननीय अध्यक्ष, जब वह सेकन्डरी एजुकेशन पर आवेगा और वह सेकन्डरी एजुकेशन फ्री नहीं होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चौथाई विद्यार्थी भी सेकन्डरी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्राइमरी एजुकेशन के लिये तो हमारे संविधान में प्रोविज़न है कि सारे देश में १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी बनाएं। आपने प्राइमरी एजुकेशन फ्री बनाया है मगर राजस्थान को यह नहीं सोचना चाहिये कि दूसरे प्रान्तों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है इसलिये यहां नहीं किया जाए, दूसरे राज्यों में सेकन्डरी एजुकेशन फ्री नहीं है इसलिये यहां भी नहीं किया जाए। मैंने निवेदन किया कि राजस्थान को इस मामले में उदाहरण पैदा करना चाहिये कि राजस्थान एक इतना पिछड़ा हुआ देश होते हुए भी शिक्षा के मामले में बहुत कुछ कर सकता है और राजस्थान एक ऐसा देश है जहां सेकन्डरी एजुकेशन फ्री है। जब राजस्थान में सेकन्डरी एजुकेशन फ्री होगी तभी हम ठंडी सांस ले सकेंगे और कह सकेंगे कि जो प्राइमरी एजुकेशन १४ वर्ष तक लागू होती है उससे भी एक कदम हम आगे बढ़ गये हैं और जब हम ऐसा करेंगे तो वह बात हमारे देश की प्रगति की सूचक होगी।

माननीय अध्यक्ष, कई माननीय सदस्यों ने इस बात को सामने रखा है कि आर्थिक कठिनाइयें सरकार के सामने हैं। उनके हल के बारे में मैं कुछ सुझाव देना आवश्यक नहीं समझता। कल बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा कि किस प्रकार से उन कठिनाइयों को हल किया जा सकता है और किस तरह से सेकन्डरी एजुकेशन को फ्री बनाया जा सकता है। हमने गवर्नमेंट को प्रोविज़न दिया है जिससे नेट सेविंग होगी। उसको गवर्नमेंट योजना के लिये खर्च करेगी। यदि यह लाखों और करोड़ों रुपया सेकन्डरी एजुकेशन के पास इकट्ठे हो जाते हैं, ये सारे बोर्ड के डेवलपमेंट पर रख

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है।

जहां तक प्राइमरी एजुकेशन का सम्बन्ध है, यह सब संस्थाओं के द्वारा ही होनी चाहिये। पंचायतें, जिला बोर्ड और नगरपालिकाओं के द्वारा इसका प्रबन्ध होना चाहिये और जहां तक सेकन्डरी एजुकेशन का संबन्ध है इसका बोर्ड सारा प्रबन्ध करे और पोस्ट ग्रेजुएट का सम्बन्ध है इसका इन्तजाम यूनिवर्सिटी करे। यदि इन तीन भागों में इसका विभाजन कर दिया जावे तो यह सारे सरकारी हस्तक्षेप से दूर रह सकेगा। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य और नर को नारायण बनाती है। इसलिये शिक्षा द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है और अशिक्षा से मुक्त करा सकते हैं। यदि इसको ऑटोनोमस बोडी के हाथ में दे सकें तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कदम उठाया गया ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए यह सारा प्रश्न, जहां तक आर्थिक कठिनाई का प्रश्न है, मैंने कल भी निवेदन किया था, हालांकि कहने की आवश्यकता नहीं है, आज लाखों और करोड़ों रुपये सरकार के यों ही खराब हो जाते हैं। हमारे सामने अनेक घटनायें आती हैं जिनमें कि पैसा बचाया जा सकता है और वह पैसा बचा कर दूसरे अच्छे कामों में लगाया जा सकता है। अनेक घटनायें हैं जिनमें पैसा बच सकता है और सेकन्डरी एजुकेशन को फ्री एण्ड कम्पलसरी करने में खर्च किया जा सकता है। मैंने कल पानरवा जंगल कांड का उदाहरण दिया था तो वह माननीय मन्त्री महोदय को बुरा लगा। जब मैंने उनके सामने कल भी स्वावलम्बी बनने की योजना, अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने की योजना का जिक्र किया तो उनको यह तो बुरा नहीं लगा लेकिन जब पानरवा जंगल कांड का जिक्र किया तो उनको बहुत बुरा लगा। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि माननीय मन्त्री महोदयों को देखना चाहिए कि हमें किस तरह से पैसा प्राप्त हो सकता है। ऐसी अनेक घटनायें आती हैं जिनके द्वारा लाखों और करोड़ों रुपया बच सकता है और इस प्रकार सारा रुपाया बचा कर के मैं माननीय मन्त्री महोदय की सूचना के लिए, जो कॉमर्स और इन्डस्ट्री के होंगे, उनको बता दूं कि उनके विभाग के अन्दर गंगानगर शुगर मिल्स के लिए टेन्डर्स इन्वाइट किये थे और करीब दो लाख रुपये का माल मंगाना था। एक फर्म वाले ने अपने टेन्डर दिये और उसने कहा है कि जितना भी लोएस्ट टेन्डर होगा उसमें ५० हजार रुपये कम में मैं माल सप्लाई करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह की एक-एक स्कीम और एक-एक काम में और कई पर्चेज़ेज़ में लाखों रुपयों की सरकार को बचत हो सकती है। माननीय मन्त्री महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि आर्थिक कठिनाइयों की दलील देने के पहले इन सारी बातों पर विचार करें; यह उनको कभी नहीं समझना चाहिए कि विरोधी पक्ष के लोग तो बक-बक करते रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इन सारी बातों पर विचार करेंगे तो समस्या का हल शीघ्र ही निकल जायेगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा विधेयक, जिस संशोधित रूप में सदन के सामने क्लॉज़ ६ आया है उसको हम पारित करें। बस, इतना ही मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, आज हायर सेकन्डरी एजुकेशन बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है और

(श्री रामचन्द्र डग)

जिस पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद उसके क्लॉज ९ के ऊपर जो बहस कल से चल रही है उस बिल के क्लॉज़ ९ की मंशा क्या है और उस पर अमेन्डमेन्ट क्या किया गया है, यदि इस बात को ध्यान में रख कर इस बात को जानने का कष्ट माननीय सदस्यों ने नहीं किया। कल से अब तक जो बहस हुई है, उन्हें मेरे ख्याल से इतनी लम्बी-चौड़ी बहस, इस क्लॉज़ ९ पर विचार किया जाता तो, करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ९ वें क्लॉज़ की मंशा केवल इतनी ही है कि बोर्ड के पॉवर्स और फंक्शन्स क्या होने चाहिए या बोर्ड अपना कार्य किस प्रकार से करेगा और उसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी ? इस क्लॉज़ के अन्तर्गत हमारे में से किसी सदस्य महोदय ने एक अमेन्डमेन्ट पेश किया और वह यह है कि सेकन्डरी एजुकेशन फ्री और कम्पलसरी होनी चाहिये। ९ वें क्लॉज़ में केवल यह शब्द हैं "वाट इज़ दी फंक्शन एण्ड दी पॉवर्स" और अब डिस्कशन हो रहा है फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन फोर १४ टू १७ वर्ष की आयु वाले बालकों के लिये। मेरे ख्याल से यह अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज़ में फिट ही नहीं होता है। यदि सदस्य महोदय की या हाउस के अन्य सदस्यों की यही राय है कि हमें तो गवर्नमेंट की सेकन्डरी एजुकेशन की पोलिसी को क्रिटिसाइज ही करना है तो यह दूसरी बात है। इसके लिए तो हमें और भी अवसर हैं। आज तो हमें यही विचार करना है कि यह हायर सेकन्डरी एजुकेशन बिल आज हाउस के सामने क्यों प्रस्तुत किया गया है और इसकी मंशा क्या है और उसके बाद हमें इस ९ वें क्लॉज़ पर अपने कुछ विचार प्रकट करने चाहिए। यह बात हम सबको मालूम है कि देश के नागरिकों की सम्पूर्ण शिक्षा को तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक एजुकेशन, सेकन्डरी एजुकेशन और यूनीवर्सिटी एजुकेशन। हमको आज केवल सेकन्डरी एजुकेशन अर्थात् माध्यमिक शिक्षा पर ही विचार करना है। यह शिक्षा जो प्राइमरी और यूनिवर्सिटी शिक्षा के बीच का भाग है अब तक इस शिक्षा के चलाने का भार केवल यूनीवर्सिटी के ही ऊपर था। अर्थात् यूनीवर्सिटी, सेकन्डरी और यूनीवर्सिटी दोनों एजुकेशन की शिक्षा का प्रबन्ध करने की जिम्मेदार थी। यद्यपि यूनीवर्सिटी का मुख्य कार्य ग्रेजुएट एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट क्लास की शिक्षा का प्रबन्ध करना और इस से आगे रिसर्च कार्यों का संचालन करना है। हायर सेकन्डरी एजुकेशन का काम सिर्फ इम्तिहान लेना और शिक्षण संस्थाओं को रिकॉग्नाइज़ करना ही था। इस वजह से, हमारे देश के बालकों की सेकन्डरी एजुकेशन की तरफ यूनीवर्सिटी का विशेष ध्यान नहीं होने की वजह से हमारी यह शिक्षा अधूरी ही रही और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक कमीशन मुकर्रर किया और उस कमीशन ने इस एजुकेशन पर सब प्रकार से विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें दीं और उन सिफारिशों में यह बतलाया कि इस एजुकेशन को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया जाय और वह बोर्ड अपना कार्य किस प्रकार करेगा, उस बोर्ड के फंक्शन्स और पॉवर्स क्या होंगे ; उसके लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी ९ वें क्लॉज़ पर बहस चल रही है, लेकिन जो बहस कल से अब तक हुई उसमें ९ वें क्लॉज़ के ऊपर तो बहस नहीं हुई किन्तु उससे बहुत दूर हट करके सदस्य महोदय बहस कर कर रहे हैं। यदि ९ वें क्लॉज़ के जितने भी सब क्लॉजेज़ हैं उनके ऊपर विचार करते तो उनको बातें

श्री रामचन्द्र डग)

अमेन्ड करने के लिए मिल जातीं और कल से जो हायर सेकन्डरी एजुकेशन को कम्पलसरी और फ्री रखने का जो संशोधन रखा जा रहा है और इस पर इतनी बहस की जा रही है इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के समक्ष इसी बात पर जोर दूंगा कि हमारी बहस ६ वें क्लॉज़ और उसके सब-क्लॉजेज़ तक ही सीमित रहनी चाहिए और इसके बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज क्लॉज़ ६ पर विचार हो रहा है। इस पर खास दो अमेन्डमेन्ट्स हैं। पहला तो यह है कि जो पुराना क्लॉज़ ६ था उसको उसी माफिक रखा जाये और उसमें जो शब्द डिलीट कर दिये गए हैं उनको वापिस रिवाइव कर दिया जाय। अगर हम इसको इस तरह से मानते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि पहली लाइन में "have the following powers, namely..."

यह वापिस इसमें शामिल रहेंगे और एक से लेकर १३ जो क्लॉज़ेज़ हैं उनमें 'टू' में यह वापिस जोड़ा जायेगा और 'राजस्थान' जो ब्रेकेट में लिखा हुआ है वह 'राजस्थान स्टेट' की जगह आ जायेगा। इसके लिए यह भी साथ साथ कहा गया कि शब्द 'शैल' को जोड़कर के इस पूरे क्लॉज़ को बिलकुल ही बेमतलब बना दिया है और नजीर के तौर पर यह भी कहा गया कि क्लॉज़ ६ के सब-क्लॉज़ (७) "to co-operate with other authorities in such manner and for such purposes as the Board may determine." इसमें यह कहा गया कि यह बात ठीक नहीं बैठती है कि कोऑपरेट करें और फिर बोर्ड तय करे। इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि शब्द 'शैल' के लिए एतराज है। लेकिन कानून में अगर शब्द 'शैल' का इन्टरप्रिटेशन करें तो 'शैल' शब्द कानून में काम आते आते एक ऐसा लचकीला शब्द हो गया है कि उपयुक्तानुसार यह 'मे' और 'शैल' दोनों के ही काम में आ सकता है, कहीं भी कानून में 'शैल' आये तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह मेन्डेटरी हो जाता है। जैसा कि कल कहा गया कि 'शैल' का मतलब डाइरेक्टरी भी हो सकता है और मेन्डेटरी भी हो सकता है। इसलिए 'शैल' शब्द आने से जो यह कहा गया कि यह शब्द मेन्डेटरी हो जायेगा और इसके अन्दर जो डाइरेक्टरी फंक्शन्स हैं या डिस्क्रिशनरी फंक्शन्स हैं वह जरूरी हो जायेंगे, ऐसी बात नहीं है। खास तौर से सब-क्लॉज़ (७) के लिए कहा गया कि इधर तो बोर्ड कोऑपरेट करेगा और उधर खुद डिटर्मिन करेगा। क्लॉज़ के शुरू में ही है 'Subject to the provisions of this Act, the Board shall..." या कोई भी कार्य बोर्ड करेगा तो बोर्ड को अधिकार इस कानून के तहत दिए हुए हैं। पहले बोर्ड तय करेगा, अपनी नीति को निर्धारित करेगा और उसके बाद में जो नीचे दिया हुआ है वह कार्यवाही करेगा। तो किसी मामले में अगर बोर्ड को कोऑपरेट करना है दूसरी बोडी से तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कोऑपरेशन किसी भी हद तक, किसी भी मामले के लिए चल जायगा। अगर यह मतलब है तो जब कभी विवाह-शादी का मौका आयगा तो बोर्ड उनके रहने का इन्तजाम करेगा, बर्तन आदि मंजवाने का इन्तजाम करेगा; यह चीज नहीं है। बोर्ड जो तय कर ले कि हमें ये ये काम करने हैं, उसके लिए

Page No.34

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

फलां-फलां बोडी से कोऑपरेट करना है तो वे पहले तय कर लेंगे उसके बाद करेंगे। इसके बाद जैसा कि 'शैल' का मतलब मेन्डेटरी और डाइरेक्टिव दोनों ही हो सकता है। जैसा भी अवसर होगा 'शैल' शब्द का मतलब दोनों प्रकार से लिया जायगा, डाइरेक्टिव भी लिया जा सकता है और मेन्डेटरी भी लिया जा सकता है।

इसके अलावा यह भी कहा गया "The Board shall admit students" इसका मतलब यह लिया गया है कि बोर्ड के लिये यह लाजमी हो जायगा कि किसी भी लड़के को जो बोर्ड के सामने आयगा उसकी भर्ती करना पड़ेगा इस 'शैल' शब्द के कारण। इसके लिये शुरुआत में ही हमने कह दिया है: "Subject to the provisions of this act, the Board shall" यानि वह स्टूडेन्ट, वह व्यक्ति, जो बोर्ड के सामने आकर यह कह देता है कि उसने उन सब कन्डीशन्स को फुलफिल कर दिया है तो उसके बाद में वर्ड 'शैल' का आना लाजमी है। बोर्ड ने कन्डीशन्स प्रेसक्राइब कर रखी हैं उन सब को यदि कोई पूरा कर देते हैं तो मेरा नम्र निवेदन है कि उसका एडमिशन हो सकता है। इसके लिए कहा गया कि इसमें 'शैल' शब्द के होने से इसका मतलब दूसरा निकल आयगा, यह चीज ठीक नहीं है।

दूसरा क्लॉज़ में यह संशोधन आया है कि हायर सेकन्डरी एजुकेशन है उसको कम्पलसरी और फ्री कर दिया जाय, यानि निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाय। मैं निवेदन कर दूं यह बात जानबूझ कर कही गई और जनता को यह बतलाने के लिए कही गई कि उनकी ख्याति हो, अखबारों में उनका नाम निकले कि राजस्थान विधान सभा में ऐसे ऐसे सदस्य भी हैं जो यह चाहते हैं कि सेकन्डरी एजुकेशन भी फ्री और कम्पलसरी होनी चाहिये। इसके साथ-साथ बहस के दौरान में मैंने यह भी देखा कि सरकार पर यह आक्षेप लगाया गया है कि सरकार इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं है, केवल बहाना निकालते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस प्रकार की बातें कह कर पब्लिक को कन्वीन्स करने की कोशिश की गई है, आर्थिक अड़चन नहीं है, सरकार जनता को अंधेरे में रखकर अपनी ताकत को बनाये रखना चाहती है, यह भी कहा गया। इसकी असलियत में आपसे निवेदन कर दूं जो योजना हमने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बनाई है वह मैं आपके सामने रख दूं। हम यह चाहते हैं हर डेढ़ मील के एरिया के अन्दर प्राइमरी स्कूल हो, ५०० की जनसंख्या पर प्राइमरी स्कूल हो। उसी तरह १५०० की जनसंख्या और तीन मील के फासले पर मिड़िल स्कूल हो और पांच मील के एरिया में और तीन हजार की आबादी पर एक हायर सेकन्डरी स्कूल हो। अगर हम राजस्थान में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बनाते हैं जहां आज २५० हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं उनकी जगह हमें ६ हजार हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोलने होंगे। सही सही तो मैं नहीं कह सकता फिर भी मैंने तमाम बजट को देखा है और जोड़ बाकी निकाली है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ११ वीं कक्षा तक अगर हम अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने को तैयार होते हैं तो केवल राजस्थान के पास इस कार्य के लिए ढ़ाई अरब रुपया चाहिये और पचास करोड़ रुपया रेकरिंग हर साल के लिए चाहिये। मेरा निवेदन है कि धन-राशि जो भी स्वीकृत होती है वह सदन द्वारा होती है, सदन यदि

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इतनी धन-राशि इस कार्य के लिये देने को तैयार हैं तो मैं अपने आपको धन्य मानूंगा, मैं अपने कार्य काल में इस महान कार्य को कर सका। इसका नतीजा क्या होगा, कितने टैक्स हमें लगाने पड़ेंगे, हमारे रिसोर्सेज़ क्या हैं, उनकी क्या हालत होगी, इन सब पर विचार करना होगा। यह दलील भी दी गई थी कि रूस में सन् १९१८ में क्रान्ति हुई थी उस समय रशियन सरकार के हाथ-पांव कानून में इतने बंधे हुए थे कि जितने हमारे हैं। रूस इस मायने में बहुत आगे बढ़ गया है और उनके ख्याल से सन् १९६० तक वह इस काबिल हो जायगा कि अपनी स्टेट में वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्यारहवीं कक्षा तक कर देगा। भारतवर्ष की जन संख्या, इसकी मौजूदा परिस्थिति यह सब देखते हुए हमें सोचना होगा कि क्या यहां आज ऐसी स्थिति है कि सरकार नहीं करने जा रही है और माननीय सदस्य करने को बड़े उत्सुक हैं, यह कहना नामुमकिन है ! मेरा निवेदन यह है कि संविधान के आर्टिकल ४५ की तहत एक डाइरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पोलिसी का रखा था, उसमें यह है कि सन् १९६० तक ६ वर्ष की आयु से लेकर १४ साल की आयु तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी होगी। लेकिन मैं नम्र निवेदन कर दूं अभी अभी कुछ अर्से पहले शिक्षा मन्त्रियों की एक कॉन्फ्रेन्स हुई उसमें भी यह बात आयी १९६५ तक भी कई राज्यों के लिए ६ से ११ साल की उम्र के बालकों को भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना कठिन है। बहुत सी राज्य सरकारों ने साफ कह दिया है कि हम ६५ तक भी नहीं कर सकते और ११ से १४ साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करना तो बीस-पच्चीस साल तक भी संभव नहीं होगा। आज जिस रूस का उदाहरण दिया जा रहा है उसको भी सेकन्डरी एजुकेशन को फ्री और कम्पलसरी करने में चालीस-बयालीस साल लग रहे हैं, तो भारतवर्ष में तो जनतन्त्रवाद के तरीके को देखते हुए, हमारे सोर्सेज़ को देखते हुए, हमारी डेवलपमेंट किस स्टेज़ पर है इस चीज को देखते हुए, हमारे लिये यह मुमकिन नहीं है। इसलिये यह जो संशोधन है वह क्लॉज़ ६ में आ भी सकता है या नहीं, कानूनी इसकी क्या पोजीशन है, इस बारे में भी निवेदन कर देना चाहता हूं....

श्री श्रीभानसिंह : It is too late.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Please do not interrupt.

इसमें यह चाहा गया है कि ज्यों-ही यह कानून पास हुआ इस बोर्ड के लिये लाजमी . . .

श्री नरोत्तमलाल जोशी : On a point of information, I wanted to know which are the States who say that primary education will befree and compulsory within 25 years ?

श्री पूनमचन्द बिशनोई: Not primary, but I said middle, upto 14 years.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : What time will this State take to make primary education compulsory in the State ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This is still under consideration.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : This is very important, it is very important to know now.

Page No.36

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : We have agreed that by 1960 we shall be able not to provide free and compulsory education, but we shall be reaching the target of 75% by 1965 i. e. by the end of the Third plan we shall be reaching the target of 75% for 6 to 11 age group.

श्री श्रीभानसिंह : 75% schools or children to be educated ?

श्री अध्यक्ष : School going children in that age group.

श्री श्रीभानसिंह : Which group ?

श्री अध्यक्ष : 6 to 11.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आया यह संशोधन क्लॉज़ ६ में हो सकता है या नहीं ? इसमें यह लिखा गया है कि बोर्ड का फर्ज होगा वह १४ से १७ साल तक की उम्र के बच्चों के लिये इस कानून के पास होते ही हायर सेकन्डरी स्टेज तक कम्पलसरी एज्युकेशन कर देगा। जहां तक शिक्षा को अनिवार्य करने का सम्बन्ध है वह राज्य सरकार का काम है, यह बोर्ड का काम नहीं है। बोर्ड को यह अधिकार देते हैं तो बोर्ड को यह भी अधिकार देना चाहिये कि वह टैक्स भी इम्पोज़ कर सके और उसके लिये कौन कौन सी मशीनरी एग्ज़ीक्यूट करने के लिये चाहिये, ये सब पॉवर्स भी बोर्ड को दीजिये। जब हम यह पॉवर्स नहीं दे सकते तो कानून यह है इस प्रकार का संशोधन हम इसमें नहीं ला सकते। शिक्षा का जिम्मा राज्य सरकार का है, यह उसकी नीति है कि कहां कहां स्कूलें खोली जांय, किस मियाद में खोली जांय, यह सरकार का काम है, बोर्ड का नहीं, इसलिये कानूनन इस क्लॉज़ में जो अमेन्डमेन्ट दिया गया है वह बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है।

इसके अलावा यह भी कहा गया अगर सरकार चाहे तो जमीन देकर, पुराने अनुभवी मास्टरों को लेकर यह काम करवा सकती है। मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे छोटे मोटे काम से हमारी शिक्षा की योजना पूरी नहीं हो सकती और वह भी निःशुल्क और कम्पलसरी एजुकेशन को इस प्रकार लागू नहीं कर सकते। ये सब परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई है, यह बात नहीं कि राज्य सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं करना चाहती, राज्य सरकार उत्सुक है, किन्तु अन्य परिस्थियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जितना हमारी सामर्थ्य में है हम कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि शिक्षा के लिये कोई योजना नहीं है, यह भी आरोप लगाया गया है। मेरा निवेदन यह है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह योजनाबद्ध कर रहे हैं। तीस साल आगे हम क्या कार्य करेंगे इसकी भी योजना हमारे पास है। इसकी सर्वे हो रही है, काम कितना है कौन सा सब्जेक्ट का क्या करना है, यह सब योजनाबद्ध हम कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह अमेन्डमेन्ट है हय नामन्जूर फरमाया जावे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने जो "शैल" का इन्टरप्रिटेशन फरमाया है इसको मैं चेलेन्ज करता हूँ और इस सिलसिले में यह मैं निवेदन करूंगा कि इस इन्टरप्रिटेशन के लिये एटोर्नी (एडवोकेट) जनरल की ओपीनियन ली जावे। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है "शैल" का यूज़ नहीं होता है और मैंने वेब्सटर की डिक्शनरी देखी है तथा और भी कई लीगल लोगों से दूसरे सिलसिले में मेरा

Page No.37

(श्री पी० के० चौधरी)

डिस्कसन हुआ है और ..."May" in a statute means "shall" and not "shall" in a statute means "may."

यानि जो इन्टरप्रिटेशन लीगल माना जाता है वह यह कि "may" in a statute means "shall" and is used in the sense of "shall". But "shall is always compulsory and mandatory; "Shall" is never used as permissible.

तो इसलिये मेरा तो यह नम्र निवेदन है कि इन्टरप्रिटेशन का जहां तक सवाल है इसमें मेरी अगर आप एक्सपर्ट ओपीनियन नहीं मानेंगे तो न मानें, मैं जानता हूँ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सरकार भी नहीं मानेगी, मैं इन्टरप्रिटेशन का झगड़ा नहीं करना चाहता पर सदन की जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि वे वेब्सटर की डिक्शनरी देख लें, मिनिस्टर साहब भी उसे देख लें, अपने एटोर्नी से पूछ लें, मैं डिक्शनरी लाया नहीं, लाता तो बता देता कि ..."May" in a statute means "shall" and "shall" in a statute does not mean "may."

तो इस पर तो मेरा निवेदन इतना ही है कि आज आप भले ही इसे पास कर लीजिये पर इसके साथ यह निवेदन है मेरा कि आप एटोर्नी जनरल की ओपीनियन ले लें,

Whether "shall" can be used in the sense of "may" in a statute.

बल्कि मेरा तो कन्टेन्शन है कि only "may" is used in the sense of "shall" in a statute.

दूसरी बात जो मैंने कही है कि हम जब कानून पास करते हैं तो वह ऐसा होना चाहिये कि उसकी लैंग्वेज डिग्नीफाइड हो। आप और हम जो बोर्ड बना रहे हैं और जिसके ऊपर शिक्षा की एक बहुत बड़ी ब्रोड पोलिसी ले डाउन करने की जिम्मेदारी है, जिसके मातहत सारी शिक्षण संस्थाएं होंगी। शिक्षण के क्षेत्र में जो ओटोनोमस होगा और उसे कम्पलीट इन इट सेल्फ बनाने जा रहे हैं तो ऐसी इम्पोर्टेन्ट इन्स्टीट्युशन हम क्रीएट कर रहे हैं और उसके हम जब पोवर्स और फंक्शन्स देखते हैं और उनके सामने उसको डिस्क्रीशन अपना यूज़ करने का मोका न दें तो यह अच्छा नहीं है। इतनी भारी जिम्मेदारी हम जिस को दे रहे हैं उस पर उसके डिस्क्रीशन पर हमारा भरोसा नहीं है, यह कैसे? तो ऐसा कानून मैं समझता हूँ इस सभा को पास नहीं करना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि जो पॉवर्स और फंक्शन्स का हैडिंग है, आज तक किसी भी देश में, कसी भी जगह वहां पॉवर का फंक्शन्स ले डाउन किये गये हैं, मेन्डेटरी "शेल" यूज़ किया गया है। पॉवर हमेशा पर्मिसिबल रहते हैं : It is dependent upon the person who is to use the power whether to use it or not. और फंक्शन्स होते हैं वे लेजिस्लेचर में मेन्डेटरी होते हैं। इस को जो फंक्शन्स दिये गये, पोलीसी वाले पॉवर देंगे, तो मेन्डेटरी होते हैं। पर इसमें पॉवर दिये जाते हैं तो वह पर्मिसिबल रहते हैं, जैसे फर्ज करिये पॉवर्स देते हैं पुलिस को कि कोई भी आदमी सस्पिशियन की हालत में देखा जावे तो रिमूव कर सकते हैं, तो The police shall fire at sight if they find a man moving suspiciously. The police will fire at man who is found moving suspiciously.

दूसरी बात, हम एक कानून में ऐसा रखते हैं कि The police can fire in self defence, न कि the police shall fire in self defence.

(श्री पी० के० चौधरी)

ऐसे-ऐसे मोके आते हैं, हम जो कानून बनाते हैं उसमें पॉवर का जहां तक सवाल है वे पर्मिसिबल रहते हैं। इसमें "शैल" कतई यूज़ नहीं करना चाहिये। वह डिग्निफाइड लेन्गवेज नहीं है। यह तो ठीक है कि आप इसे यहां से पास करा लेंगे सब कुछ ठीक है। पर बाहर जब इसे पास कराकर लोगों के सामने ले आवेंगे तो इस पर लोग आप को हंसेंगे, दूसरे देश के लोग आप पर हंसेंगे। दूसरे देशों में, दूसरी स्टेटों में पॉवर्स और फंक्शन्स डिफाइन किये हैं इसमें लेजिस्लेचर पास किये हैं, पर किसी ने कहीं भी इस प्रकार से "शैल" शब्द का प्रयोग नहीं किया है। पॉवर हमेंशा पर्मिसिबल रहते हैं।

दूसरी बात यह कही है The Board will co-operate with the authorities in such manner and for such purposes as the Board may determine. Whether they are to-Cooperate or not why do you use the word 'shall' which does not look very nice. मेरे कहने का मतलब यह है कि यह तो ठीक है। आपने रास्ता रक्खा है बोर्ड के लिये Whether I am to co-operate with a certain party or not, it is my discretion. But my contention is, why do you use the word 'shall' which does not smell very nice? तो यह कोई डीसेन्ट नहीं लगता। एक तरफ तो आप कहते हैं आपकी मर्जी है आप किसी के साथ कोऑपरेट करें या न करें। यह आप ही तय करेंगे, पर इसके बाद 'शैल' यूज़ करते हैं तो वह इस तरह हो जायगा "You shall co-operate with the person with whom you decide to......"

इससे सेन्सलेस लगता है यह। तो मंत्री महोदय ने कहा है कि यह खास बात नहीं है। हमने तो बोर्ड को डिस्क्रिशन दे दिया है, बोर्ड ही तै करेगा। इसलिये इसमें 'शैल' यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं होता। बात ठीक कहते हैं। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि सेंसलैस वर्ड फिर क्यों यूज़ करते हैं? वहां फिर वह "शैल" 'शैल' ही नहीं रहता है।

We should be very careful in the use of the word 'shall' in legislation.

लेजिस्लेचर में जब "शैल" रहता है तो यह ठीक नहीं समझा जाता।

दूसरी बात यह कहनी है कि आपने उस दिन पांच नम्बर के लिये कहाथा। मैं मानता हूं कि मिसाल पर कहा गया था। मान लीजिये पाकिस्तान से आकर कोई यहां एडमिशन लेना चाहता है तो इसके माफिक देना चाहिये, आपने कन्डीशन्स रख दीं उनको उसने फुलफिल कर दिया उसके रूल्स बना दिये और अगर आपने रूल्स में नहीं लिखा तो उनको नहीं देने के लिये कोई रास्ता नहीं रह गया। अब कई वजह हो सकती हैं एडमिशन नहीं देने की, दूसरी पर आपने जो 'शैल' यूज़ किया है इससे रिफ्यूज़ करना चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे। आप एक रेस्पोन्सिबल बोर्ड बना रहे हैं पर आपको यह डर है कि कहीं यह अनाप-शनाप भर्ती नहीं कर लें, अगर कहीं आप अपने लड़के को एडमिशन दिलाना चाहें और उसको इन्कार न कर दे इसलिये आप यह शब्द 'शैल' रख रहे हैं, ऐसा लगता है। तो अगर बोर्ड में आपको कॉन्फीडेन्स कम है तो मैं तो कहूँगा कि यह कोई शिक्षा शास्त्रियों का बोर्ड नहीं है, आप तो इस तरह से एक चपरासियों का बोर्ड बना रहे हैं, यह आप कोई एजुकेशनिस्टों का बोर्ड नहीं बना रहे हैं।

(श्री पी० के० चौधरी)

इस देश के जो हमारे भावी नागरिक हैं, इस देश के जो भावी स्तम्भ हैं, जो बालक हैं या विद्यार्थी हैं, उनके चरित्र के निर्माण करने के लिये जिस बोर्ड को आप बना रहे हैं और इतनी भारी जिम्मेदारी जिस बोर्ड पर आप डाल रहे हैं, पर जरा सा कॉन्फीडेन्स इसके डिस्क्रेशन पर आपको नहीं है, तो मुझे तो यह मजाक सा लगता है; ठीक नहीं लगता है; डिग्नीफाइड नहीं लगता है मेरी शिकायत इसी बात की है। शिक्षा का बोर्ड मत बनाओ, चपरासियों का बोर्ड बना दो और 'शेल' लिख दो। लेकिन जब आप एक शिक्षा का बोर्ड बनाते हैं, देश के नव-निर्माण की बात करते हैं, विद्यार्थियों के चरित्र गठन की बात करते हैं, उस पर भरोसा है तो अगर 'शेल' नहीं लिखेंगे तो क्या वह बोर्ड विद्यार्थियों को उसमें भर्ती नहीं करेगा? इसलिए यह जो लैंग्वेज है वह कोई डिग्निफाइड लैंग्वेज नहीं है।

मैं मानता हूँ कि इसमें पर्सनल फेक्टर्स आते हैं, माननीय मिनिस्टर महोदय इसको अब कैसे बदलें, क्योंकि इसमें उनकी इज्जत जाती है। लेकिन जब लेजिस्लेशन बनाते हैं तो उस समय इस प्रकार की बातों को एक्सेप्ट करने में ग्रेस रहती है। इसमें कोई ग्रेस नहीं है कि पकड़ कर बैठ गये तो बैठ गये। इसको मैं ठीक नहीं मानता हूं।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

क्लॉज़ १२ है। ३ के लिए समझ लीजिये :

"to publish the results of the examinations of the Board." 'shall' publish the results......They must publish the result.

फर्ज कीजिये, बोर्ड में ऐसी बात होती है, हर साल ही होता है, कुछ न कुछ केन्डीडेट्स का रिज़ल्ट पब्लिश नहीं करते हैं, रोक लेते हैं और फिर काफी देर से पब्लिश करते हैं। अगर यहां पर 'शेल' लिख देते हैं तो फिर इसमें बोर्ड का क्या डिस्क्रिशन रहा? क्या इसमें सब ही सर्कम्स्टान्सेज़ को विस्यूलाइज़ कर लिया कि क्या होगा और क्या नहीं होगा? लेकिन होता यह नहीं है। कुछ न कुछ कन्सीडरेशन्स तो उनके रहते हैं, किसी ने कॉपी की है, किसी एग्ज़ामिनर ने गलती कर दी और रिज़ल्ट इसीलिए पब्लिश नहीं करते हैं क्योंकि उसके विषय में बड़ी बातें उनके विचाराधीन रहती हैं। अगर यहां 'शेल' लिख देंगे तो दे मस्ट पब्लिश दी रिज़ल्ट। क्या आप मानते हैं कि बोर्ड चलावेंगे तो वे रिज़ल्ट नहीं पब्लिश करेंगे? क्या यह सोचते हैं कि 'शेल' नहीं लिख दें तब तक रिज़ल्ट पब्लिश नहीं करेंगे? 'शेल' शब्द कान में खटकता है। यह जो लोग बोर्ड में आवेंगे उनको भी यह खटकेगा। एक बोर्ड तो बना दिया है लेकिन सब में 'शेल' लिख दिया है। किसी इन्सान को यह पसन्द नहीं होता है कि सब में मेन्डेटरी हो। आप करिये, आपको अख्तियार है। मैं यह नहीं समझता कि अगर इसमें 'शेल' नहीं लिखेंगे तो बोर्ड रिज़ल्ट भी पब्लिश नहीं करेगा। फिर आगे लिखा है :

"to adopt measures to promote the physical, moral, cultural and Social welfare of students in recognised institutions."

मान लीजिये उन्होंने मोरल, कल्चर के लिए कुछ नहीं किया? इस कानून के द्वारा एक स्टेच्यूट हो जाता है। मोरल के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पावेंगे। कई फन्क्शन्स उनको

(श्री पी० के० चौधरी)

दे दिये हैं, वे बढ़ते भी जावेंगे, इसमें और भी अमेन्डमेंट्स आवेंगे और फन्क्शन्स जुड़ते जावेंगे। फन्क्शन्स के लिए तो 'शेल' यूज़ करना चाहिए। लेकिन जहां पॉवर्स देते हैं वहां पॉवर्स में 'शेल' यूज़ नहीं किया जाता है; he shall use his powers, He will use his powers.

यह होता है। इसलिए मेरा यह नम्र निवेदन था कि यह ठीक नहीं लगता है। 'शेल' शब्द कान में खटकता है। फन्क्शन्स में 'शेल' लगता है लेकिन जहां पॉवर्स देने का सवाल आता है वहां 'शेल' यूज़ नहीं करते हैं। पॉवर्स डिस्क्रीशनरी रहते हैं, वह यूज करें या न करें। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से दुबारा अर्ज करूंगा कि फिर इस पर सोच लें और 'शेल' शब्द को पकड़ कर इसमें न रखें।

श्री बृज मोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री बृज मोहनलाल शर्मा : इस 'शेल' शब्द के यूज़ पर।

श्री अध्यक्ष : This is too late.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं सिर्फ पोजिशन एक्स्प्लेन करना चाहता हूँ।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : This is a legal point.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन था कि सेकन्डरी एजुकेशन को फ्री और कम्पलसरी बनाया जाय। उस पर माननीय मंत्री महोदय ने जो उसके अगेन्स्ट में आर्ग्यूमेन्ट्स दिये, तो उसमें मैं यह नहीं समझ सका कि उनको एतराज क्या था और किस बेसिस पर वे इसको अॉपोज़ कर रहे थे ? उन्होंने पहले जो लीगल डिफिकल्टीज़ बनायीं, हो सकता है कि इसके अगेन्स्ट लीगल डिफिकल्टीज हों. लेकिन अगर प्रगति के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए लीगल डिफिकल्टीज़ आवेंगी और अगर उनको मद्दे नजर रखेंगे तो उनको फेस नहीं कर सकेंगे। लीगल डिफिकल्टीज़ आती हैं तो आने दीजिये। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे लेजाना है और जब हम यह निश्चय कर लेते हैं तो लीगल डिफिकल्टीज़ के पीछे नहीं रहना है। लीगल डिफिकल्टीज़ आती हैं, लॉ बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि वह देश और इन्सान के पर्पज़ को सर्व करे। अगर कोई लॉ अपने देश और प्रान्त के पर्पज़ को सर्व नहीं करता है तो ऐसे लॉ को फैंक देना चाहिए। अगर आप नहीं फैंकेंगे, पुराना हो गया है और वह जनता के एक्सपेक्टेशन्स को सर्व नहीं करता है, उनके पर्पजेज़ को सर्व नहीं करता है तो उसका नतीजा क्या होगा ? अगर आप उसको नहीं फैंकेंगे तो देश की जनता उसको फैंक देगी।

फिर उन्होंने फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ बतायीं। कितने करोड़ों पर पहुँच गये। इस पर मैं उनके स्टेटमेन्ट को चेलेन्ज नहीं कर सकता लेकिन अगर इतने फिगर्स बताये, तो उन्होंने, शायद गवर्नमेंन्ट ने यह भी निश्चय कर लिया होगा कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन पर इतना एक्सपेन्डीचर, अगर फ्री और कम्पलसरी करते हैं तो होगा। लेकिन प्लानिंग के युग में माननीय मंत्री महोदय ने अब तक जवाब नहीं दिया कि प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कम्पलसरी के लिए टार्गेट डेट यह है और उस डेट तक इसको कर देंगे।। यह अगर निश्चित नहीं है तो आपका निश्चय होना बहुत मुश्किल है।

(श्री श्रीमानसिंह)

एक माननीय सदस्य जो डीग कांस्टिटयुएन्सी से आये हैं उनके भाषण को मैं हमेशा इर्रिलेवेन्ट मान कर चलता हूँ। वे शुरू करते हैं राजा भोज से....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह पर्सनल रिफ्लेक्शन नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : इसी पर कहिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हमेशा इर्रिलेवेन्ट होते हैं, क्या यह पर्सनल रिफ्लेक्शन नहीं है ?

श्री श्रीमानसिंह : That is my opinion, Sir, I cannot help it.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : I want a ruling from the Chair.

श्री अध्यक्ष : इर्रिलेवेन्ट बताना कोई रिफ्लेक्शन नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बार बार बताना ?

श्री श्रीमानसिंह : If it is a matter of habit with you how can I help it ?

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I think the hon'ble Member has no right to condemn a man for all times.

श्री श्रीमानसिंह : I am condemning for the present time. अध्यक्ष महोदय, उन्होंने शुरू किया राजा भोज से। पास्ट से उन्होंने शुरू किया। फिर आये अपने सेक्रिफाइसेज़ पर, अपना तजुर्बा शिक्षा पर है उस पर और फिर उन्होंने कहा कि रूस का उदाहरण क्यों लाते हैं ? उनकी फ्री और कम्पलसरी के विषय में जो लोजिक है वह मेरी समझ में नहीं आई। वह मानते हैं कि राजा भोज के वक्त में शिक्षा फ्री थी, और लागू करना चाहते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन चूंकि रूस का उदाहरण देते हैं इसलिए यह नहीं करना चाहिए, यह मुझे समझ में नहीं आया। चाहे मैं उदाहरण रूस का दूं या और किसी देश का; अगर पास्ट में फ्री एजुकेशन बताते हैं, फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन थी तो आज ट्वेन्टियेन्थ सेन्चुअरी में वह क्यों नहीं हो, यह समझ में मेरे नहीं आया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा लोजिक नहीं था। उस वक्त की सामाजिक हालत बतायी थी।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपकी समझ में अगर नहीं आता है तो आपका कुसूर है। क्या आपका कुसूर है ? आपकी अक्ल का कुसूर है।

श्री श्रीमानसिंह : मुझे सब से ज्यादा आपका कुसूर दिखता है इसमें। फिर, अध्यक्ष महोदय, उन्हीं माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस स्टेज पर जब कि सेकन्डरी एजुकेशन बिल डिसकस हो रहा है मुझको इस बात का यह प्रयत्न करना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी हो जाय। मैं अगर यह संशोधन रखता हूं सेकन्डरी एजुकेशन बिल पर कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कम्पल्सरी हो तो वे ही माननीय सदस्य यह ऑब्जेक्शन लेते कि यह स्टेज ही नहीं है। यह बिल तो सेकन्डरी एजुकेशन का है और माननीय सदस्य संशोधन रख रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। उन्होंने फिर यह कहा कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए पहले कोशिश करो। मैं

(श्री श्रीमानसिंह)

मानता हूं। मगर यह स्टेज और इस बिल के अन्दर यह संशोधन नहीं आ सकता कि प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कम्पल्सरी किया जाय। जब हम सेकन्डरी एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो सेकन्डरी एजुकेशन के लिए ही संशोधन रख सकते हैं।

आज मन्त्री महोदय ने यह कहा कि अगर हम फ्री और कम्पल्सरी एजुकेशन के पॉवर्स इस बोर्ड को दे देते हैं तो टैक्सेशन के पावर्स भी हमको देने पड़ेंगे। यह लोजिक मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अगर बोर्ड के पॉवर्स और फंक्शन्स में यह दें कि फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेशन वह रखे और बोर्ड टैक्सेशन के पॉवर्स ले, तो इसका मतलब यह होगा कि बोर्ड को गवर्नमेंट विदिन गवर्नमेंट क्रियेट कर रहे हैं। यह टैक्सेशन के पॉवर्स जो हैं वे वही आदमी, वही इन्स्टीट्युशन्स एक्सर्साइज् कर सकते हैं जो कि जनता के रिप्रेज़ेन्टेटिव हों। चूंकि यह बोर्ड जो है वह नोमिनेटेड बोर्ड है और जब नोमिनेटेड है तो हम कभी भी उसको टैक्सेशन के पॉवर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि "नो टेक्सेशन विद्आउट रिप्रेज़ेन्टेशन" का जो फॉर्मुला है उसको हमें एडहिअर करना पड़ेगा और इस फॉर्मुले के लिए आपको मालूम है कि अमेरिका ने इन्डिपेन्डेन्स वार लड़ी थी और अब हम इस फॉर्मूले से एडहिअर न करें और ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स और एसोसियेशन्स को टैक्सेशन के पॉवर्स दे दें तो यह डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपल्स, सिद्धान्तों के खिलाफ रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय एक्स-स्पीकर हैं उन्होंने कॉन्स्टीट्यूशन को कोट् किया और उसमें यह बताया कि १४ साल तक जो हैं उनको फ्री एन्ड कम्पल्सरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइडेड है। मेरी यही तो एक सबसे बड़ी दलील है, फ्री एन्ड कम्पलसरी स्टेज पर आकर वेट् ही यही है कि देश के संविधान के अन्दर १४ साल तक का प्रोवीजन है, उस पर माननीय मंत्री महोदय ने लाइट नहीं फेंकी। जब १४ साल तक कम्पल्सरी एजुकेशन की गारन्टी करते हैं तो दो साल के पीरियड की गारंटी एजुकेशन की है वह सेकन्डरी एजुकेशन के अन्दर आता है। आखिर उन दो सालों को कैसे एड्जस्ट करेंगे? क्या आप दो साल तक कम्पल्सरी एजुकेशन देंगे और दो साल तक नहीं देंगे? आखिर यह चीज इस बिल में कम से कम क्लियर होनी चाहिये। फिर अगर संशोधन के रखने के खिलाफ लीगल डिफिकल्टीज़ हैं तो मैंने मंत्री महोदय से अर्ज किया था कि जनरल एजुकेशन एक्ट बनाना चाहिए जिसमें क्लियरली स्टेट की पोलिसी को इन्डीकेट करें और जनरल एजुकेशन एक्ट बनाने को आप तैयार नहीं हैं और जब ऐसे संशोधन आते हैं तो उनको कहते हैं कि शायद प्रोपेगेन्डा या पब्लिक ओपीनियन केच करने के लिए यह हो सकता है। आपका यह दृष्टिकोण है, आपका शायद जवाब देने का यह दृष्टिकोण हो सकता है, मगर जो यहां रखने का दृष्टिकोण है वह यह है कि जो बड़े शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने माना है। जो शिक्षा के विशेषज्ञ इस चीज को नहीं मानते हैं उनके लिए कम से कम मेरी राय यह है कि वे शिक्षा के विशेषज्ञ कहलाने के या क्लेम करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि जो इस चीज को नहीं मानते हैं कि एक यूथ के लिए एजुकेशन फ्री एन्ड कम्पल्सरी नहीं दे सकते हैं और उनका यह दृष्टिकोण है तो ये शिक्षा के विशेषज्ञ उन्हीं में से हैं जो कि लिबरल एजु-

Page No.43

(श्री श्रीमानसिंह)

केशन के फोलोअर नहीं हैं, जो यह चाहते हैं कि जो हमारी कल्चरल हेरीटेज है वह एक पर्टिक्युलर क्लास के पज़ेशन में रहे, और मैं यह चाहता हूँ कि वह मासेज़ के पज़ेशन में रहे। जनतन्त्र में जो हमारे लेजिस्लेशन होते हैं तो उनका यही मकसद होना चाहिए कि वे मासेज को टच करें, वे मासेज़ के लिए काम करें, एक पर्टीक्युलर क्लास, एक पर्टीक्युलर इकॉनोमिक ग्रुप या सोसाइटी है उसके लिए नहीं होना चाहिए।

यहां पर जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसके अगेन्स्ट में दलील दी, और उनकी दलील यह थी "Putting the cart before the horse." फ्री एन्ड कम्पसलरी एजुकेशन तब करें जब कि हम पहले समाज का सुधार कर लें। समाज का सुधार वे किस तरह से करना चाहते हैं? किस तरह वे समाज के अन्दर रद्दोबदल लाना चाहते हैं, यह मैं नहीं समझ सका। मगर समाज को सुधारने में, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, किसी प्रोविन्स या स्टेट को डेवलप करने मे जो फन्डामेन्टल चीज़ है वह एजुकेशन है। उन्होंने बताया कि हमारा समाज आज सुपरस्टिशन्स और मिस्टीसिज्म जैसी चीजों में पड़ा हुआ है। इस चीज़ से वे कैसे निकलना चाहते हैं, यह उन्होंने नहीं बताया। अगर इन चीजों को डिस्पेल करना है, सोसाइटी को इम्प्रूव करना है तो उसका मामूली रीज़न है कि हम फ्री एन्ड कम्पल्सरी एजुकेशन करें। मगर यही बात है कि कहना वे कुछ चाहते हैं और कहते कुछ हैं। उन्होंने कहा कि फ्री एन्ड कम्पल्सरी एजुकेशन के पहले समाज को सुधारा जाय, लेकिन समाज को सुधारने का दूसरा तरीका नहीं बताया। या तो वह बतायें जो कि डिक्टेटरशिप के अन्दर है या यह बतावें जो कि डेमोक्रेसी ने एडॉप्ट किया है। डेमोक्रेसी का जो तरीका है वह यही है कि समाज को शिक्षित बनाया जाय, समाज को इम्प्रूव करने के लिए शिक्षा दी जाय। समाज शिक्षित तभी हो सकता है जब कि एजुकेशन फ्री एन्ड कम्पल्सरी रखें।

फिर एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि फ्री एन्ड कम्पल्सरी एजुकेशन करेंगे तो वह सुसाइड् होगा। मेरी समझ में नहीं आया कि सुसाइड् किसका होगा? हो सकता है कि फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेशन मासेज के लिए नहीं बल्कि एक पर्टीक्युलर इन्डिविजुअल के लिए सुसाइड् हो। यदि वह मासेज को फायदा देता है और कोई इन्डिविजुअल उससे सुसाइड् करता है तो यह समझा जा सकता है। वह ब्रॉडर आउटलुक नहीं रखते हैं तो लेट देम कमिट सुसाइड्। फिर सुसाइड् किसी चीज का होगा? सुसाइड् किसी प्रान्त, मासेज या नेशन का नहीं होगा। फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेशन से नेशन व प्रान्त डेवलप करेंगे। यदि हम रिकन्स्ट्रक्शन के अन्दर जो टार्गेट है उसको एचीव करना चाहते हैं तो वह तभी एचीव कर सकते हैं जब कि १४ से १७ साल के लड़के डेवलपमेंट के अन्दर भाग लें।

मैंने यह भी अर्ज किया था माननीय मंत्री महोदय से कि यह १४ से १७ साल का पीरियड ऐसा है कि इस पीरियड के अन्दर वे रूट्स नहीं लेंगे तो जिन्दगी के अन्दर कभी भी रूट्स नहीं ले सकेंगे। इसके लिए यह रहता है कि गुड रूट हो या बेड रूट हो, अगर वे एडो

(श्री श्रीभानसिंह)

लेसेन्ट्स हैं, अगर इस एज के अन्दर हम उनको शिक्षा के द्वारा वर्किंग फिलोसोफी से प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक स्टेबिलिटी नहीं देंगे, अगर उनके लिए चान्स ऑफ चोइस नहीं रख सकते हैं, हम कॉल नहीं कर सकते हैं उनके कन्ट्रीब्यूशन को । जो उनकी क्रिएटिव एनर्जीज् हैं उनको युटिलाइज् नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि आप जुविनाइल डेलिक्वेन्सी पैदा करेंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि आप जेलों के अन्दर जायेंगे, जिस क्रिएटिव एनर्जी को युटिलाइज् नहीं करेंगे तो...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : On a point of order, Sir, he should confine his arguments only to those points which I have touched and he cannot raise any new points in his right of reply.

श्री श्रीभानसिंह : I am not raising any new points.

मेरा यह कहना था कि यह नहीं रखेंगे तो आखिर इस एज के ग्रुप को गवर्नमेंट किस योजना के ग्रू डील करना चाहती है ? किस तरह से उनकी क्रिएटिव एनर्जीज् जो हैं उनको युटिलाइज् करना चाहते हैं ? इस पर मंत्री महोदय ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है । मैं उम्मीद करता था कि शायद फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज् की वजह से यह कह दें कि हम ७० (सन् १६५०) के अन्दर यह कर देंगे, मगर यह भी नहीं ।

फिर मैं हाउस को और मंत्री महोदय को सब बता देता तो काम कैसे चलता ? उन्होंने रूस की एग्जाम्पल दे दी, मगर मैं बताऊं कि रूस के अन्दर अभी भी कम्पलसरी एजुकेशन है, फ्री नहीं है । सर्टेन इनकम ग्रुप्स है उनसे चार्ज करते हैं, लेकिन वे चार्ज करते हैं बोर्डिंग और लोजिंग का और एजुकेशन जो कम्पल्सरी स्टेज पर है वह कम्पल्सरी है । मैंने यह नहीं बताया था मंत्री महोदय को वर्ना वे फिर मिसकोट कैसे करते ? तो अभी भी रूस के अन्दर एजुकेशन कम्पलसरी है । वे यह कहते हैं कि ४०—५० साल हो गये लेकिन वहां (रूस) में भी कम्पल्सरी एजुकेशन नहीं हुई है, तो वे यह गलत कहते हैं । वहां पर एजुकेशन कम्पल्सरी है । इसलिए अभी भी मैं फिर अनुरोध करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा मंत्री महोदय से कि वे मेरे संशोधन को एक्सेप्ट करें ।

१. ० म. प.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन.... (To Shri Shribhan Singh) Do you want to withdraw your amendment ?

श्री श्रीभानसिंह : Yes, Sir, I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज् ६ में श्री श्रीभानसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है ।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : About Shri P. K. Chowdhry's amendment, has the Minister anything to say or reconsider or is he still of the opinion....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : There is an authority in 1954 from the Supreme Court which has said that wherever no penalty is provided the word "shall" also be interpreted as "may".

श्री अध्यक्ष : This is a question of legel phraseology.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज ९, १० और ११ विधेयक के अंग बने।

श्री श्रीभानसिंह : I have an amendment on clause 9.

श्री अध्यक्ष : At this stage when we have concluded discussion on this ?

श्री श्रीभानसिंह : Not on this amendment. I have moved for a new sub clause (1) to be added.

श्री अध्यक्ष : At this stage only the clause as a whole can be taken up.

श्री श्रीभानसिंह : No. Sir.

श्री अध्यक्ष : You were not here when we were asking the Minister to reply to the debate on the amendments.

श्री श्रीभानसिंह : But, Sir, these amendments were not moved.

श्री अध्यक्ष : Which amendments ? There are only two amendments which you have moved. There is one more amendment as I said, it was circulated only last night, but you were not here to move it.

श्री श्रीभानसिंह : The discussion was on another amendment.

श्री अध्यक्ष : We had taken all the amendments on clause 9 as a whole.

श्री श्रीभानसिंह : These amendments I tabled yesterday......

श्री अध्यक्ष : You were not here to move.

श्री श्रीभानसिंह : How could I move the amondment ? The discussion was on free and compulsory education. In that I could not move it.

श्री अध्यक्ष : There is no question of that. The clause as a whole was taken and whatever amendments were there they were taken together.

प्रश्न यह है.........

श्री श्रीभानसिंह : But, Sir, there is my note of dissent on this clause.

श्री अध्यक्ष : Well you can speak about it when the time comes.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज ९, १० और ११ स्वीकार किये जावें.........

श्री श्रीभानसिंह : On Clause 9 there is my Note of Dissent.

श्री अध्यक्ष : You want te speak on clause 9 as a whole ?

Page No.46

श्री श्रीमानसिंह : Only on sub-clauses (2) and (3) of clause 9.

श्री अध्यक्ष : But do you want that clause 9 as a whole should be thrown out or not ? If not, what will be the discussion now ?

श्री श्रीमानसिंह : I have tabled my amendment.

श्री अध्यक्ष : That amendment cannot be moved.

श्री श्रीमानसिंह : The Hon'ble Minister is not objecting.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have got objection, Sir, because all the amendments were taken together.

श्री श्रीमानसिंह : No, Sir.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : They were taken and I was asked to reply. All the amendments were there and they were moved and then my reply was sought and therefore.........

श्री श्रीमानसिंह : Reply only on my amendment of free and compulsory education..........

श्री अध्यक्ष : Actually there were only two amendments.

श्री श्रीमानसिंह : But the third remains and there is my note of Dissent in sub-clauses (2) and (3) of clause 9.

श्री अध्यक्ष : You have not spoken about that when you were called upon to speak and there is no chance of speaking now. I think we would be too late if we allow you to move the amendments.

श्री श्रीमानसिंह : I have given a general note of Dissent on clause 9.

श्री अध्यक्ष : Then you want to speak on Clause 9 ?

श्री श्रीमानसिंह : Only on sub-clauses (2) and (3).

श्री अध्यक्ष : There is no definite amendment.

श्री श्रीमानसिंह : The note of Dissent is there.

श्री अध्यक्ष : But the note of Dissent does not cover any amendment at any time. At this stage you can only say that the clause as a whole may be thrown off. well you can speak on that.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Sir, at the outset I must thank your honour to allow me to speak on subclauses (2) and (3) of clause 9 मिस्टर स्पीकर, सर, आज हमारे यहां एग्जामिनेशन की जो पद्धति चल रही है उसके अगेन्स्ट जो कि बिल के अन्दर रखा है, Sub-clause (2) : "conduct public examinations at the end of secondary stage" and sub-clause (3): "publish results of the examinations of the Board."

अध्यक्ष महोदय, जहां तक एग्जामिनेशन्स की प्रणाली है उस पर एक डेफिनिट ओपिनियन विशेषज्ञों की नहीं है और जब डेफिनिट ओपीनियन नहीं है तो मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि फिर हम जो पुरानी प्रणाली है, उसे

(श्री शोभानसिंह)

ही एडॉप्ट करें और इसी डर की वजह से कि हमारे यहां जो एग्ज़ामिनेशन का ओथोंडेक्स सिस्टम है उसी को कहीं बोर्ड एडॉप्ट न कर ले, मैं चाहता था कि मैं मेरा अमेन्डमेंट मूव कर सकता और उसके लिए मुझे इजाजत मिलती, लेकिन नहीं मिली। फिर भी हमें देखना है कि एग्ज़ामिनेशन्स जो कंडक्ट करते हैं उनका क्या पोइन्ट ऑफ व्यु है? उनका पोइन्ट ऑफ व्यू जो है वह यह है कि प्युपल्स की जो योग्यता है उसको जानना चाहते हैं। उसे जानने के लिए हम एग्ज़ामिनेशन्स को कंडक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रणाली अब तक चली आ रही है, इन्टेलेक्च्युअल अटेन्मेन्ट या प्रोग्रेस है, क्या सही रूप में एग्ज़ामिनेशन्स से जान लेते हैं; यह देखना है और जब पुराना सिस्टम ऑफ एग्ज़ामिनेशन्स फोलो किया तो हमें अब नया सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इस ओर क्लियर इन्डीकेशन सरकार करे। पुराने सिस्टम को हर हालत में एडॉप्ट नहीं कर सकते। पुराने सिस्टम में विद्यार्थी क्रेम करते हैं, मेमोराइज़ करता है और फिर बाद में एग्ज़ामिनेशन में एपियर होते हैं। उसमें वे पास हों या फेल हों लेकिन नतीजा यह था कि कभी अपनी इन्टेलिजेन्स को एक्सरसाइज़ नहीं करते और हमारे टीचर्स का भी एक दृष्टिकोण था और वह यह था कि जो कुछ भी हो, हमारे स्टूडेन्ट्स एग्ज़ामिनेशन्स में पास हों। जिस तरह एक फर्म का मेनेजर साल के अन्त में अपना प्रोफिट एण्ड लोस एकाउन्ट शो करता है उसी तरह से कॉलेज के प्रिन्सिपल्स साल भर में प्रोफिट एण्ड लोस एकाउन्ट शो करते हैं, ५०० में से २०० लड़के पास हो गये। अभी की जो शिक्षा प्रणाली है वह एग्ज़ामिनेशन्स पर निर्भर है और मेथड ऑफ टीचिंग है वह भी इसी पर आधारित है। वे स्टिमुलेट करते हैं कि स्टूडेन्ट्स के सामने एक ऑब्जेक्टिव रहे कि हम एग्ज़ामिनेशन में पास होने के लक्ष्य को एचीव करेंगे। यह सिस्टम सबसे ज्यादा डिस्सर्विस करता है। यदि हम यह चाहते हैं कि वही सिस्टम यह बोर्ड एडॉप्ट करे तो शिक्षा के क्षेत्र में रद्दोबदल नहीं आ सकती। सेकन्डरी एजुकेशन युनिट बाइ इट सेल्फ है, उसमें इन्टेलेक्च्युअल अटेन्मेन्ट नहीं आ सकता। लेकिन ध्येय यह है कि स्टूडेन्ट्स अपनी पर्सोनेलिटी को डेवलप कर सकें। पर्सोनेलिटी को डेवलप करने के लिये और कोई ऑब्जेक्टिव टैस्ट के लिये रखना चाहिये। एक स्टूडेन्ट एग्ज़ामिनेशन में फर्स्ट क्लास, सेकन्ड क्लास या थर्ड क्लास लाता है, डिविजन से क्लासिफाइ किया जाता है। जो मार्क्स आते हैं उससे किस तरह टीचर कह सकते हैं कि स्टूडेन्ट इन्टेलिजेन्ट है या नहीं? एक को ३५ मार्क्स मिले, दूसरे को ३४ मिले और तीसरे को ३३ या साढ़े तेतीस मिले; तो किस तरह से उन स्टूडेन्ट्स की इन्टेलिजेन्स और इन्टेलेक्च्युअल अटेन्मेन्ट को क्लासिफाइ करते हैं? डिफरेन्स एक एक मार्क का है। ३५ मार्क्स लाने वाले को फर्स्ट डिवीजन मिल गया और ३४ वाले को सेकन्ड डिविजन और ३३ वाले को थर्ड डिविजन मिल गया। आखिर क्या क्लासिफिकेशन हुआ, क्या जस्टीफिकेशन हुआ, क्या टेस्ट हुआ, किस तरह टीचर ने टेस्ट कर लिया कि जिसके ३५ पर्सेन्ट मार्क्स हैं, वह फर्स्ट डिवीजन के लायक है, जिसके ३४ पर्सेन्ट मार्क्स हैं वह सेकिन्ड डिविजन के लायक है, और जिसके ३३ पर्सेन्ट मार्क्स हैं वह थर्ड डिविजन के लायक है? यह जो एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम है, उससे आप इन्टेलीजेन्स टेस्ट करना चाहते हैं,

(श्री श्रीमानसिंह)

लेकिन स्टूडेन्ट की इन्टेलीजेन्स टेस्ट नहीं करने देते। इसलिए यह एग्ज़ामिनेशन सिस्टम चेंज करने दीजिये, आपको बोर्ड को डाइरेक्टिव देनी चाहिए कि आखिर इस सिस्टम को किस तरह चेंज करें? आज हर जगह यह है कि जो स्टूडेन्ट डेली वर्क करता है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी जाती है, थ्री मन्थली, सिक्स मन्थली एग्जामिनेशन्स होते हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली में यह है कि जो एनुअल एग्जामिनेशन्स होते हैं उनमें, वर्ष भर जो शिक्षा दी जाती है, उसका टेस्ट होता है। लेकिन जो वीकली टेस्ट की प्रोग्रस रखी जाती है, उसका जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है उस वक्त स्टूडेन्ट की इन्टेलीजेन्स, उसके एटेनमेंट्स को कन्सीडर करने में किसी स्टेज पर कन्सीडर नहीं किया जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेन्ट के प्रति टीचर की रिपोर्ट है, जिस तरह का उसका स्कूल वर्क है, जो उसका रिज़ल्ट है, सिक्स मन्थली टेस्ट का और थ्री मन्थली टेस्ट का और जो टेस्ट कन्डक्ट किये जाते हैं उन सब को रिज़ल्ट के वक्त कन्सीडर करें क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कहां तक हमारी सेकन्डरी एजुकेशन ने स्टूडेन्ट की पर्सनलिटी को डेवलप किया है। जहां स्टूडेन्ट की पर्सनलिटी का सवाल आता है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं उनको देखना पड़ता हैं, काम में लाना पड़ता है। मैं यदि एग्जाम्पल दूं रूस की, तो फिर आप कहेंगे कि जो रूस के अन्दर सिस्टम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, वह केवल पासिंग पर ही डिपेन्ड नहीं करता है। मैं आपको बताऊं कि वहां पर हर तरह के टेस्ट लिये जाते हैं, हर तरह से चाइल्ड के डेवलपमेंट को टेस्ट किया जाता है, टीचर की रिपोर्ट मांगी जाती है, फेमिली के मेम्बर की उसके बिहेवियर के बारे में रिपोर्ट मांगी जाती है और उसके बाद उन सब को कन्सीडर करने पर एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। यदि आप यह प्रणाली रखेंगे कि जो एग्जामिनेशन में पास हो जाय, वह सबसे इन्टेलीजेन्ट है, तो इसका नतीजा यह होगा कि फिर क्रेमिंग शुरू हो जायगी, मेमोराइजिंग शुरू हो जायगा, इसका अर्थ यह होगा कि आप उसी नीति को रखेंगे जिसको आप हटाना चाहते हैं, उसी नीति को आप सेकन्डरी एजुकेशन में ले आवेंगे और इस प्रकार जिस पर्पज़ को आप सर्व करना चाहते हैं उसको नहीं कर सकेंगे।

(श्री सतीशचन्द्र के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई उप शिक्षा मंत्री की ओर संकेत करके) Please reply to this.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि शिक्षा प्रणाली में जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसीजर हो, वह इस बिल में लिख देना चाहिए। इसके साथ यह भी कहा गया है कि शिक्षा विशेषज्ञ भी एकमत नहीं हैं कि परीक्षा किस तरह से ली जाय। जब शिक्षा-शास्त्रियों में मतभेद है, तो यदि इस सदन के एक-दो माननीय सदस्य कहें कि परीक्षा प्रणाली भी इसमें रख दी जाय, तो मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं होगा; क्योंकि बोर्ड को हम हमेशा के लिए बना रहे हैं। यदि उसके सामने हम एक परीक्षा का तरीका रखेंगे तो शायद आगे की गुंजाइश बन्द करेंगे। यह बात अच्छी नहीं होगी। जो बोर्ड को अधिकार दिये गये हैं, इस कानून के द्वारा, उसमें बोर्ड को शक्ति

(श्री पूनमचन्दविश्नोई)

दी है कि वह जो प्रणाली चाहे उसे अपना सकता है और एग्जामिनेशन के लिए रख सकता है, इसमें कोई बन्दिश नहीं है कि इस तरह से अपनी परीक्षा नहीं ले सकता। जब कि शिक्षा शास्त्रियों में मतभेद है, हम कहें कि सदा के लिए यह तरीका होगा, यह मेरी राय में ठीक नहीं होगा। अच्छा तो यह है कि जो २५ व्यक्ति इस बोर्ड के सदस्य होंगे, वे शिक्षा के बारे में काफी जानकारी रखने वाले होंगे, हम यह मान कर चल रहे हैं, क्योंकि वे शिक्षा के क्षेत्र में काम रहे हैं, इसलिए हम उन पर ही छोड़ दें कि जिस प्रणाली को वे अच्छी समझें, उसके हिसाब से परीक्षा लें और अपने यहां का जो कोर्स हो, उसे प्रेस्क्राइब करें। इसलिए मेरी राय में हमें उन्हें पूर्ण छुट्टी दे देनी चाहिए कि जो अच्छी प्रणाली हो उसे अपनायें, इसमें कोई बंदिश नहीं रखें। हम जिस प्रणाली को चाहते हैं, उसको आगे के लिए रखें, अगर यह कानून १०० साल के लिए बन रहा है, तो वह प्रणाली १०० साल रहे, इस दरम्यान अगर सब हालत बदल जाय तो यह ठीक नहीं माना जायगा।

श्री अध्यक्ष : Now I will put the question.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ९, १० व ११ पास किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ९, १० व ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

अब क्लॉज़ १२ सदन के सामने है। इसमें संशोधन हैं। ये सब संशोधन एक साथ ही लिये जायेंगे और एक साथ ही उनका जवाब होगा।

श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२ में मेरा संशोधन यह है कि सब क्लॉज़ (२) डिलीट कर दिया जाय, 'सब-क्लॉज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड फंड'। सब-क्लॉज़ इस प्रकार हैं :

"Application of Borad Funds:- The annual net savings shall be placed at the disposal of the State Government exclusively for the development of secondary education in the State."

अपने संशोधन में मैंने यह रखा है कि जो बोर्ड की नेट सेविंग होगी, वह स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोज़ल पर नहीं रखी जानी चाहिए। हमने सेकन्डरी एजुकेशन बिल के तहत जिस बोर्ड की स्थापना की है, वह बोर्ड एक ऑटोनोमस बोडी है, और उस बोर्ड के जितने नेट सेविंग फंडस हों वे किसी हालत में स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोज़ल पर नहीं होने चाहिए। इसका कारण यह है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार सेकन्डरी एजुकेशन के डेवलपमेंट पर उस फंड को युटीलाइज़ कर सकती है। मेरी यह मान्यता है कि जितने भी फन्ड्स बोर्ड के हों, वे बोर्ड के डिस्पोज़ल पर होने चाहिए, क्योंकि वह भी एक ऑटोनोमस बोर्ड है और यह अधिकार उसके हाथ में हो कि इन फंड्स का सेकन्डरी एजुकेशन के विकास के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाय। यह विचार करने का प्रश्न है। जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, वह साधारण है लेकिन महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

Page No.50

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीमानसिंह ।

"Substitute the word 'Board' for the words 'State Government."

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरा भी यह संशोधन है कि जो नेट सेविंग बोर्ड की है, वह बोर्ड के पास ही रहनी चाहिए। मेरी समझ में यह नहीं आता कि स्टेट गवर्नमेंट उस नेट सेविंग को क्यों लेना चाहती है ? सेकन्डरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे को लगा सकती है, उससे अच्छा इस बोर्ड के जरिये से नेट सेविंग को काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड का मेजर फंक्शन रहेगा, बोर्ड के पास रिसर्च का काम भी रहेगा, सेकन्डरी एजुकेशन सम्बन्धी नई नई चीजों की रिसर्च करेंगे, देखेंगे। जो बोर्ड की नेट सेविंग है, उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या इसलिए रखा जाय कि बोर्ड उसका मिसयूज़ करे, उसको मिसयुटिलाइज़ करे ? यदि यह मन्शा हो माननीय मन्त्री महोदय की, तो मैं नहीं कह सकता। जब बोर्ड का पैसा है तो बोर्ड उसको युटिलाइज़ कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहे तो उसका नतीजा यह होगा कि बोर्ड में एक्स्ट्रावेगेन्सी की बात आ जायगी। जब बोर्ड सेविंग करे, इकॉनोमाइज़ करे और स्टेट गवर्नमेंट उसको ले जाय, तो किस प्रकार उसका बेनिफिट ले, यह बोर्ड के सोचने की बात नहीं रहेगी। फिर बोर्ड सोचेगा कि नेट सेविंग करने की क्या जरूरत है, जब स्टेट गवर्नमेंट उसको ले लेती है let us spend everything. क्योंकि उसके डिस्पोज़ल पर नहीं रखना चाहते हैं। जब आप ओटोनोमस बोर्ड बना रहे हैं तो उसके पास यह पॉवर क्यों नहीं छोड़ते, कि वह नेट सेविंग को युटिलाइज़ करे और चाहे तो उसे किसी बैंक में रखें। अगर यह पॉवर नहीं छोड़ते हैं तो फिर ओटोनोमस बोडी क्या हुई ? जब उसके पास फाइनेन्स नहीं हो, सेविंग नहीं रख सकता, उसके हाथ में सेविंग का कंट्रोल नहीं हो, तो फिर ओटोनोमी क्यों दे रहे हैं ! फाइनेन्स की और दूसरी पॉवर्स बोर्ड के पास ही रहनी चाहिए, नेट सेविंग युटिलाइज़ करने की पॉवर्स बोर्ड के पास रहनी चाहिए। जब आप ओटोनोमस बोर्ड रखते हैं तो यह जरूरी हो जाता है, जो बोर्ड के नेट सेविंग हों, वे बोर्ड के पास ही रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह (मसूदा)।

(अनुपस्थित)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई की ओर संकेत कर) आप उत्तर दीजिये इस बहस का।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट के जरिये यह कहा गया कि अगर बोर्ड अपनी नेट सेविंग्स स्टेट गवर्नमेंट को देगा तो उस सूरत में वे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे और जिस तरीके से चाहेंगे खर्च करेंगे। दोयम यह कहा गया कि जब बोर्ड ओटोनोमस है तो इसकी ओटोनोमी क्या रही, जब उसके पास नेट सेविंग्ज़ नहीं रहेंगी ? क्लॉज़ १२ में साफ है कि :

"...exclusively for the development of Secondary Education in the State."

नेट सेविंग्ज़ रहेंगी, राज्य सरकार उन्हें सेकन्डरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिये खर्च करेगी। जहां तक खर्च करने का सवाल है बोर्ड के पास मशीनरी नहीं है, राज्य सरकार के पास मशीनरी है, महकमें हैं, सेकन्डरी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

एजुकेशन के डेवेलपमेंट के लिये जहां कहीं काम है, क्षेत्र में काम है वहां बोर्ड की राय लेकर राज्य सरकार उस मद पर खर्च कर सकती है। बोर्ड के पास इस प्रकार की मशीनरी नहीं होगी। इसलिये यह कहना कि बोर्ड को खर्च करने के अधिकार नहीं दिये हैं इसलिये बार्ड की ओटोनोमी नहीं रही, यह बात मुझे नहीं जंची। इस बात पर सिलेक्ट कमेटी में काफी विचार विनियम हुआ था और यही तय हुआ कि पूरा प्लान स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है न कि बोर्ड के पास, इसलिये स्टेट गवर्नमेंट के पास यह अधिकार रहना चाहिये। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि बोर्ड के पास आठ–आठ, दस दस लाख रुपया एक्युमुलेट हो जाता है, खर्च नहीं होता। जब हमें पैसे की जरूरत है और बोर्ड के पास पैसा पड़ा हुआ है और एक तो ऐसा उदाहरण है कि वह पैसा दूसरी जगह चला गया, राजस्थान सरकार के पास नहीं रहा।

यह सब विचार करके सेकन्डरी एज्युकेशन में एक मियाद में, सरकार को काम पूरा करना पड़ता है इसलिये यह चीज रखी है। यह मेरी समझ में नहीं बैठता कि राजस्थान सरकार खर्च करती है तो क्या एतराज हो सकता है, क्या राज्य सरकार बोर्ड के पैसे को Squander away कर देगी, मिसएप्रोप्रियेट कर देगी? यह तो है नहीं।

इसलिये मेरी राय में माननीय सदस्य अपने इस अमेंडमेंट को वापिस ले लें तो अच्छा रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, मुझे ऐसा मालूम होता था कि कोई ऐसी दलील देंगे जो अपील करती हुई उचित दलील होगी। पर उनके उत्तर से तो मुझे जो भय था वह और पक्का हो गया है। कहा गया कि बोर्ड के पास आठ–आठ, दस–दस लाख रुपया पड़ा रहता है, हम उसे सेकन्डरी एजुकेशन के लिये खर्च करेंगे। मैं समझता हूँ इस प्रकार की स्थिति में राजस्थान में बोर्ड के पॉवर्स में और फंक्शन्स में है कि वह एवार्ड, स्कोलरशिप, मेडल्स, प्राइज़ेज़ देगा, लेक्चर्स, डिमोन्स्ट्रेशन्स, सेमिनार्स, सिम्पोज़ियम्स, एग्ज़ीबिशन्स ऑर्गेनाइज़ करेगा। इसी प्रकार सेकन्डरी एजुकेशन के प्रचार और प्रसार के लिये हर संभव क्षेत्र में हर संभव तरीके से रुपया या धन का उपयोग करेगा। मैं समझता हूं कि यह नेट सेविंग्ज़ स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे रख दिये तो आज इस स्थिति के रहते हुए भी मैं यह नहीं कहना चाहता पर पुराना अनुभव हमें बताता है कि किस प्रकार मनी मिसएप्रोप्रियेट होता है, मैं यह नहीं कहता कि बोर्ड का रुपया राज्य सरकार मिसएप्रोप्रियेट कर लेगी पर सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड जो कि एक कॉम्पेटेन्ट बोडी है, जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, तो सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड के बारे में, इसके फंक्शन्स के बारे में क्यों शंका होती है कि वह कुछ नहीं कर सकेगा? मैं समझता हूं एक ओटोनोमस बोडी बनाई है, जिसमें वाइस–चान्सलर हैं, डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स और डीन्स ऑफ फेकल्टीज़ हैं और गवर्नमेंट के नोमिनीज़ इसमें, हैं तो फिर इस प्रकार की शंका रखना कि बोर्ड निष्क्रिय रहेगा, रुपया ऐसे ही पड़ा रहेगा, इस प्रकार की शंका सरकार करती है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वह किंचित्मात्र भी उचित नहीं है। बोर्ड, ने सेविंग्ज़ की हैं, उन्हें स्टीमुलेशन देने, इन्स्पायर करने के लिये, बोर्ड स्वयं उपयोग करेगा तो स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में उमंग रहेगी कि स्वयं के द्वारा बचाई हुई नेट सेविंग्ज़ को अच्छे कामों में खर्च करें। नहीं तो उनके दिल में रहेगा कि जो भी हम नेट सेविंग्ज़ करेंगे उन्हें सरकार ले लेगी।

ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें तथ्य नहीं है, थोथा है और संतोषजनक नहीं है; इसलिये जहां तक मेरे संशोधन का प्रश्न है मैं उसे वापिस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री श्रीभानसिंह : उसको डेफर कर दिया जाय।

श्री पूनमचन्द : क्यों ?

श्री श्रीभानसिंह : १५ भी तो डेफर किया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १५ को तो और कारणों से डेफर किया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : डेफर नहीं करते तो इसको प्रेस करेंगे, साहब। अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय ने इस बारे में आर्ग्युमेंट दिये हैं कि राजस्थान सरकार सेकन्डरी एजुकेशन को डेवलप करेगी, प्रिएम्बल में लिखा है कि -

"Whereas with a view to develop the system of secondary education in the State..."

यह तो प्रिएम्बल में बोर्ड को दे दिया है, बोर्ड की जो अगर नेट सेविंग्ज़ ले लें तो, ऑलरेडी बोर्ड को यह दिया है, तो ऐसी सूरत में बोर्ड नेट सेविंग्ज़ को युटिलाइज़ करे तो इसमें क्या एतराज़ है ? २६ लाख का हाइपोथेटिकल किसी बोर्ड का उदाहरण दिया कि वह दूसरी जगह चला गया, शायद उनका मतलब होगा अजमेर से, वह तो सेंटर से निर्णय करायें कि अजमेर बोर्ड को क्यों सेंटर ने ले लिया और इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़े। राजस्थान सरकार की ऐसी मंशा है कि वह ऐसी एजेंसी रखे जो एजुकेशन भी दे और नेट सेविंग्ज़ भी करे और उसके द्वारा की गई नेट सेविंग्ज़ को स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करे। इसके लिये फंक्शन्स बोर्ड को देते हैं तो नेट सेविंग्ज़ बोर्ड को क्यों नहीं देवे, या तो आप बोर्ड को कॉम्पीटेन्ट बोडी नहीं मानते या आप उसे ट्रस्ट नहीं करते। बोर्ड के पास भी मशीनरी है और बोर्ड अपनी नेट सेविंग्ज़ को युटिलाइज़ कर सकता है, उसी में युटिलाइज़ करेगा जिसमें आप चाहते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट इन नेट सेविंग्ज़ को किसलिये अपने पास लेना चाहती है ? नेट सेविंग्ज़ गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं तो फिर उनको खर्च करने का गवर्नमेंट को अधिकार रहता है कि वह चाहे उसमें खर्च करे, इसको टीचर्स की पै बढ़ाने में, हैल्थ सर्विसेज़ में यूज़ करे।

बोर्ड को इतने पॉवर्स-फंक्शन्स दिये हैं, इतनी कमेटीज़ बनाई हैं, पेड चेयरमेन, वाइस चेयरमेन रखे हैं, बोर्ड उनको पै करेगा और बोर्ड की नेट सेविंग्ज़ स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी तो उस सूरत में बोर्ड सोचेगा कि इन पैड चेअरमेन और दूसरे लोगों की पै करने में इकोनोमाइज़ करके सेविंग्ज़ करेंगे, उनको बार्गेन बेसिस पर एम्प्लोय करेंगे तो इन सेविंग्ज़ का क्या नतीजा होगा ? ये सेविंग्ज़ गवर्नमेंट के पास जायेंगी।

(श्री श्रीभानसिंह)

फाइनेन्शियल पॉवर्स डीवेल्युएशन बिट-वीन सेंटर एन्ड प्रोविन्सेज़ के बारे में रिपोर्ट को देखें तो पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्युशन ओफ टैक्सेशन का नतीजा क्या हुआ है ? सब रिपोर्ट्स में देखेंगे कि उन्होंने प्रोत्साहन दिया है wastefulness को। सबने यही देखा कि नेट सेविंग्स हम करें और दूसरी एजेंसी यूटी-लाइज़ करे, तो नेट सेविंग्ज़ ही क्यों की जाय ?

इसलिये मैं मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि वे इस पर फिर से विचार करें और इसे स्वीकार करें।

श्री नारायणसिंह : Mr. speaker, Sir.......

श्री अध्यक्ष : Your amendment was not moved because you were not here. You were not present at the time it was callad.

श्री नारायणसिंह : May I have a right to say something ?

श्री अध्यक्ष : In what connect ion ?

श्री नारायणसिंह : In the same connection.

श्री अध्यक्ष : I do not think th-ere is any stage at which you can speak now.

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई की ओर संकेत करके)

You do not want to defer it ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र ने क्लॉज़ १२ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री सतीशचन्द्र : 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : You challenge ? You want division ?

श्री सतीशचन्द्र : Yes, Sir.

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन क्लॉज़ १२ पर श्री सतीशचन्द्र ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(पुनः मतदान के पश्चात्)

(विराम)

'ना' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र : 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : You want divison in the lobbies ?

श्री सतीशचन्द्र : Yes, Sir

(पुनः विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १२ पर श्री सतीशचन्द्र ने रखा है, स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(श्री श्रीभानसिंह को संबोधित करते हुए)

Your amendment is also identi cal. Do you Want to press it ? perhaps no.

श्री श्रीभानसिंह : That is why I remained quiet. I want to with-draw it, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री श्रीमानसिंह ने जो संशोधन रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री श्रीमानसिंह : I withdraw my amendment, Sir.

श्री अध्यक्ष : Clause 13.

श्री श्रीमानसिंह : On a point of explanation, जरा ऐसा रहता है कि बहुत से एमेन्डमेंट हैं, उन पर बहस के समय माननीय डिप्टी मिनिस्टर ही बैठे रहते हैं, रैंक के नहीं हैं इसलिये मिनिस्टर महोदय उनको सुझाव देने के लिये बैठे रहें तो इसमें बहतर रहेगा क्योंकि डिप्टी मिनिस्टरों की कैबिनेट रेस्पोंसिबिलिटी क्या है, उन बेचारों की वहां वोइस नहीं है । यदि एक माननीय मंत्री बैठे रहें तो उचित होगा ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : Mr. Speaker, Sir, I have to submit that I have full authority to conduct the Bill.

श्री अध्यक्ष : I have no doubt about it.

श्री श्रीमानसिंह : You have full authority otherwise but you have no authority in the policy making. You are not of the Cabinet rank.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have complete authority.

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ १३.

श्री सतीशचन्द्र (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, "The accounts of the Board shall be audited annually by such agency as may be specified by the State Government, and a copy of the Audited accounts and balance sheet shall be submitted by the Board to the State Goverrnment each year by such date as the State Government may speciy."

१.३५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

My amendment to this clause is, "(i) Substitute the words 'on continuous basis' for the word 'annually' and (ii) Substitute 'Chartered Accountants to be appointed' in place of 'such agency as may be specified"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज़ है । यह बोर्ड के एकाउन्ट को ऑडिट करने के सम्बन्ध में है । अमूमन हुआ यह करता है कि कहीं से एकाउन्ट चेक कर लिया जाता है यानि यत्र-तत्र देख लिया जाता है, इससे पूरी तरह से ऑडिट नहीं होता । इसलिए मैंने यह रखा है, कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा यह एकाउन्ट ऑडिट हो । इस प्रकार से चैक नहीं होना चाहिये कि इधर-उधर से कुछ आइटम देख लिये और चैक करके कह दिया कि ठीक है । यह एक ऑटोनोमस बोडी बना है, वहां पर जहां तक ऑडिट करने का प्रश्न है वह प्रोपर वे में अच्छी तरह से on a continuous basis ही ऑडिट होना चाहिये ।

दूसरी बात, क्लॉज़ १३ में यह प्रोवीजन रखा है कि ऐसी एजेन्सी के द्वारा उसका एकाउन्ट ऑडिट कराया जावेगा जिसको गवर्नमेंट

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

मुकर्रर करेगी। मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट किसी भी डिसक्वालीफाइड व्यक्ति को जो बी. ए. या एम. ए. हो या मेट्रिक हो मुकर्रर कर सकती है, मगर ओटोनोमस बोडी में ऐसा नहीं होना चाहिये कि उसका हिसाब-किताब किसी अनाड़ी द्वारा ऑडिट कराया जाए। इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है और स्पष्ट शब्दों में रखा है। जहां तक हिसाब-किताब का संबंध है कड़ा माप-दंड रखना चाहिये और हिसाब-किताब पूरी तरह से रखना चाहिये। यदि किसी संस्था पर किसी प्रकार का अंकुश हो सकता है तो हिसाब-किताब से ही अंकुश हो सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऑडिट की व्यवस्था किसी भी नोमिनेटेड एजेन्सी को नहीं दी जा सकती इसलिये मैंने अपने संशोधन में रखा है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ही हो जिसको बोर्ड नियुक्त करेगा और वही एकाउन्ट का ऑडिट करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जहां तक मैंने संशोधन रखा है उस पर माननीय मंत्री महोदय शांति से विचार करेंगे क्योंकि यह ऑडिट का मामला है और आज तक जितने भी टंटे और घोटाले हमारे सामने आते हैं वह सही रूप में ऑडिट नहीं होने के कारण ही होते हैं। इस ओटोनोमस बोडी में कोई घोटाला नहीं हो इसलिये इसका एकाउन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा चैक कराया जाने की व्यवस्था की जाए। आज से २ साल या ५ साल बाद भी किसी तरह का कोई झगड़ा पैदा नहीं हो इसलिये हमने प्रोपर सिस्टम ऑफ एकाउन्ट रखने के लिये यह अच्छा सिस्टम बनाया है और इसी लिये मैंने यह संशोधन रखा है : "Instead of 'such agency as may be specified' I have kept 'Chartered Accountants to be appointed." यह संशोधन मैंने इसी भावना से रखा है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन क्लॉज १३ में रखा गया है, कि "instead of 'annually' 'on a continuous basis" कर दिया जावे और एकाउन्ट ऑडिट हो वह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा होना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी के अन्दर इस पर विचार हुआ था, लेकिन जिस ढंग से यह संशोधन आया है और उसके महत्व को मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि यह संशोधन अत्यन्त महत्व का संशोधन है। ओटोनोमस बोडी का एकाउन्ट किसी निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा कराया जाना चाहिये। वैसे तो इस बोर्ड में जितने भी नोमीनेटेड व्यक्ति रखे गये हैं, मैं कह सकता हूँ कि सरकारी व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए इसको ओटोनोमस नहीं कर सकते। इसलिए इसे आटोनोमस बोडी नहीं कह सकते। इस दृष्टि से इसके एकाउन्ट को ऑडिट कराना बहुत आवश्यक है कि हम किसी निष्पक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा जांच करायें। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसके हिसाब की जांच कराने के लिए इसकी वर्ष भर के बाद जांच कराई जाये या फिर ओन कन्टीनुअस बेसिस पर जांच कराई जाये ? मैं समझता हूँ कि जो संशोधन अभी जयपुर से आने वाले सदस्य ने रखा है वह बहुत ही उचित है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बोर्ड के एकाउन्ट की जांच चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा ही करायी जानी चाहिए ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। अतः जो संशोधन क्लॉज १३ में रखा गया है उसको माना जाना चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३ पर दो अमेंडमेन्ट्स पेश किए गए हैं। पहला तो यह है कि 'एनुअली' की जगह 'ओन कन्टीनुअस बेसिस' हो और दूसरा यह है कि ऑडिट चैक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से करवाया जाय। 'such agency as may be specified by the State Government' इससे यह कैसे मतलब निकाला जा सकता है कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से ऑडिट चैक नहीं कराया जायेगा और कोई ऐसे व्यक्ति से इसका ऑडिट कराया जायगा जो इस काम के काबिल नहीं होगा। मैं इसको नहीं समझ सकता, जो इस तरह की स्टेचुटरी बोडीज़ हैं इनके पास फंड्स काफी होते हैं उनके अकाउन्ट्स की जांच कन्टीनुअस बेसिस पर कराने से थोड़ी मुश्किल पेश होगी। इसलिए ही एनुअली रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया मैं समझता हूं कि शायद उनको उत्तर देना था इसलिए उत्तर दे दिया। उन्होंने यह नहीं समझा कि 'such agency as may be specified by the State Government' से अगर उनका आशय यही है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा ही ऑडिट कराया जायगा तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मन्त्री महोदय को इसमें कौन सी आपत्ति है, इस संशोधन को स्वीकार करने में ? जब वह अपना ऑडिट स्टेट ऑडिट से भी करवा सकते हैं, तो यह कहना गलत है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भी जांच कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के आटोनोमस बोडी के एकाउन्ट्स का ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा नहीं कराया जायेगा तो काफी गड़बड़ घोटाला होगा। वही हाल होगा जैसे कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी आज लाखों रुपयों का घोटाला निकालती है और इसीलिए मैंने संशोधन रखा है : The audit should be conducted by a Chartered Accountant. The Hon'ble Minister has not cleared the position. He has tried to side-track the whole issue.

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जोरदार शब्दों में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के ऑडिट का जहां तक ताल्लुक है वह एक निष्पक्ष व्यक्ति से ही कराया जाना चाहिए। हमने जो संशोधन रखा है उसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से और उत्तर के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट नहीं करायेंगे। जिस एजेन्सी से करायेंगे उसके द्वारा यह काम पूरी तरह से नहीं किया जा सकता और फिर वही गड़बड़ घोटाले होंगे। हम नहीं चाहते कि सदन का समय फिर इन घोटालों पर बहस करने में जाये और राजस्थान का सारा भाग्य चक्र इन घोटालों के चक्कर में फंस जाये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह नयी चीज़ पैदा कर रहे हैं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am in possession of the floor of the House. You cannot interrupt in between.

मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो यहां सवाल पैदा होता है तो इस सवाल के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। हम इस ऑडिट के बारे में बहुत सावधान रहें इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है। मैं फिर माननीय मन्त्री मन्त्री महोदय से निवेदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करूंगा कि इसका ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा ही कराया जाये। वह एजेन्सी जो कि सरकार नियुक्त करेगी वह एजेन्सी ऐसी होगी जिनमें कि मेट्रीकुलेट, इन्टर और बी० ए० लोग होंगे और एकाउन्टेन्सी का उनको अनुभव नहीं होगा। लेकिन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कि पांच पर्सेन्ट या छः पर्सेन्ट दे दिया जाता है और जिनका एग्जामिनेशन ऑल इन्डिया बेसिस पर होता है। इसलिए मैं समझता हूं इस संशोधन को मन्जूर करने में कोई मुश्किल नहीं आयेगी।

आपने कहा कि कन्टीनुअस बेसिस पर कष्ट बहुत होगा। लेकिन कष्ट तो आपको सुनने में भी होता है यहां पर हमारी बातें, लेकिन आपको सुननी पड़ती हैं और सुननी पड़ेंगी। बोर्ड का सही हिसाब रखने में, प्रोपर एकाउन्ट रखने में आपको क्या दिक्कतें होती हैं? एकाउन्ट का ऑडिट करने के लिए तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। हां, दिक्कत हो सकती है इस बात की क्योंकि आप चाहते हैं कि जो बातें हम चाहते हैं वे न हों। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऑन कन्टीनुअस बेसिस पर ऑडिट होना बहुत आवश्यक है ताकि बोर्ड के ऊपर, जो कि एक आटोनोमस बोडी है, उस पर, प्रोपर अंकुश रहे और घोटाले की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि एनुअली के बजाय कन्टीनुअस बेसिस पर ही इसको मानना चाहिए। यह जो हमारा ऑडिट का प्रश्न है मैं आशा करता हूँ कि आप स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amendment put in by Shri Satish Chandra be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that clauses 12, 13, 14 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

These clauses are added to the Bill.

(विराम)

Clause 15

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप शिक्षा मंत्री): Mr. Dy. Speaker, Sir. amendments may be moved and the decision be deferred.

श्री उपाध्यक्ष : The question is that clause 15 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 15 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 15 A

Let us discuss the amendments and then defer it.

श्री श्रीभानसिंह : When we are deferring the clause what is the point in wasting our energy in discussing them? Some of the Hon'ble Members who are not here will not get that opportunity because the Hon'ble Minister had given an understanding to defer the clauses.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I have never said that I shall defer these clauses. As it is related to clause

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

4, I submit that wo may have the discussion and hear the views of the Hon'ble memders.

श्री उपाध्यक्ष : So we continue.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): I move the following amendment tc clause 15 A :-

"Substitute it by the following:-

'15 A-Chairman; The Chairman of the Board shall be an eminent educationist nominated by the State Govt. and he shall be an additional member of th Board." जो बिल है उसमें यह रखा गया है, कि "The Director of education, Rajasthan, shall be the chairman of the Board.' डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन, राजस्थान को बोर्ड का चेयरमैन रहना चाहिए इसके बारे में मेरा जो एतराज है और उसकी जो वजह है वह मैं बता देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने रिप्लाई में माननीय मन्त्री महोदय जरूर बतायेंगे कि सेकेन्डरी एजुकेशन का कमीशन जो है उसमें भी बोर्ड के कॉन्स्टीट्यूशन में डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को बोर्ड का चेयरमेन रखा गया है। इसलिए मैंने किसी वजह से, किसी कारण से यह अमेन्डमेंट रखा है कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस बोर्ड का चेयरमेन नहीं हो सकता। सेकन्डरी बोर्ड के लिए कमीशन ने रिकमन्ड किया है कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस बोर्ड का चेयरमेन होगा, वहां वह यह मानकर चले हैं कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो हैं वह एजुकेशनिस्ट है और एजुकेशन के प्रोब्लम्स से उनको बहुत जानकारी है। लेकिन कमनसीबी से हमारी जो स्टेट है उसमें यह सिलसिला चलता है कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन एजुकेशनिस्ट नहीं होता है। पिछले चार सालों के अन्दर कम से कम तीन डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन आ चुके हैं और वह कहां से आते हैं? यहां जो रेवेन्यु कलेक्टर होते हैं उनको रेवेन्यू कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट लेविल से स्टेट लेविल का स्टेटस देने का सवाल आता है तो उनको डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया जाता है जो कि कभी भी एजुकेशनिस्ट नहीं रहा है और कोई भी डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन साल डेढ़ साल से ज्यादा नहीं रहा है। अब सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड है उसको बनाना है, उसकी जो पोलिसी ले डाउन करेंगे और जो आटोनोमस बोडी होगी और जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम सेकन्डरी स्टेज पर क्या है? उसके सबसे ज्यादा अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। वह डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन यदि आज एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं जानता है तो हो सकता है, जिन्होंने कभी चौथी क्लास तक को पढ़ाया नहीं ऐसे व्यक्ति को चेयरमेन बना देते हैं, सिर्फ इस बात को लेकर कि सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को बोर्ड का चेयरमेन बनाने की सिफारिश की है। इसके साथ साथ मैं यह भी बता दूं, सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन ने डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन की किन हालतों में सिफारिश की है? वहां पर उन्होंने डाइरेक्टर की क्वालिफिकेशन्स भी प्रेसक्राइब की हैं। जो कमीशन ने सिफारिश की है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं....

"The present administrative set-up is that in all States there is a Director of Education working under the direct control of a Mini-

(श्री पी० के० चौधरी)

stre who has a Secretary to assist him at the Secretariat level and a Director of Education as the executive head of the Department is responsible for offering technical advice to the Minister in all technical matters and for carrying out the policy of the Department."

They visualise that the Director of Education should be a man who may give technical advice.

"In actual practice the Director of Education has to submit his proposals for the reorganization and expansion of education to the Minister through the Secretary. This has actually meant that such proposals and policies are subjected to criticisms by the subordinate officers of the Secretariat and are even presented in a form quite different from what was originally conceived by the Director. he Secretary himself may not be fully conversant with these 'problems as he is frequently transferred from one Department of the Secretariat to another. If education is not to be treated as a mere administrative problem we feel that the Director of Education should be mainly responsible to advise the Minister and for this purpose we recommend that where the Director himself is not the Secretary of the Department, he should have the status of a Joint Secretary."

इसमें जो डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिये जो कन्डीशन्स हैं वे साफ जाहिर करती हैं कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन की क्या क्वालीफिकेशन्स हों। डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफाइड आदमी होगा। कमीशन ने सेक्रेट्री को यह पद देने के लिये मना कर दिया है क्योंकि सेक्रेट्री एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बदला जा सकता है। सेक्रेट्री जो होता है वह आई० ए० एस० का आदमी होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरिएन्स हो सकता है। जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता है वहां पर सेक्रेट्री या आई० ए० एस० अफसर काम नहीं कर सकता। मिनिस्टर महोदय यह बात कह सकते हैं कि कमीशन ने डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को यह पद देने के लिये कहा है, यहां पर जो शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर हैं उनके लिये भी यह कन्डीशन लागू होती है। कमीशन ने सिफारिश की है कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का सीधा सम्बन्ध मिनिस्टर से होगा सेक्रेटी की स्क्रुटिनी उस पर लागू नहीं होनी चाहिये, क्योंकि सेक्रेट्री हर बात को एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से देखने का आदी होता है, यही बात हमारे डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन पर लागू होती है। इसका खंडन करते हुए एजुकेशन कमीशन ने यह सिफारिश की है कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को रखा गया है वह इस ख्याल से रखा गया है, डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो होगा वह टेक्निकल आदमी होगा, डिपार्टमेन्ट का आदमी होगा। रेवेन्यू का कलेक्टर या एड्मिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी का आदमी नहीं होगा। आज तो हमारी सरकार ने डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन की पोस्ट को ऐसा स्प्रिंग बोर्ड बना रखा है किसी को किसी जगह फेंकना होता है तो उसको डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया जाता है। इस बारे में सरकार के जो

Page No.60

(श्री पी० के० चौधरी)

खयालात हैं वे जाहिर करते हैं कि इसको सरकार किस तरह से डील करती है। आज हम देखते हैं कि यदि किसी आई० ए० एस० ऑफिसर को डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन बना देते हैं तो वह उसी के मुताबिक इस चीज को डील विथ करता है। आज इस पोस्ट को स्प्रिंग बोर्ड की तरह बना रखा है, चाहे किसी को लाकर थोप दिया जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि इमीनेन्ट एजुकेशनिस्ट को ही इस पोस्ट पर रखा जाय या मंत्री महोदय सदन में इस प्रकार की पोलिसी स्टेटमेन्ट दे दें कि आयन्दा जो भी डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन होगा वह बाहर की आदमी नहीं होगा, डिपार्टमेन्ट से आया हुआ होगा, एजुकेशन का आदमी होगा। The best course would be that the post of Director of Education should always be filled up not by an I. A. S. officer but by an eminent educationict.

तो मैं समझता हूं यदि इस प्रकार पोलिसी स्टेटमेन्ट मंत्री महोदय दे दें तो मैं अपना अमेन्डमेन्ट विद्ड्रा कर सकता हूँ। जहां तक आई० ए० एस० ऑफिसर को यहां रखने का होता है उसका तजुर्बा केवल रेवेन्यू कलेक्शन का होता है, जिस आई० ए० एस० ऑफिसर को जिलाधीश कहते हैं, यह एक तरह से गलत नाम है सही नाम अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टर यानि रेवन्यु कलेक्शन करने वाला। मिनिस्टर महोदय, यह साफ जाहिर कर दें कि आयन्दा जो भी डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन होगा वह डिपार्टमेन्ट से प्रोमोशन देकर करेंगे, एजुकेशननिस्ट द्वारा फिल-अप करेंगे तो मैं अपने एमेन्डमेन्ट को वापिस ले सकता हूं और सही मायने में बोर्ड का चेयरमेन एजुकेशनिस्ट होगा तभी बोर्ड का काम सही रूप से अन्जाम दे सकता है।

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय.... ...

श्री उपाध्यक्ष : There is a compromise in between the two.

श्री सतीशचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १५ ए में निम्नलिखित संशोधन मैं प्रस्तावित करना चाहता हूं "Substitute the following for the clause:-

'15A. Chairman : The State Government shall nominate or cause to be elected by the Board any member of the Board under clauses (e), (f), (p) of sub-section (1) of Section 4 of this Act."

श्रीमान्, चेयरमेन के विषय में आया डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को यह पद दिया जाय या किसी दूसरे व्यक्ति को यह पद दिया जाय इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं भी इस विषय में काफी कह चुका हूं और काफी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि जो व्यक्ति प्रशासन क्षेत्र से आता है, जब कि हम नयी शिक्षा प्रणाली का निर्माण माध्यमिक स्तर पर करना चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो प्रशासनिक ढांचे से आयगा पूरा पूरा इसके महत्व को नहीं समझ पायगा। आज हम देखते हैं कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऐसे आदमी को इधर उधर से खींच कर बन

Page No.61

(श्री नारायणसिंह)

दिया जाता है जिनका शिक्षा से कोई सम्पर्क नहीं हो सकता लेकिन फिर भी उसको शिक्षा विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अधिक से अधिक उसका आंशिक संबन्ध शिक्षा से हो सकता है। जब हम इस विधेयक के प्रीएम्बल बदल सकते हैं और इस बात पर जोर लगाते हैं :

"Whereas with a view to developing the system of Secondary Education in the State on modern, scientific and progressive lines...."

जहां हम इस बात पर जोर लगाते हैं वहां यह बात मान ली जाती है सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड का जो निर्माण हो रहा है वह एक प्रकार से विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणाली के प्रसार के लिये हो रहा है और इसमें जैसा कि मैं काफी पहले अर्ज कर चुका हूँ, जो स्वतंत्र शिक्षा शास्त्री हो जिनका अनुभव अपना अलग और स्वतत्र हो, जिन्होंने सारी जिन्दगी इस क्षेत्र के अन्दर बितायी हो और नये नये प्रकार के विद्यालय और नयी नयी प्रकार की शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया हो वे अगर इस बोर्ड के अध्यक्ष बना दिये जाते हैं, वे अगर इसकी नीति-निर्माण में महत्व का हाथ रक्खें तो इस बोर्ड के कार्य का ज्यादा सुचारु रूप से संचालन कर सकते हैं और जिस मकसद से, जिस ध्येय से यह बोर्ड बनाया जा रहा है उस ध्येय पर पहुंच सकते हैं।

२ म० प०

इसमें विशेष बात यह भी है कि मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि सरकार की नीति यह भी रहेगी कि आज पहले तीन वर्षों में जो चेयरमेन इसका होगा वह एक विशेष प्रकार का शिक्षा-शास्त्री होगा जो विश्वविद्यालय अथवा और किसी शिक्षण क्षेत्र से लिया जावेगा। तो इससे सरकार ने स्वयं ने यह मान लिया है कि वास्तव में इस कार्य के लिये, इस बोर्ड के संचालन के लिये ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो शिक्षा में पूरी तरह से निष्णांत हो और इस विषय पर पूर्ण अधिकारी हो और इसके साथ ही साथ मैंने यह भी सुना है कि सरकार यह भी निर्णय करने वाली है कि जो डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन होगा वह एसेन्शियली एजुकेशनिस्ट ही होगा। वे, आज की जो पद्धति है, उस प्रकार से एनरोल नहीं किये जावेंगे, बल्कि जो शिक्षा शास्त्री है, शिक्षा के क्षेत्र में जिसने अपने सारे जीवन को खपाया है, उसी को, इसमें लेने की व्यवस्था की जावेगी। यह हमारे आज के सर्विस रूल्स के अन्तर्गत कैसे किया जावेगा यह कहना मेरे लिये कठिन है। पर हमारा जो कहना है वह यह है कि जो स्वतन्त्र शिक्षा शास्त्री हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव स्वतन्त्र प्रयोग कर रहे हैं उनको इस बात का मौका दिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही एक बात और मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जहां क्लाज़ ९ के सब क्लॉज़ (६) में यह लिखा गया है "Subject to the provions of this Act, the Board shall call for reports form the Director on the conditions of recognised institutions or of institutions applying for recognition and to direct inspection of such institutions."
इस क्लॉज़ को देखते हुए तो अगर जो डाइरेक्टर है वही चेयरमेन इस बोर्ड का बनता है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि स्वयं डाइरेक्टर अपनी ही रिपोर्ट किस

(श्री नारायणसिंह)

प्रकार से मंगावेगा और अपनी ही रिपोर्ट पर किस प्रकार से अपना अलग दृष्टिकोण बना सकेगा? तो इस हिसाब से भी यह एक बिलकुल असंगत सी बात लगती है कि एक जो डाइरेक्टर हो वही चेयरमेन भी हो। वही अपनी रिपोर्ट भी मंगावे और उस पर विचार विनिमय में प्रधान भाग ले और उस पर अपना निश्चय प्रकट करे, तो इस दृष्टि से भी मैं इसे जरूरी समझता हूँ कि चेयरमेन वास्तव में अलग ही आदमी होना चाहिये। चूंकि सेकन्डरी एजुकेशन बिल में इस विषय में अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है कि यह डाइरेक्टर ही चेयरमेन रहे या दूसरा, इसलिये डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नाम दे दिया। तो यह बिलकुल ही संगत बात नहीं नजर आती।

मैंने अपने संशोधन में इतनी बात और जोड़ दी है कि ऐसा चेयरमेन जो सब क्लॉज़ (ई) क्लॉज़ ४ (१) में हो, उनमें से लिया जावेगा जिसमें (ई) में

"and the three persons elected by the Senate of the University one form each of the Faculties of Arts, Science and Commerce."

यह वास्तव में पूरी तरह शिक्षा शास्त्री के अन्दर जो अवगत होगा वही लेंगे इसलिये स्वाभाविक है।

इसके अलावा : (एफ) में

"two persons being Principals or Professors of degree or post graduate colleges affiliated to..."

(पी) में भी इसी प्रकार से है :

"two persons being distinguished educationists co-opted by the Board."

तो इनमें से अगर चेयरमेन लिया जाता है तो हमारा मक्सद इसी में हल हो जाता है और वास्तव में तो इसी १५ (ए) के क्लॉज़ ४ के साथ विचारने की आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से कल अर्ज कर चुका हूं क्लॉज़ ९ को भी इसी के साथ विचारना चाहिये, क्योंकि यह जो बोर्ड बनाया जा रहा है यह माध्यमिक शिक्षा का एक नया रूप बनाने के लिये बनाया जा रहा है और माध्यमिक शिक्षा में यह तबका भी आ जाता है और कोई दूसरा तबका भी आता है जो दूसरे तबके आने चाहिये थे। वह क्लॉज़ ४ में रह गये हैं जिसका पहले जिक्र कर चुका हूँ और इस प्रकार से जिन शिक्षकों की परीक्षाओं की व्यवस्था की बात आती है वह चीज भी क्लॉज़ ९ में रह जाती है। हम वास्तव में यह चाहते हैं कि बोर्ड व टीचर्स ट्रेनिंग अलग अलग न हों। वह भी इस बोर्ड के साथ संयुक्त किया जावे, क्योंकि जैसा कि शिक्षा के इस बिल के प्रीएम्बल में कह दिया गया है कि यह सारी जिम्मेदारी इस बोर्ड पर होगी और इसके मार्फत यह सब होगा, इसी के मार्फत स्टेट गवर्नमेंट इस शिक्षा के प्रचारार्थ व प्रसारार्थ और नया रूप देने का प्रयास करेगी। इसलिये मैं इसको अत्यन्त आवश्यक समझता हूं कि चैयरमेन वास्तव में हमारे डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये कि जो शिक्षा में अधिक अनुभव रखता हो, स्वतन्त्र हो और रोजमर्रा की जो दफ्तर की कार्यवाही है उससे भी अलग हो। दफ्तर की कार्यवाही एक चीज होती है और एक स्वतन्त्र शिक्षा की नीति का निर्माण करना और उसे चलाना दूसरी बात है, इसलिये मैं इस बात पर

(श्री नारायणसिंह)

जोर दूंगा कि यह कार्य एक बिलकुल पृथक व्यक्ति से ही लिया जाना चाहिये। मैंने यह भी रख दिया है अपने संशोधन में कि:

"The Government shall nominate or cause to be elected by the Board."

यह तो एक सहूलियत के लिये है कि जब यह शिक्षा का बोर्ड बनेगा तब शायद क्लॉज (पी) के अनुसार

"two persons being distinguished educationists, co-opted by the Board."

यह शायद उस समय तक मनोनीत हो पावे। वे तो बाद में कोऑप्ट होंगे। इस लिये उस समय तक जो चैयरमेन रहे उसके लिये गवर्नमेंट नोमीनेट भी कर सकती है और इस तरह से गवर्नमेंट के हाथ में भी यह सत्ता रहती है कि बोर्ड में किसी विशेष स्थिति में उन्हीं व्यक्तियों में से किसी को नोमीनेट कर दे। अन्यथा तो यह ऑफिस एक बिलकुल अलग ही रहना आवश्यक है और इसके लिये ही यह इलेक्शन की पद्धति, इसके अन्दर मैंने साफ तौर से रख दी है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री नारायणसिंहजी ने जो संशोधन बोर्ड के अध्यक्ष के लिये, पूरे दिन के शिक्षा शास्त्री के बारे में, रक्खा है, उसका मैं समर्थन करता हूं यह मेरे लिये और जितने भी माध्मिक शिक्षा में दिलचस्पी लेने वाले और उसमें काम करने वाले शिक्षा शास्त्री हैं उन सबके लिये, यह एक महत्वपूर्ण उसूल का सवाल है और उसूल की दृष्टि से ही हम इस सवाल को देखना चाहते हैं।

सरकार ने जो उत्तर इस सम्बन्ध में दिया है वह पूरा का पूरा हमारे ध्यान में है। सरकार के उस उत्तर का आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो दृष्टिकोण इसमें रक्खा गया है उसमें एक सुविधा की दलील अधिक है लेकिन सिद्धान्त और सिद्धान्त के अनुकूल जो फलितार्थ निकलने वाले हैं उनका आधार कम है। सरकार की सारी दलीलें केवल सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन की सिफारिशों पर निर्भर हैं। उस कमीशन की एक सिफारिश है जिस पर डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड का चैयरमेन बनाने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदर के साथ आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूँ कि सिफारिश को आदेश मानना बिलकुल गलत बात है। कोई सिफारिश आ जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे लिये वह वेद वाक्य हो और उस पर शिक्षा की प्रगति की ओर उसूल की बात को छोड़ दें। मुझे आश्चर्य हुआ यह जान कर कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के सिवाय वे और किसी दूसरे को शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च अधिकारी नहीं मानते।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शिक्षा के अध्यक्ष की कहानी एक बड़ी विचित्र कहानी है। उसे मैं अगर 'अलिफ लैला' की कहानी भी कहूँ तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान में जब से, पहले जयपुर स्टेट के बाद से, फोर्मर राजस्थान के निर्माण के वक्त से और अन्य इसी तरह की प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण के वक्त से लेकर वृहत् राजस्थान के निर्माण काल तक, जो शिक्षा विभाग की की कहानी रही है उसे आप 'अलिफ लैला' की कहानी कहना पसन्द न करें तो 'अली-

(श्री जनार्दनराय नागर)

बात' की कहानी कह सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं और यह मेरा दावा है कि शिक्षा विभाग में जो भी अध्यक्ष आज तक लिये गये हैं वे शिक्षा के बारे में बहुत कम जानते थे, एवं आज भी जो लिये गये हैं वे बहुत कम जानते हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव होगा, शिक्षा के विचार उनके दिमाग में अपने कुछ होंगे, उनको शिक्षा के सवाल पर दिलचस्पी हो सकती है, सब कुछ होगा पर यह मेरा दावा है कि आज तक इस पद पर जितने भी आये वे शिक्षा शास्त्री नहीं थे। आज जो शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि उनमें शिक्षा के विषय में प्रारम्भिक दिलचस्पी के अलावा और कुछ नहीं है। यदि सरकार यह सोचती है कि कुछ काम-काज चलाने की दृष्टि से योग्य अधिकारियों को वहां रख दें और यह समझें कि शिक्षा अध्यक्ष को वहां रख देने के माने सब कुछ हैं तो एक भ्रमात्मक बात के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने कहा था कि शिक्षा विभाग का अध्यक्ष ऐसा लावेंगे कि जो शिक्षा शास्त्री हो। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार चाहते हुए भी यह बात नहीं कर सकी। अगर किसी शिक्षा शास्त्री को शिक्षा विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता तो जो आज शिक्षा विभाग की दशा है यह नहीं रहती। सात-आठ वर्षों के दौरान में भी, सरकार किसी शिक्षा शास्त्री को अध्यक्ष पद के लिए चाहते हुए भी, तलाश करने पर भी, सरकार को एक अनुभवी निष्णांत शिक्षा शास्त्री न मिला। यही नहीं, अगर इस कहानी को और आगे ले जाना चाहूँ, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि राजकीय शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्रालय में, जो अधिकारी हैं, प्रबन्धक हैं, विधि-विधायक हैं, जो शिक्षा की गतिविधि को स्थापित करने वाले हैं उनमे से अधिकांश, चाहे प्रशासन के योग्य हों, लेकिन शिक्षा के माने में उनको योग्य बनना अभी बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वह जनता कॉलेज के विषय में है। जनता कॉलेज शिक्षा की दृष्टि से एक पार्ट अदा कर रहा है। लेकिन राज्य की शिक्षा के विषय में कमेटियों में जनता कॉलेज के बारे में जब कोई विचार-विमर्श होता है उनको भी उसके बारे में समझाना पड़ता है जो कि रात-दिन उसको देख कर जाते हैं। तो यहां हमारी जानकारी और समझ नहीं है। मुझे यहां कहना पड़ेगा कि यदि यही मान लें कि शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग में शिक्षा की दृष्टि से योग्य व्यक्ति हैं, तो मैं समझता हूँ कि, यह केवल हमारी मान्यता ही की बात होगी।

मैं सदन के सामने सिद्धान्त की बातें रखना चाहता हूं। सिद्धान्त हमेशा, हमारी आवश्यकता और अनुभवों की दलीलों से, सुविधा की दृष्टि से, सुविधाओं से कई गुना महत्वपूर्ण है। एक दलील दी जाती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य चलाने के लिये सुविधाओंकी दृष्टि से और विश्लेषण की दृष्टि से शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को यदि उसका चेयरमेन बनाया जाय तो वह समीचीन होगा। क्या सरकार यह मान कर चलती है कि अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का शिक्षा विभाग का अध्यक्ष चेयरमेन नहीं होगा तो जो बोर्ड के नतीजे होंगे, बोर्ड के प्रस्ताव होंगे, बोर्ड की व्यवस्था होगी, बोर्ड विधि होगी, उसका विधान होगा उनको अमल

(श्री जनार्दनराय नागर)

में लाने के लिये कठिनाइयां पैदा हो जावेंगी ? क्या उनके मार्ग में रुकावट पैदा हो जावेंगी ? अगर इसी बात को ध्यान में रख कर शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमेन रखना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, की इससे सरकार की प्रशासनिक, नैतिक और शिक्षा-विधि में विकास नहीं होगा। मै तो विकास इसमें मानता हूं कि सरकार किसी शिक्षा शास्त्री को बोर्ड का चेयरमेन बनाये। सरकार केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही विकास मानती है। यदि किसी शिक्षा शास्त्री को बोर्ड का चेयरमेन बनाया जाय तो प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विकास और कौशल में अमली तौर पर जल्दी से जल्दी समारम्भ होता। सरकार जब यह कहती है कि बोर्ज का चेयरमेन शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर होगा क्यों कि विधि-विधान और योजनाओं को कार्यान्वित करने में कठिनाइयां न हों तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूँगा कि सरकार ने अपने मुंह से ऐसी संक्रामक बीमारी को सामने रखा जिसकी ताईद नहीं की जा सकती है। यहां समिति के गठन और उसकी प्रक्रिया को चलाने का सवाल है, एक ढाचे को उत्पन्न करने का सवाल है, वहां एक विधि- विधान बनाने का ही सवाल नहीं है माध्यमिक शिक्षा के विकास का सवाल है, विकास की नैतिक अधिकृति का सवाल है, शिक्षा के एक क्षेत्र को संजोने का सवाल है, राष्ट्र के विकास का सवाल है, नव जवान राष्ट्र के पौगन्ड को सींचने का सवाल है, उसके पोषण का सवाल है, उसकी धारणा का सवाल है, उसके दिल और दिमाग का सवाल है। सरकार एक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने की दृष्टि से प्रशासन की प्रक्रिया को मजबूत बनाये रखने की दृष्टि से, उसकी सुविधा की दृष्टि से यह चाहती हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का इरादा पवित्र होते हुए भी इससे आवश्यक कर्तव्य की पूर्ति नहीं हो पाती। कमजोरियों से सरकार नहीं चलती है।

जहां शिक्षा के निर्माण का सवाल आता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन राजस्थान के इस सदन के द्वारा किया जा रहा है, शिक्षा के माने में एक प्रारम्भिक कदम है। जो शिक्षा शास्त्री हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को चलाते हैं, वे मुझे क्षमा करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय कि वे पुरानी विचारधारा के हैं, पुरानी विचारधारा के घेरे में रहते हुए अतीत के बारे में अधिक सोचते हैं और भविष्य के प्रति कम सोचते हैं, उनके कन्धे इतने थलथला गये हैं कि उनके कन्धों में बक पड़ गई है। राष्ट्र की इस नवीन चेतना में, विकास के विविध अंचलों में मैं यह अनुभव कर रहा हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा संस्थाओं को चलाते हैं, शिक्षकों का निर्माण करते हैं, शिक्षा संस्थाओं की गतिविधि का निर्माण करते है उनमें आत्म-विश्वास की कमी है। अगर सरकार किसी शिक्षा शास्त्री को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमेन नहीं बनाती है और सरकार यह अनुभव करती है कि कठिनाइयां हैं तो यह इस बात की वायस है कि उसमें आत्मविश्वास नहीं है। हमारी दलील यह है कि आत्म-विश्वास के बिना जितने भी लोग इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों में रहेंगे वे सब के सब शिक्षा के गत्यान्तक प्रश्नों पर विचार

(श्री जनार्दनराय नागर)

नहीं कर सकते। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी इस बात को मान ले। पूरे समय के लिए अगर कोई शिक्षा शास्त्री इस बोर्ड का अध्यक्ष हुआ तो आप खयाल करें कि माध्यमिक शिक्षा में कितनी प्रगति करेंगे ? भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षण के सम्बन्ध में एक एक योजना बनाई, कमीशन कायम किया। सारे देश के शिक्षा के पुराने ढांचे में, ढचरें में, परिवर्तन करने की कोशिश की, मुझे उनकी अन्तर्दृष्टि मालूम है। इस कमीशन के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई है और मैं इस बात को जानता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप का निर्माण करने में परेशानी है, दिक्कतें बड़ी हैं, लेकिन यह मानकर चला कि माध्यमिक बोर्ड की सिफारिशें इस माने मे की गई हैं वे प्राबधानिक हैं इससे मैं सहमत नही हूं। जो गठन किया है, वह स्पिरिट से ज्यादा है। इसमें एक दृष्टि की आवश्यकता है, इसमें एक गति की आवश्यकता है, एक नेतृत्व की आवश्यकता है, उपाध्यक्ष महोदय। आज हम यह मान लें कि सरकारी स्तर पर ही हम गठन करना चाहते हैं, सरकार जनतन्त्रीय सिद्धान्त को मान कर चलती है, जनतन्त्रीय सिद्धान्त को मान कर सरकार स्वायत्त शासन संस्थायें कायम करना चाहती है, लेकिन उसका उदाहरण हमारे सामने आ रहा है और वह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका कि गठन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब सरकार जनतन्त्रीय सिद्धान्त को मान लेती है, जनतन्त्र के दृष्टिकोण को मान लेती है, उसकी स्वायत्तता को मान लेती है तो मैं यह मानता हूं कि उसको ईमानदारी से उसका पालन करना चाहिए। यदि हम इस बोर्ड के गठन को देखते हैं तो हमें यह मालूम होगा कि उसमें सरकारी लोगों का प्रतिनिधित्व है। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी लोग स्वायत्तता को ठीक नहीं रखेंगे लेकिन इसके पीछे जो चीज़ छिपी हुई पड़ी है उसको छिपाये नहीं रख सकते। सरकार पिछड़ी हुई है यह मैं नहीं कहता लेकिन एक स्थिर; मंथर गति का नाम सरकार है और उसके लिए एक अधिक गति के सरंजाम की आवश्यकता है। अंग्रेजी के शब्दों में मैं यह बात रखता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, "I deal conservatism" उसका नाम है सरकार। उसकी सारी गति विधियां कायदे और कानून से बंधी हुई हैं। यदि इस प्रकार की परम्परायें चलती रहीं तो जनतंत्री परम्परायें जिन्दा नहीं रह सकतीं। आज सरकार जनतन्त्रीय तरीकों से बनती है और वही हमारी सरकार होती है। मुझे क्षमा किया जाय उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह कहूं कि आज सरकार का जो प्रशासनिक ढांचा है, सारा स्वरूप है, नक्शा हैं, सारा मानचित्र है उसको जनतन्त्रीय नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि यदि इस बोर्ड में पूरी स्वायतत्ता देना चाहते हैं, किसी काम को करने के लिए मजबूत करना चाहते हैं तो उसको उसी स्पिरिट से आजाद करना होगा और मेरी मान्यता है कि यदि शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी अध्यक्ष बना दिया गया तो जिस मकसद से माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, एक चेतना लाना चाहते हैं, एक नैतिक अधिकृति लाना चाहते हैं, जिस मकसद से काम करना चाहते हैं वह मकसद फेल हो जायगा।

(श्री जनार्दनराय नागर)

आपके शिक्षा विभाग की क्या गति है ? आप जा कर देखें तो पता लगेगा कि सैंकड़ों कागज आज शिक्षा विभाग में पड़े हुए हैं, पेन्डिग पड़े हुए हैं, उनका निपटारा नहीं हो पाता। उनमें से बहुत सारे कागज तो ऐसे हैं कि जो वर्षों से पड़े हुए हैं, कई योजनायें पड़ी हुई हैं। आपकी हमारी तीव्र से तीव्र इच्छा होते हुए भी जो शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं हैं, समय पर न निकलने के कारण पड़ी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय कोशिश करते हुए भी कम से कम समय में अधिक से अधिक कागजों को गति नहीं दे पाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष से यह उम्मीद की जाय कि इस बोर्ड का, योग्यता होते हुए भी, इरादा होते हुए भी, मैं यह मानता हूं, कि यह मुमकिन नहीं रहता, संचालन करें। सरकार एक दलील और देगी कि हमने शिक्षा विभाग के ढांचे में परिवर्तन किया है। वह परिवर्तन यह है कि औद्योगिक शिक्षा के लिए ज्वाइन्ट डाइरेक्टर अलग कायम कर रहे हैं, सामाजिक शिक्षा के लिए अलग उपाध्यक्ष कायम कर रखा है, वह ठीक है। जहां तक शिक्षा विभाग के अलग २ कर्तव्यों के बंटवारे का सवाल है और उन कर्तव्यों के संचालन करने के लिए अधिकारियों की नियुक्तियों का जहां तक सवाल है, सरकार विचार कर रही है और सरकार ने कुछ आदमी भी लिये हैं, फिर भी इतना होते हुए भी हम विश्वस्त नहीं हो सके हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जब कि हम यह सोचते हैं, कि राजस्थान इतने बड़े विशाल प्रदेश के शिक्षा विभाग का अध्यक्ष इस मामले में पूरी दिलचस्पी और पूरा समय देकर काम कर सकेगा। केवल सरकार के कहने को मानलें यह हमारे लिए संभव नहीं है। उनके पास समय नहीं है। इस कारण से जितनी अपनी शक्ति, अपना श्रम और अपनी तबियत उनको देनी चाहिए वह नहीं दे पायेंगे।

फिर सवाल यह आता है कि आखिर माध्यमिक शिक्षा कमीशन की जो सिफारिशें हैं केवल एक बोर्ड के गठन की सिफारिशें नहीं हैं। उसके अन्दर एक कार्यक्रम दिया गया है। उसमें माध्यमिक शिक्षण की नई दृष्टि, नई फिलासफी दी गई है। माध्यमिक शिक्षण के क्षेत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, अनिवार्यतः जिन चीजों की पूर्ति होनी चाहिए, उनके लिए आपने देखा होगा कि हायर सेकन्डरी स्कूल अमल में आये हैं, मल्टीपर्पज़ स्कूल अमल में आये हैं और अब माध्यमिक शिक्षण से एक तूफान आया है जिससे हमारे विश्वविद्यालय हिल गये हैं, जब कि उनको मालूम हुआ कि तीन साल का डिग्री कोर्स हाई स्कूल के बाद होगा। अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में राजस्थान के शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई तो वहां पर सवाल आया तो हम हैरत में पड़ गये। युनिवर्सिटी को इससे धक्का लगा है। वे सोचते हैं कि ३ साल का डिग्री कोर्स करेंगे तो कैसे करेंगे ? माध्यमिक शिक्षण के साथ में यह मानकर चलें तो उच्च शिक्षण की व्यवस्था करने वाले लोगों से उनकी टक्कर होने वाली है। यह टक्कर शिक्षा विभाग के प्रमुख और उच्च शिक्षण की ऑथोरिटीज़ के बीच में निरन्तर बढ़ती जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय। इसके दो कारण हैं, एक एक कारण तो यह है कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था उन पुराने आदमियों के हाथों में है जिनमें यह हौंसला नहीं है कि वह नई दृष्टि नई शिक्षा की ज्योति के नवनवोन्मेष को पकड़ सकें। इसलिए

(श्री जनार्दनराय नागर)

अपनी शिक्षा को बचाने के प्रयत्न में वह इस बात में लगे हुए हैं कि माध्यमिक शिक्षा का जो नया ढांचा बनाया जा रहा है उसे किसी प्रकार से ठप्प कर दिया जाय। इस तरह से हमारे सामने, बोर्ड के आसपास, एक संघर्ष का वातावरण है। हमें अन्देशा है कि बोर्ड के बनने के बाद बोर्ड की मदद के लिए हमको न मालूम कितना ही काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ हमें करना है वह न कर सकें।

आपने देखा होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बिल के अन्दर बोर्ड के जो कर्तव्य दिये गये हैं वे कर्तव्य केवल ऐसे ही नहीं है जो कि माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशों के अन्दर मोजूद हैं। हम उस कमीशन की सिफारिशों से दो, तीन कदम आगे बढ़ गये हैं। हमने जो बोर्ड को कर्तव्य दिये हैं, बोर्ड को जो कहा है कि माध्यमिक शिक्षण के क्षेत्र में अन्वेषण करेंगें, नये प्रयोग गवेषणशाला स्थापित करें, विचार-विमर्श करने के लिए गोष्ठियां करें, शिविर करें, और जो सवाल सामने आये उनको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, और माध्यमिक शिक्षण से दूसरी जगह जो प्रयोग हो रहे जिनसे कि हमारी भावनाएं बनती हैं और बनाई जा सकती हैं, उन तमाम बातों को लेकर बोर्ड काम करना चाहता है। तो यह बोर्ड केवल नीति बनाने वाला बोर्ड ही नहीं है। यह ठीक है कि माध्यमिक शिक्षण कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने जो कल्पना की है वह यह है कि माध्यमिक बोर्ड को बनाया जाय जो केवल नीति बनाये, लेकिन प्रवर समिति और सरकार ने स्वयं ने जिस बोर्ड की कल्पना की है वह केवल एक नीति निर्माण करने वाला बोर्ड नहीं है, वह एक काम करने वाला बोर्ड होगा। नीति बना कर प्रशासनिक करने वाला बोर्ड है। यह बोर्ड माध्यमिक शिक्षण के क्षेत्र में गत्यात्मक, निरन्तर प्रगतिशील होने वाला है। यह एक विस्तृत क्षेत्र में प्रगतिशील बोर्ड है। यह शासक और ऋषि भी है। ऋषि इस मामले में नवनवोन्मेष प्रयोगों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा की प्रगति करेगा। जो सिफारिशें माध्यमिक शिक्षण कमीशन ने की हैं उन सिफारिशों को लेकर यह बोर्ड निश्चित् रूप से राजस्थान में नये प्रयोग करेगा और माध्यमिक शिक्षण के क्षेत्र में प्रगति करेगा।

आप चाहते हैं कि यह सारी प्रेरणा सरकार के हाथ में हो। यह मानता हूँ कि सरकार ने गये दो एक वर्षों में माध्यमिक शिक्षण के ढांचे को बदलने का प्रयत्न किया है। यह प्रेरणा सरकार के हाथ में बोर्ड के बनने के बाद में नहीं होगी। यह नेतृत्व सरकार के हाथ से जायेगा और बोर्ड के हाथ में आयेगा। वह स्थिति, यदि शिक्षा विभाग का अध्यक्ष इस बोर्ड का चेयरमेन रहेगा, बनी रहेगी और जो नेतृत्व सरकार के पास में अभी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार उसको नहीं बदलना चाहती है।

इस मामले में विश्व विद्यालयों को तीन साल का डिग्री कोर्स करने का है, लेकिन विश्व विद्यालय इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। हाई स्कूल और इन्टरमीजियेट की शिक्षा को बोर्ड के हाथ में सोंपने को तैयार नहीं होते हैं। आज भी जहां तक विश्व विद्यालयों का सवाल है एक शंका उनके मन में है कि विश्व-विद्यालय का ढांचा इससे लड़खड़ा जायगा, लाखों रुपयों की उनको हानि होने वाली है, उस हानि को पूरा करने का सवाल है।

(श्री जनार्दनराय नागर)

मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि इस बोर्ड के गठन के बाद भी नेतृत्व सरकार के पास में सीधे रूप में रहे शायद इसीलिये इस बोर्ड के आगे गुंजायश रखी है। जहां तक शिक्षा का सवाल है सरकार सीधे डाइरेक्शन नहीं दे पायेगी। शिक्षा के मामले में बोर्ड स्वाधिकारी के रूप में मनन करेगा, आयोजन करेगा और नियमन करेगा। यह काम एक विशाल नेतृत्व का काम है। माध्यमिक शिक्षण के प्रश्नों, उसके सवालों, उसकी उलझनों, उसकी मांगों और उसकी गतिविधि के स्वरूप पर निरन्तर विचार करने वाले, उसमें एक नवनवोन्मेष प्रकाश करने वाले व्यक्ति के नेतृत्व की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के प्रति आदर करते हुए, मुझे उनसे इस नेतृत्व की उम्मीद नहीं होती है। यह एक व्यक्तिगत पसन्दगी और नापसन्दगी का सवाल नहीं है। यह सरकार की परम्पराओं को सुरक्षित रखने का सवाल नहीं है। यह एक आधारभूत प्रश्न है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को बोर्ड का चेयरमेन बना दिया है, इससे उनको संतोष होगा, लेकिन यदि बोर्ड के द्वारा कोई चीज उपलब्ध करनी है, कोई बात करनी है तो उसकी उम्मीद मुझे नहीं है। इसलिए मैं निश्चित रूप से इस मत का हूँ कि किसी भी कीमत पर शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को इस बोर्ड का चेयरमेन नहीं बनाना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा को गतिशील बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो अनुभव हमारे सामने हैं, जो अनुभव हमारे सामने परोस कर रखे हुए हैं, उनको देखते हुए शिक्षा के मामले में विचार करने वाला, नई बातों को उत्पन्न करने वाले नेतृत्व की आवश्यकता है, इसलिए हम बोर्ड के अध्यक्ष के लिए अनुभवी गैर सरकारी आदमी रखें।

इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से वजनी दलील की अपेक्षा थी और जो जवाब रखा है, मैं नहीं कहता कि वह जवाब नहीं है, लेकिन वह जवाब ऐसा नहीं था। सरकार यह कह दे कि कमीशन की जो सिफारिशें थीं उनको हमने माना है और जो कुछ दिल्ली में हुआ है उसे ही हम यहां कर रहे हैं, जो कुछ बम्बई में हुआ है उसको यहां कर रहे हैं और इतनी बड़ी दलील दी कि उससे बड़ा शिक्षा का शास्त्री नहीं हो सकता है। मैं सरकार को सुझाना चाहता हूँ कि सरकार यदि यह कहे कि डाईरेक्टर आफ एजुकेशन के अलावा दूसरा सर्वोच्च अधिकारी नहीं है, तो सरकार की बात मान ली जायगी, लेकिन सरकार यदि यह कहना चाहती है कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अलावा शिक्षा के विषय में समझने-बूझने वाला, शिक्षा में नेतृत्व करने वाला, शिक्षा-में नवीन प्रयोग करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो मैं सरकार की यह बात मानने को तैयार नहीं हूँ। सरकार बड़ी भूल कर रही है इस बात को कह कर। शिक्षा की प्रगति के इतिहास को, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिन लोगों ने शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्व किया है वे सरकारी नहीं हैं। एक समय था कि हिन्दुस्तान के आजाद होने से पहले एक प्लान तत्कालीन भारत सरकार की ओर से बनाया गया, मैं उन सज्जन का नाम भूल गया हूँ वे एक अंग्रेज थे, उनको भारत की जनता ने नहीं माना। भारत की स्वतन्त्रता के आंदोलन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व भी जन संस्थाओं के हाथ में रहा है। उन व्यक्तियों ने शिक्षा में धीरे-धीरे परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से सरकार के अधिकारी के द्वारा यह कार्य संपन्न

(श्री जनार्दनराय नागर)

हो रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे आज़ाद होने के बाद में हमारा दूसरी तरह का विश्वास होता चला जा रहा है। आज हम समझते हैं कि विकास के मामले में राज्य के अधिकारी ही सर्वगुण संपन्न हैं, योग्य हैं और वे ही विकास कर सकते हैं। जहां शिक्षा का सवाल जाता है तब भी यह मान्यता रखते हैं कि राज्य के डाइरेक्टर और अधिकारी ही हमारा नेतृत्व कर सकते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे मानस में परिवर्तन होना चाहिये। आज एक तरफ आप आदर्श की दृष्टि से इंग्लैंड का नमूना देते हैं। उन सज्जनों से में कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड की हवा भी हमारे पास नहीं है। वहां पर शिक्षा का सर्वोच्च क्षेत्र जन समुदाय के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। वहां पर यहां वाली चीज नहीं है। आज आप इंग्लैंड में जाइये तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय जनता के प्रयत्नों से चलते हैं और सरकार सेन्ट-पर्सेन्ट उनमें पूरी मदद करती है। सरकार उनको मदद देती है, सलाह देती है लेकिन उनको अपनी गति-विधि में पूरी आज़ादी दे रखी है। आज आप यहां पर बोर्ड बना रहे हैं माध्यममिक शिक्षा के लिये जिसमें २५ में से १७ सरकार के प्रतिनिधि रखे गये हैं और ऊपर से फिर यह कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष बना दिया जायगा। आप सीधी बात कह दें। स्वत्व की बात न कहें। एक तरफ सरकारी व्यक्ति को बना दें तो इस तरह का विरोधाभास नहीं चलेगा। मैं कह सकता हूँ कि आप इन बातों को हृदयंगम नहीं करते। यह आप इसकी गहराई में पहुँचते तो मैं समझता हूं सरकार हमारी बात को मान लेती। इसमें सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, सरकार अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण रखना चाहती है। आज राजस्थान की पौगंड पीढ़ी के चरित्र निर्माण का जहां तक सवाल है हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि नेतृत्व पैदा करने के लिये गैर सरकारी आदमी के हाथ में सूत्र देना चाहिये। लेकिन यहां हमारी भावना और सिद्धान्त का और वेदना का सवाल है, भविष्य की आवश्यकताओं को देखने का सवाल है, मैं नहीं मानता कि राज्य केवल अपनी प्रतिष्ठा की दृष्टि से काम करे। मैं यह नहीं मानता कि राज्य कमीशन की जो सिफारिश है उसको नहीं मानेगा। इसलिये मैं नम्रता से अपील करना चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे। यह बात नहीं है कि हम सरकार की प्रतिष्ठा को घटाना चाहते हैं बल्कि हम तो सरकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये कहते हैं। यदि सरकार गैर सरकारी व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर बैठाती है तो राजस्थान में ही नहीं वल्कि सारे हिन्दुस्तान में····

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यजी, कुछ सदस्य सोये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Shall I believe the version ?

Then those who are sleeping may kindly relax in the lobbies.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी हुई यह जानकर कि माननीय मित्र सोने और खुर्राटों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात ज्यादा लम्बी हो गई थी।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Sleep is permitted but to snore is not per·

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

mitted. Sleeping does not create any disturbance in the House. If somebody, while sleeping, snores he should be asked not to snore.

श्री उपाध्यक्ष : The observation of the chair is that neither the Hon' ble Members should sleep nor snore.

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) मैं कह रहा था कि हमारे इस प्रस्ताव में, हमारे संशोधन में, हमारे मंतव्य में सरकार की प्रतिष्ठा है । आज मैं मानता हूँ कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी बात नहीं की जा रही है । हमारी राजस्थान सरकार को शिक्षा में न केवल गहरी दिलचस्पी है बल्कि यह सबूत होगा कि राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षण को एक स्वतंत्र दृष्टि से अपनाना चाहती है, केवल शिक्षा की दृष्टि से ही नहीं देखती है । अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि हम अपील ही कर सकते हैं और कोई जरिया हमारे पास नहीं है । लेकिन एक बात साथ में और कहना चाहूँगा । यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है और शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को ही इस बोर्ड का चेयरमेन बनाना चाहती है तो सरकार अपने प्रारम्भिक उद्देश्य से मुकरती है । आज सरकार ने दो साल के लिये प्रारम्भ में गैर सरकारी अध्यक्ष इस बोर्ड का बनाना स्वीकार किया है । हमारी समझ में नहीं आता कि प्रारम्भ में जब हमने ३ साल के लिये गैर सरकारी अध्यक्ष स्वीकार किया है तो बाद में रखने के लिये क्या ऐतराज हो सकता है ? आप सोचते हैं कि ३ साल में काम जम जायगा उसके बाद शिक्षा विभाग के अध्यक्ष काम चला लेंगे । क्या दलील है ? हमें आश्चर्य हुआ सुनकर । ३ साल के लिये युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर को बनाते हैं और तीन साल तक उनके नेतृत्व में काम चल जायगा । सरकार को यह कहना चाहिये था कि माध्यमिक शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ३ साल के बाद यदि गैर सरकारी नेतृत्व में बोर्ड का काम जम गया तो कोई ऐतराज नहीं होगा कि गैर सरकारी अध्यक्ष ही चल सकेगा । ३ साल तक तो गैर सरकारी द्वारा काम चलायेंगे और उसके बाद कहते हैं कि हमारी कुछ सुविधाओं को देखकर हम शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं । ऐसा कह कर सरकार आगे जायगी या पीछे ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ३ साल के बाद पीछे जा रही है ? ३ साल में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में अजीबो-गरीब प्रयोग शुरू होंगे । इसमें भारी संशोधन और परिवर्तन होने जा रहे हैं । मैं उन संशोधनों और परिवर्तनों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह कह सकता हूं दावे के साथ कि आज प्रारम्भ में एक नया ढांचा, नई प्रति और नई प्रणाली बनाने का प्रयत्न है । उसमें तीन साल के बाद काफी परिमार्जन, संशोधन और परिवर्तन करना पड़ेगा । मैं यह मान सकता हूँ कि सरकार यदि यह कहे कि ३ साल तक हम शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष बनायेंगे और बाद में गैर सरकारी अध्यक्ष रखेंगे तो मैं कुछ समझ सकता था, लेकिन सरकार उल्टी गंगा बहाना चाहती है । सरकार यह कहती है कि ३ साल तक हम गाड़ी के आगे घोड़ा रखेंगे और तीन साल के बाद हम घोड़े के आगे गाड़ी रखेंगे और घोड़े को पीछे रखेंगे । तीन साल तक सरकार हिम्मत करके गैर सरकारी हाथ में बोर्ड का

(श्री जनार्दनराय नागर)

नेतृत्व देना मन्जूर करती है तो ३ साल के बाद में सरकार को क्या अन्तर हो जाने वाला है, वह क्यों एक शिक्षा शास्त्री के हाथ में इसका नेतृत्व देना चाहती है ? पहले ३ साल के लिये तो माध्यमिक शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट की अवज्ञा की जा रही है और सरकार ने उसकी सिफारिश को अपदस्थ किया है। कमीशन की सिफारिश यह है कि जब से बोर्ड बने तब से ३ साल के बाद गैर सरकारी हाथ में इसका नेतृत्व रहना चाहिये। स्वयं सरकार ने इसकी सिफारिश को नहीं माना है। ३ साल के लिये सरकार इस सिद्धान्त को मानती है हालांकि कमीशन की रिपोर्ट का आदेश नहीं हुक्म नहीं केवल सिफारिश है जिसको यदि वह हमारे दृष्टिकोण के अनुकुल होगी या स्प्रिट के अनुकुल होगी तो मानेंगे नहीं तो उसको दूर रखेंगे। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि ३ साल के लिये जिस साहस से पहले तीन सालों के लिये गैर सरकारी नेतृत्व रखने का फैसला किया है, उसको ३ साल के बाद भी जरूर रखे। यदि सरकार ऐसा करेगी तो हिन्दुस्तान के अन्य क्षेत्रों के शिक्षा शास्त्री कहेंगे कि राजस्थान का शिक्षा मन्त्रालय और राजस्थान की सरकार जानती है कि शिक्षा का क्या महत्व है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। बड़े हौंसले, साहस और हिम्मत के साथ प्रारम्भ के तीन सालों के लिये गैर सरकारी हाथ में नेतृत्व दिया है। मैं समझता हूँ बाद में भी इसे कायम रखना चाहिये।

शिक्षा हमारा विषय है, केन्द्रीय आदेश का विषय नहीं है। इस क्षेत्र में नवीन प्रयत्न, नवीन गति–विधि उत्पन्न करने के लिये हम स्वतन्त्र हैं। लेकिन इस सारी स्वतन्त्र चेतना से हम साहस के साथ फायदा नहीं उठा रहे हैं और हम दूसरी-दूसरी जगह जो काम हो रहा है उसके उदाहरण को आदर्श रूप में सामने रख कर काम करेंगे तो यह हमारे लिये ठीक नहीं होगा। जैसा कि मैंने कल कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा की गति-विधि में, इसके प्रयोग के माने में राजस्थान दूसरी रियासतों से पिछड़ा हुआ है। मैं सरकार को नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं में हो रहा है उसके बारे में पूरा परीक्षण नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हिन्दुस्तान के अन्य कई राज्य हम से कई माने में आगे हैं। आज राजस्थान में प्रथम श्रेणी का प्रथम महत्व का प्रयोग हो रहा है, ऐसी अवस्था में राजस्थान सरकार का कर्तव्य है कि गैर सरकारी शिक्षा शास्त्रियों के हाथ में सूत्र दे। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि सरकार प्रतिष्ठा को आधारभूत मान कर न चले। जो प्रतिष्ठा को आधारभूत मानते हैं वे प्रतिष्ठा में ही रह जाते हैं और आत्मा की खोज नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि आत्मिक ज्ञान को शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षित करने का, उसकी स्प्रिट को सुरक्षित रखने का राजस्थान की माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के सामने प्रश्न है और इस प्रश्न की दृष्टि से, इसकी आवश्यकता की दृष्टि से स्वयं सरकार ने तीन साल के लिए यह सिद्धान्त मन्जूर किया है और वह सिद्धान्त यह है कि गैर शिक्षा शास्त्री इस बोर्ड का अध्यक्ष बनना चाहिए और शिक्षा विभाग का कोई कर्मचारी इसका अध्यक्ष न हो।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, फुलेरा से आने वाले सदस्य ने एक संशोधन रखा है और उसका विरोध करते हुए मावली से आने वाले सदस्य जो स्वयं शिक्षा शास्त्री हैं, ने इतनी लम्बी

(श्री सोहनलाल भटनागर)

चौड़ी तकरीर की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी माननीय सदस्य का यह अमेंडमेंट नहीं है कि कोई गैर शिक्षा शास्त्री को इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाय क्योंकि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने शब्द 'नोमीनेट' के लिया कहा है, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी नोमीनेटेड के लिए कहा है। इसका मतलब यह नहीं होता कि नोमीनेशन या इलेक्शन होगा, वह गैर सरकारी व्यक्ति का ही हो सकता है, किसी सरकारी व्यक्ति का नोमीनेशन या इलेक्शन हो सकता है। जो संशोधन आया है, उसके समर्थन में जो शब्द कहे हैं, मेरे ख्याल से, वे भावना के वश में होकर कहे गये हैं और वस्तु स्थिति से दूर हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि किसी चीज के लिए, किसी सिद्धान्त को पनपाने के लिए एक हाई पॉवर कमीशन मुकर्रर किया गया और उस कमीशन ने निर्णय दिया कि डाइरेक्टर ही चेयरमैन हो सकता है। मैं नहीं समझता कि जब उस कमीशन ने, जिसमें एमीनेन्ट एजुकेशनिस्ट्स थे, सब स्थिति देखी, पक्ष और विपक्ष के स्वरूप को देखा और फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचे; तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यह सोचना चाहिए था। हमारे राजस्थान में जो डाइरेक्टर मुकर्रर हुआ है, उसके स्वरूप को देख कर हमारे माननीय सदस्यों के दिमाग में यह शंका जरूर उत्पन्न हुई है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वस्तु स्थिति हमारे सामने होती, तो जो शंका है, वह निर्मूल हो जाती। सभी सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे शिक्षा विभाग में डाइरेक्टर और एडीशनल डाइरेक्टर के दो पद हैं। एडीमिनिस्ट्रेटिव मामलात एडीशनल डाइरेक्टर डील करता है और पोलिसी के मामले डाइरेक्टर डील करता है। समय का सवाल उपस्थित हुआ था कि डाइरेक्टर इतना समय नहीं दे सकेगा पोलिसी मेटर्स को, लेकिन जब दो पोस्ट्स कर दी गई हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा काम होता है वह एडीशनल डाइरेक्टर के पास चला गया है। एडीशनल डाइरेक्टर की पोस्ट है, यह दूसरी बात है कि गत कुछ वर्षों से यह जगह भरी नहीं गई है। इसका मतलब यह नहीं होता कि और कोई शिक्षा शास्त्री इस जगह पर नहीं लिया गया है; तो हम समझ लें कि इस पद पर कोई शिक्षा शास्त्री नहीं आयेगा और इसलिए इसे शंका के रूप में देखें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस शंका को हमें निर्मूल करना है। जैसा कि फुलेरा से आने वाले सदस्य ने कहा कि हम सरकार से यह अवश्य कह रहे हैं कि डाइरेक्टर अच्छा शिक्षा शास्त्री हो ...

श्री जनार्दनराय नागर : यह शंका का सवाल नहीं है, सिद्धान्त का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : बीच का रास्ता ले लीजिये, शंका और सिद्धान्त के बीच का रास्ता ले लीजिये।

श्री सोहनलाल भटनार : इसमें शंका जरूर होनी चाहिए क्योंकि यह नीति का सवाल है। जो डाइरेक्टर का पद है, उसको अच्छे से अच्छे शिक्षा शास्त्री को दें ताकि यह शंका न रहे। दूसरी बात यह है कि सेकन्डरी एजुकेशन का ज्यादातर ताल्लुक स्टेट से है और स्टेट से ताल्लुक होने से इस विभाग में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा शास्त्री सरकारी नौकर हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार के नौकर हो जाने से, सरकारी आदमी हो जाने से शिक्षा शास्त्री नहीं रहे,

(श्री सोहनलाल भटनागर)

उनकी-विचार धारा जो थी, वह नहीं रही और किसी शिक्षा शास्त्री को नोमीनेट कर देने से ही उसमें प्रगतिशील तत्व आ जायेंगे और सरकार किसी आदमी को मुकर्रर करेगी तो उसके प्रति शंका होगी, जैसे कि दूसरे सरकारी कर्मचारियों के प्रति शंका है। मेरे ख्याल से इसमें भावना का ज्यादा सवाल है न कि सिद्धान्त का और इस शंका को लेकर मुझे सरकार को कहना है कि डाइरेक्टर का जो पद है, इसे किसी अच्छे शिक्षा शास्त्री द्वारा भरा जाय ताकि जो शंका है वह नहीं रहे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से ट्रेजरी बेंचेज और मावली से आने वाले माननीय सदस्य और शिक्षा शास्त्री के बैठने के स्थान में कम से कम आठ-नौ फीट का फासला है और शिक्षा शास्त्री के नाते जो सुझाव उन्होंने पेश किये, वे केवल शिक्षा शास्त्री के नाते ही नहीं बल्कि धारा सभा के सदस्य के नाते भी पेश किये हैं, क्योंकि आज सरकार अपना रुख बदलना नहीं चाहती। इसका मतलब यह होता है कि बोर्ड को सरकार जिस तरीके से बनाना चाहती है, उससे शिक्षा के मामले में भी सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है। शिक्षा का ऐसा मामला है जिसमें सरकार जैसा चाहती है उसके अनुसार जो पुरानी नीति है, ढर्रा-नीति है, उसमें रद्दोबदल कर सकती है और जो मास्टर हैं उनको इधर उधर रख सकती है और शिक्षा में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सकते है, उन परिवर्तनों को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकती। मेरा यह विश्वास है कि जहां तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा के सम्बन्ध में, राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रान्त में, नये तरीके को अख्तियार करना चाहती है तो किसी ज्ञान मार्गी को या किसी जीवन के सत्य की खोज करने वाले शिक्षा शास्त्री को इस पर सरकार आसीन करती है, तो मेरी समझ में बहुत अच्छा होगा। इसका खास कारण जो बतलाया गया है और जो सही है वह यह है कि एक व्यक्ति विशेष की अपनी इन्स्टीट्यूशन पर छाया पड़ती है Education is the lengthened shadow of a man. यदि डाइरेक्टर के पद पर कोई शिक्षा शास्त्री, जो उच्च कोटि का हो, विद्वान हो, सुलझा हुआ हो, जिसने जीवन में खुद एक्सपेरीमेंट और अनुभव प्राप्त किये हों, उस ज्ञान मार्गी को, शिक्षा शास्त्री को इस पद पर आसीन किया जाता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के जो शिक्षा प्रणाली नियत करनी है, जो रद्दो बदल करनी है, वह करने में सफल हो सकती है। लेकिन इस विषय पर मेरे ख्याल से पहले भी बोल चुके हैं और बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर दिला चुके हैं; यह ऐसा मामला है जिसका शिक्षा से सम्बन्ध है। जैसे आप चाहते हैं कि खेती का महकमा हो तो उसमें खेती का एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर दूसरा कोई महकमा हो, तो उस महकमें का एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन जहां शिक्षा का सवाल होता है, वहां डाइरेक्टर के पद पर ऐसे अधिकारी को मुकर्रर करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी मर्जी से बैठ कर कोई अनुभव प्राप्त न किया हो। इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे उप शिक्षा मन्त्री इस विषय पर कोई नया सुझाव नहीं देते या नई बात नहीं कहते, तब जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि भावात्मक भाषण हुए, उन्हें इसमें क्यों शंका होती है, यह शंका का सवाल नहीं है, सिद्धान्त का सवाल है। मैं अर्ज करूं यह भावात्मक भाषण नहीं था लेकिन हिन्दुस्तान के आधुनिक शिक्षा

(श्री मूलचन्द डागा)

शास्त्री और इस विधान सभा के माननीय सदस्य बोले थे, उनकी यह आवाज थी, वे अपनी वाणी में कहना चाहते थे कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था शिक्षा विभाग में रही, इस प्रकार डाइरेक्टर को इस पद पर मुकर्रर कर दिया तो यह राजस्थान के लिए शोभा की बात नहीं रहेगी, वे तो एक चेतावनी देना चाहते हैं; वह पुरजोर शब्दों में चेतावनी थी, न कि भावना थी, न उनके दिल में जोश था, जोश भी था तो रही शब्दों में था। मेरे पूर्व वक्ता को और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसे भावनात्मक भाषण कह दिया, इसे भावनात्मक भाषण नहीं कह सकते। मैं समझता हूं कि 'भावना' शब्द का उन्होंने जो उपयोग किया है, वह चीज लागू नहीं होती क्योंकि उनके कहने का जो ध्येय था, मैं समझता हूं यह था कि हम हिन्दुस्थान में राजस्थान जो पिछड़ा हुआ प्रान्त है, उसमें, माध्यमिक शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं, एक नये तरीके पर देश को ले जाना चाहते हैं, हमारी शिक्षा का पौधा जो कोमल है उसको विकसित और पल्लवित करना चाहते हैं तो हमको सुलझे हुए दिमाग का व्यक्ति ले कर नियुक्त करना चाहिये जिसने जीवन को सच्चे माने में शिक्षा के क्षेत्र में लगाया हो। डिग्री प्राप्त व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। जिन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बिता दिये, ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन करना चाहिये। यह सही सुझाव है। मैं अपील करूंगा कि इस चीज को यदि हमारे उप शिक्षा मंत्री मान लें तो समुचित होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष, वास्तव में जहां तक इसमें भावना का सवाल नहीं शिक्षा का सवाल है, शिक्षा को राज्य के नियन्त्रण से, राज्य के अधिकारियों से मुक्त रखा जाय, राज्य के अधिकारियों का इस बोर्ड के कार्यों में जितना कम हस्तक्षेप हो उतने ही स्वतन्त्र रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वह विकास कर सकता है। इसमे जो एमिनेन्ट एजुकेशनिस्ट का है मैं उसका समर्थन करता हूँ। राजस्थान का अनुभव है, राजस्थान के जितने डाइरेक्टर के ऑफ एजुकेशन नियुक्त हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को योग्य वहां समझा गया, मैं किसी की योग्यता पर आक्षेप नहीं करना चाहता। एक व्यक्ति के सम्बन्ध में एक स्थान पर गड़बड़ी हुई तो दूसरे स्थान पर कलेक्टर के स्थान पर ट्रान्सफर कर सकते थे, पर वहां नहीं करके यहां शिक्षा विभाग के महकमें में, शिक्षा विभाग में ट्रान्सफर कर दिया। तो आज किस प्रकार से सरकार इस पद की उपेक्षा करती आ रही है और आज भी शिक्षा विभाग में अव्यवस्था है। डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ही काम इतना है कि अगर और काम उसे दे दिया गया तो वह उस काम को नहीं सम्भाल सकता। आज जिस विभाग के कार्य को नहीं सम्भाल सकता तो और नया काम उसे दिया जाय उसे वह कैसे सम्भालेगा? आज हजारों अध्यापक हैं, जिनके जीवन के विकास के प्रश्न हैं, छात्रों के सम्बन्ध में प्रश्न हैं, उनको डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन अपना सम्पूर्ण समय लगा कर काम करे तो भी वह इन्हें पूरा नहीं कर सकता, तो फिर वह दूसरा काम उसे सौंपे जाने पर कैसे करेगा और डिप्टी डाइरेक्टर जो हैं वे भी कभी कोई सेक्रेटरी थे, कोई कलेक्टर थे, ऐसे लोगों को लाकर डिप्टी डाइरेक्टर्स के पदों पर बिठा दिया, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हाथ में इस बोर्ड को सौंप दिया गया तो जिस उद्देश्य को लेकर बोर्ड बना रहे हैं, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

हमारी मान्यता है कि सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड समाज को नये ढंग में बदलने में समर्थ होगा तो वहां किसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिये। इस बिल में प्रोविजन है कि ३ साल तक तो सरकार किसी को अपोइन्ट करेगी। यदि सरकार लिखती कि किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को प्रारम्भ में इस बोर्ड को जमाने के लिये तीन साल के लिये प्रबन्ध की नियुक्ति करती है, फिर इस बोर्ड को एक शिक्षा शास्त्री के हाथों में सौंपने वाली है। पर सरकार ने उल्टा काम किया है, पहले शिक्षा शास्त्री की नियुक्ति करेगी और फिर डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के हाथों में सौंप देगी। इस उल्टी बात के लिये मेरा निवेदन है कि इस पर पूर्ण तरीके से विचार करके फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह सुझाव है कि बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा शास्त्री हो, डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन न हो, इस सम्बन्ध में संशोधन सदन के सम्मुख रखे गये हैं। जहां तक मैं समझता हूं, आज शिक्षा प्रणाली के संबंध में और शिक्षा शास्त्री क्या कहते हैं, इस पर गहराई से विचार किया जाय, गहराई से देखा जाय तो पता चलेगा कि प्राचीन काल से ही शिक्षा का क्षेत्र सदा मुक्त रहा है, इस पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहा और किसी शिक्षा के विकास के लिये यह माना गया है कि अगर सही माने में शिक्षा का विकास करना है तो इसके लिये बन्धन मुक्त बोर्ड हो। इसे बिलकुल मुक्त रखा जाय, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध, बंधन न हो और आजादी के साथ में सोच सकें, इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन काल से रही है और हमारे प्राचीन काल में बड़े बड़े इन्स्टीट्यूशन्स चले हैं, किसी प्रकार सरकार के बन्धन में नहीं रहे और उन्होंने अच्छा कार्य किया है। अगर इस बात को सिद्धान्त के रूप में मान लें कि शिक्षा का विकास करना है तो इसके लिए बन्धन, मुक्त बोर्ड हो, इसमें किसी प्रकार से कोई चीज हमारी तरफ से लागू की जाय, ऐसा नहीं। उनको विचारने की स्वतन्त्रता दें तो ठीक रहेगा। सरकार इस चीज को मान लेती है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यह कहे कि इसका अध्यक्ष डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन हो। एक शिक्षा शास्त्री की तरह से राय दें, राय देने का जहां तक सवाल है, महात्मा गांधी की राय को, जिनको कि राष्ट्रपिता मानते हैं, उनकी राय को बारीकी से देखें, उन्होंने हमेशा अपनी राय इसी प्रकार की रखी है कि शिक्षा का मामला सीधा स्वतन्त्र रहना चाहिये, इस पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये, इस बात को महात्मा गांधी ने कहा और अभी अभी कुछ दिन पहले विनोबा भावे ने शिक्षा के सम्बन्ध में स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने राय जाहिर की कि शिक्षा के मामले में जो बोर्ड हो स्वतन्त्र हो, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो। यही राय बड़े बड़े लोगों की इस सम्बन्ध में है। पर १६५३ में कमीशन ने इस पद के लिये डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन की सिफारिश कर दी है, किसी बौद्धिक बुनियाद को लेकर कर दी हो, यह इसमें नहीं है। मेरी समझ में नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

आता कि १९५२-५३ के पहले किस आधार पर वह बात रख दी फिर साथ ही साथ कौन सा बौद्धिक तत्व है, बौद्धिक भोजन देने वाली बात है कि इसको रख दिया ?

इन सब बातों के अतिरिक्त, मैं दूसरे देशों की प्रणाली में नहीं जाता, वहां जरूर यह कहना चाहता हूं कि जो प्रणाली हमारे यहां चले, तरीका क्या रहे ? जो लोग सोचते हैं, यह सोचते हैं अगर ऐसा किया जायगा तो इससे लाभ होगा कि नहीं, मैं इसके बारे में यह रखना चाहता हूं कि एक आदमी, जिसकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, उसे कहा जाय कि इस प्रकार काम कर, तो वह व्यक्ति जिसकी गर्दन पर तलवार लटक रही है, चाहे वह तलवार गुलामी की हो, नौकरी की हो कि कल अलग कर देंगे, उससे हम चाहें कि शिक्षा के मामलों में वह आजादी से काम करे तो वह कर नहीं सकता । इसके अतिरिक्त एक स्वतन्त्र व्यक्ति है, जो आजादी के साथ जीवन लगा कर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके सिर पर तलवार लटका दी जाय तो भी वह तलवार की परवाह नहीं करेगा और स्वतन्त्रता से अपने मुक्त विचारों के अनुसार कदम बढ़ाता जायगा, तो सोचने का तरीका होना चाहिये । डाइरेक्टर चाहे शिक्षा शास्त्री हो फिर भी वह गुलाम है, उसको गुलामी में काम करना पड़ता है और अध्यक्ष बनता है तो आजादी के साथ काम कर नहीं सकेगा और उससे शिक्षा में विकास हो नहीं सकेगा । यदि एक दफे मान भी लिया जावे, लेकिन जहां तक यह एक बुनियादी प्रश्न है इस पर सोचने की बात है । हमें यह मानना पड़ेगा कि जो डाइरेक्टर हो वह बिल्कुल स्वतन्त्र व्यक्ति हो । हमने इसमें यह रखा है कि उनके नीचे दो अच्छे शिक्षा शास्त्री होंगे और वे बाहर से लिये जावेंगे । मैं यह कहूंगा कि जो अच्छे शिक्षा शास्त्री होंगे या जो व्यक्ति अपने आपको अच्छा शिक्षा शास्त्री समझता होगा और जिसको अपना गौरव होगा वह गौरवशाली व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से सदस्य बनना स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह सोचेगा कि उसके सोचने पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है और उस पर डाइरेक्टर को रखा है । तो मैं समझता हूँ कि इस मामले पर हमें बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिये । यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं हो । इसमें सब लोगों की राय इसी प्रकार की रही है इसलिये उसे मान लिया जाना चाहिये और उसको स्वतन्त्रता के आधार पर छोड़ देना चाहिये । उस पर सरकार का किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । डाइरेक्टर को रखने का सरकार का दृष्टिकोण हो सकता है । मगर मैं यह कहूंगा कि यदि डाइरेक्टर को चुन लिया जावे तो क्या हर्ज है और मैं समझता हूं कि यदि इस मामले में चुन लिया जाता है तो बहुत ठीक होगा और यदि, चूंकि सरकार कानून बनाती है इसलिये वही व्यक्ति रहेगा जो सरकार रखना चाहेगी तो मैं यह कहूँगा कि शिक्षा के विकास का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा । यदि हम इसे ठीक ढंग से सोचें और विचार करें तो मैं समझता हूं कि जो संशोधन है उस पर सरकार गंभीरता के साथ सोचेगी और उसको मान्य करेगी ।

३. १ म० प०

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष, इस गंभीर विषय में काफी वाद-विवाद हो चुका है । पहिले फुलेरा से पधारे हुए सज्जन ने इसके वास्ते जैसे चुन

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कर लाने का प्रश्न उठाया और बाद में मावली से आने वाले सज्जन ने विरोध किया कि कोई शिक्षा शास्त्री और कोई ऊंची कोटि का व्यक्ति हो उसको इस स्थान पर रखा जावे, यह प्रश्न आया। मैं मावली से आये हुए सज्जन के इस बारे में, यह निवेदन करूंगा कि मैं उनको ज्यादा शुद्ध समझता हूँ यह ऐसा विषय है, शिक्षा के जितने भी प्रकरण हैं और बोर्ड्स का जो प्रबन्ध किया जा रहा है इस सम्बन्ध में एजुकेशन प्राइमरी, सेकन्डरी और हायर एजुकेशन भी सारी एजुकेशन का प्रकरण है इस वक्त मेल्टिंग पोइंट में है। और इसलिए जिस चीज को तोड़ मरोड़ कर जिस तरफ ले जाना चाहे ले जाना उचित नहीं दिखाई देता। इस समय मैं यह समझता हूं कि यह नींव का प्रश्न है और इमारत से मैं नींव के कारीगर को ज्यादा महत्व देता हूं। जिस प्रकार की नींव आप एक दफा लगा चुकेंगे उसका असर बराबर चलता रहेगा और इसके लिये सोचने की निहायत जरूरत है। जैसे डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, उसकी योजना है कि ज्यादातर जो ऑफिस के कार्य का संचालन करता है उसके लिए ज्यादा महत्व की चीज है। लेकिन जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यह प्रश्न आता है कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन या उप डाइरेक्टर महानुभाव ऐसे स्थान पर मुकर्रर कर दिये जावें और दो शिक्षा शास्त्री उनके साथ में अगल रख दिये जावें तो जैसा अभी पहले महानुभाव ने रोशनी डाली है, बड़ा कठिन सा विषय हो जाता है। यह भी अभी प्रश्न आया कि शिक्षा शास्त्री अगर डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को चुन लिया जावे और उसको ऐसे काम के लिये आगे बढ़ाया जावे तो बाजे वक्त यह भी दिक्कत की बात रहती है क्योंकि वह भी एक वेतन भोगी होने के कारण कॉन्स्टीट्युशन के संचालन में उसका हाथ होने के कारण उसको भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। हम लोगों को यहां इस चीज की जरूरत नहीं है कि महानुभाव किसी बात को कहने पर राजी हों या नाराज हों, हम तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट के अन्दर और खास कर इस समय जब हम यहां इस बात के लिये इकट्ठे हुए हैं कि क्या नीति निर्धारित की जावे, तो बिना किसी रुकावट के बोलने की आवश्यकता होनी चाहिये और मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के......

श्री के. के. सेन के सदन में अनधिकृत प्रवेश पर वाद-विवाद

(Shri K.K. Sen, Assistant Commissioner of Excise, entered the House a short while ago from the Lobby side and began to talk with some officer in the official Gallery. Shri Sampat Ram, Deputy Minister, was also talking to the same officer).

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I rise on a point of order, or a point of privilege of the House that one stranger has entered the House and, therefore, I like you to take cognizance of this fact. There is a stranger in the House and, therefore, I repuest you to take cognizance of it.

श्री उपाध्यक्ष : May I know the stranger in the House ?

श्री श्रीभानसिंह : The man with the Hon'ble Deputy Minister...

(श्री के. के. सेन के सदन से बाहर चले जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष : You will please...

श्री श्रीमानसिंह : I think the rules refrain from such strangers entering the House. The Constitution clause is rather very strict about it.

श्री उपाध्यक्ष : Do you insist on this point when the stranger has so easily withdrawn himself from the House ?

श्री श्रीमानसिंह : You can excuse him, but it is necessary to maintain the dignity of the House and I would like to have some explanation from the Hon' ble Minister as to why he has brought him with him in the House.

श्री उपाध्यक्ष : Would the Hon' ble Minister please enlighten the House on this issue ?

(Shri Sampat Ram, Deputy Minister, continued to talk with the Officer in the Official Gallery)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : He has not paid any attention.

श्री उपाध्यक्ष : He has been requested by the Chair.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : He has ignored it.

श्री उपाध्यक्ष : (श्री नरेन्द्रसिंह को संबोधित करते हुए) माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, बिल में कल एक अमेन्डमेंट आ रहा है उस पर विचार करने के लिये आ गये थे, बुलाया तो नहीं था।

श्री श्रीमानसिंह : This is no explanation, Sir !

श्री उपाध्यक्ष : He admits that he was in the House, and that it was not intentional but unintentional.

श्री श्रीमानसिंह : But it is a question of a stranger; intentional or unintentional, that is to be decided.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमन्त्री) : After all the intention has got to be seen, whether he entered the house deliberately or not. That is not the case. I think the house will permit me to.......

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : Sir, it is not a question of intention alone. It is a question of the privileges of the privileges of the House, it is a question of rules. I think the Government servants are expected to know, what is in the rules and what constitutes the privileges of the House and what can be the ruling of the Chair on this issue ? After all the dignity and decorum of the House and the essential discipline of the House have got to be maintainedat all costs. I was surprised to hear the explanation given just now by the Hon' ble Deputy Minister. The explanation put forward by the Government that there was no intention on the part of the Government servant concerned to commit a breach of the discipline of the House, is not adequate and does not satisfy the House. It is a question of how a

(श्री जनार्दनराय नागर)

stranger, who happened to be a Government servant and who is not a member of the House, could break the rules. This is the point of order and point of privilege, Sir.

श्री श्रीमानसिंह : It is, Sir, a constitutional matter also. It is provided in the Constitution. I think, it is a matter which ought to be referred to the Privileges Committee, and it should not off-hand be decided like this.

श्री उपाध्यक्ष : May I request shri Narottam lalji Joshi to enlighten the House on this issuo ? It seems a very vital issue at the moment.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this House has got some privileges and on the floor of this House only members who are elected from the different constituencies of this State have got a right to enter and nobody else or a stranger who is not a member of the House has got a right to enter the House. If he enters, he incurs the risk of committing a breach of privilege, which (privilege) the Members of this House only enjoy. So, if any member of the public or rather a stranger commits a breach of the privileges of this House by entering upon the floor of this House, it is a breach not only of the privileges but of the Constitution also, because this privilege has been confined in the Constitution that no stranger will enter the precincts of the House. The bonafides of the stranger at this stage cannot be taken into account because this Chair or this House can not sit upon judgemnet over this act or cannot consider this act at this juncture. These matters are generally left to the privileges Committee and the privileges Committee, after undertaking an examination of the matter, of the circumstances in which the stranger has entered the House, whether it is by ignorance or wilful act or by his voluntary or involuntary act, will decide. So the matter is left to the discretion of the privileges Committee and the Committee is left free to take its own course. That is the usual way, and if the Chair wants to take some action about this, the Chair can take. This is my view. This is the ordinary course adop-ted in all the legislatures.

On one occasion in the previous Assembly too, some strangers jumped from the visitors gallery and created nuisance, raised slogans and so on and the matter was referred to the whole House-the whole House sat into a Committee and decided the matter.

So this is the position in a nutshell and the Chair can take action as it thinks proper.

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री उपाध्यक्ष : May I know who is the stranger who has entered the House ? May I know his designation and name ?

(No reply from Government Benches).

श्री नरोत्तमलाल जोशी : There is nothing to be afraid of these things. They are the only things which lay down precedents. The man is not to be punished. It is in the discretion of the Privileges Committee. Only the incident may not recur again, in order to avoid the recurrence of such incidents, such steps are being taken by the Legislatures, so that the public at large may be educated
५ over these points. Only the Members of the Legislature have got a right to walk in the House, to talk in the House and it is their sole privilege, not of other members of the public. On one occasion when this question arose, that the members of the public sitting in the gallery should also stand and pay respect in various matters which the House tables, I think it was made clear that no stranger is entitled to come and trespass the House. So the name of the strangers may be take and the matter be referred to the Privileges Committee. Let them condone the act and the public,at large, may know that to trespass the floor of the House is not their privilege and is not an ordinary thing.

श्री सम्पतराम : Mr. Deputy Speaker, Sir, I do not exactly know the name and designation of the officer. We were discussing certain amendments that are coming tomorrow and immediately he rushed in here and was discussing with the Secretary, Law Dapartment. I do not exactly remember his designation and name.

श्री उपाध्यक्ष : But you will continue to identify him ?

श्री सम्पतराम : Undoubtedly, Sir.

श्री जनार्दनराय नागर : This is very strange, Sir, the Hon'ble Deputy Minister does not know the gentleman, although the gentleman was with him. Perhaps he was an officer of his own department and it is very strange and amusing to us that he does not know him.

श्री सम्पतराम : I have just been informed that he is Mr. K. K. Sen.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Designation ?

श्री उपाध्यक्ष : Can you enlighten us about the designation of the officer ?

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : इसमें १५ दिन का नोटिस देकर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है ।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : That is not to be consulted with the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : Is he still somewhere, just outside the House ?

श्री सम्पतराम : I cannot say, Sir.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I think, the Hon'ble Minister should help in establishing the privileges of the House rather.......

श्री सम्पतराम : He is Assistant Commissioner, Excise and Taxation.

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष: Would the Members on the Treasury Benches like to enlighten on this issue ?

श्री श्रीभानसिंह : The thing cannot be enlightened, Sir. The man was inside the House.

श्री उपाध्यक्ष : That is all right. There must be something to be explained on their behalf also. If you so please.........

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्षमहोदय, क्यों कि इस विषय पर हाउस में थोड़ा सा विचार-विमर्श हुआ, अभी हम तो उस अमेन्डमेन्ट के ऊपर आपस में बातचीत कर रहे थे जो कि कल-परसों हाउस में आने वाला है। न तो मेरी ही कोई इन्टेन्शन थी और न उनकी ही, क्योंकि वह तो खाली अमेन्डमेन्ट पर बातचीत करने आये थे इसलिए ही वह अन्दर आ गये। अब इसके बारे में आप जो निश्चय करें कर लीजिये, मुझे तो कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : Well, I reserve my ruling about the issue, whether it is to be referred to the Privileges Committee or it comes within the cognizance of the Chair itself. I will declare a ruling just tomorrow about the point raised.

So I request Hon'ble Narendra Singhji to resume the debate.

श्री श्रीभानसिंह : My motion will be taken, Sir, by the Chair ?

श्री उपाध्यक्ष : This was the point raised.

श्री श्रीभानसिंह : It may be in the form of a motion, if your Honour will permit.

श्री उपाध्यक्ष : I have taken it as a point which was raised.

श्री श्रीभानसिंह : As a motion ?

श्री उपाध्यक्ष : Not as motion, but as a point of order.

श्री श्रीभानसिंह : I may place this as a motion before the House.

श्री उपाध्यक्ष : I cannot anticipate my ruling over it till it is so submitted.

Yes, Hon'ble Shri Narendra Singhji.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, एक एक बार सदा के लिए यह निर्णय हो जाय कि मंत्री महोदय लॉबीज़ के अन्दर जाकर बात न करें। उनके लिए अलग कमरे बने हुए हैं। उनके बात करने से हाउस का ध्यान डाइवर्ट होता है।

श्री उपाध्यक्ष : Well, I will request the Hon'ble Member not to be sensitive about the trifling things. Yes, Shri Narendra Singhji to resume his debate.

३. १८ म० प०

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७

(पूर्व क्रम से)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो यही मेरा निवेदन था इस पर कि चुने हुए भारत के विद्वान् या राजस्थान के विद्वान् ऐसे बोर्ड के चेयरमेन का अगर कार्य करें तो मैं तनिक भी बुरा नहीं समझता और मैं इसे बड़ा उपयुक्त समझता हूं। मेरा यही कहना है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हांलाकि मुझ से पहले यह प्रश्न काफी चर्चा में आ चुका है पर मुझे फिर भी अर्ज करने के लिए खड़ा होना पड़ा। उसका कारण असल में यही था कि जब हम अपनी शिक्षा, जिसको हम बुनियादी चीज समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि देश की प्रगति और प्रान्त की प्रगति इन्हीं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ही निर्भर है ; शिक्षा पर ही सारी बातें, सारी योजना, सारी प्रगति, हमारे राज्य का निर्माण सब कुछ इन्हीं के ऊपर आधारित है, तो मैं अर्ज करूंगा कि जिस बोर्ड की स्थापना की जा रही है वह हमारे सेकन्डरी एजुकेशन की पॉलिसी को चलायें तो यह जरूरी हो जाता है कि उसका जो चेयरमेन होगा वह कौन होगा ? आज तक हम अपने पुराने रेकॉर्ड को देखें तो हमें यह अच्छी तरह ध्यान में आ जायगा कि इस शिक्षा विभाग में उन्हीं डाइरेक्टर महोदय के अन्डर में जो विभाग था और रहा है वहां पर डाइरेक्टर अलग अलग तबके के आते हैं। कोई कलेक्टर था पहले, कोई आई० ए० एस० था, कहीं से किसी को ला कर डाल दिया; एक को हटाकर दूसरे को ले आये और दूसरे को हटा कर तीसरे को ले आए। परन्तु जहां तक देखा गया है कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो कि अपने विभाग की कार्यवाही और अपने नीचे जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसे समझते हों। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि ऐसे किसी शिक्षा शास्त्री को हमने आज तक शिक्षा विभाग का अध्यक्ष नहीं बनाया इसीलिये हमारे शिक्षा विभाग में प्रगति नहीं हो पायी है। जैसा कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री मौलाना आजाद ने भी कहा है : "The States have failed to deliver the goods." इसलिये मैं अर्ज करूं कि डिलीवरेन्स ऑफ गुड्स माध्यमिक शिक्षा के लिहाज से बोर्ड की तहत किया गया है, तो यह जरूरी हो जाता है कि इस बोर्ड के जो अध्यक्ष हों वे शिक्षा शास्त्री हों, शिक्षा में दखल रखते हों, शिक्षा की अलग अलग प्रणालियां जो दूसरे देशों में चल रही हैं उनको समझते हों, साथ साथ यह भी समझते हों कि प्राइमरी एजुकेशन क्या है, माध्यमिक शिक्षा क्या है और युनिवर्सिटी की शिक्षा क्या है ? जो शिक्षा की अलग अलग स्टेजेज हैं उनको समझते हों। अलग अलग स्टेजेज की जो समस्यायें हैं उनको समझता हो और उनके अनुरूप इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संचालन कर सके, इसकी नीति निर्धारित कर सके, वैसे आदमी को जो तीनों स्टेजेज की जानकारी रखता हो, उस आदमी को, अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाना जरूरी है। हमारी आज कल की शिक्षा प्रणाली में ऐसी गड़बड़ है कि लड़के शिष्टाचार को

(श्री अनूपसिंह)

समझते नहीं, अनकल्चर्ड से मालूम देते हैं, स्ट्राइक्स आदि में भाग लेने लग जाते हैं, आज के विद्यार्थियों में डिसीप्लिन नहीं है, तो यह हो कैसे रहा है ? यह तो आपके सिखाये हुए ही तरीके हैं, आपके बनाये हुए हैं, क्योंकि आपको जो जंची वही शिक्षा दे डाली; नतीजा इसका यह हुआ कि आज के छात्र हड़तालें भी कर डालते हैं, यह सब शिक्षा की वजह से हो रहा है। जिस प्रणाली के नीचे हम शिक्षा दे रहे हैं उस प्रणाली को चलाने वाले हैं डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन। आज तक हमारे स्टेट के जितने भी डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन हुए हैं वे सदन से छिपे नहीं हैं। अगर हम वाकई यह चाहते हैं कि इस शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन हो तो हमारे लिये यह जरूरी है इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति को लाया जाय जाय जो शिक्षा शास्त्री हो। आप यह वास्तव में चाहते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बदला जाय और आगे शिक्षा पाये हुए ऐसे लड़के निकलें, माध्यमिक शिक्षा पाकर ऐसे लड़के निकलें जो यह महसूस कर सकें कि हमें आगे युनिवर्सिटी एजुकेशन पाना चाहिये या नहीं। माध्यमिक शिक्षा पाने के बाद बोर्ड यह तय करेगा कि फलां-फलां विद्यार्थी आगे उच्च शिक्षा पाने योग्य है अथवा नहीं ? पहले अंग्रेजों के वक्त में जिस तरह के बोर्ड बनते आये हैं, जिस तरह की पोलिसी उस समय चलती रही यदि आप वैसी ही चलाना चाहते हैं तो आप किसी को भी अध्यक्ष बना दीजिये। लेकिन सदन इस बात को पहले से ही ले रहा है कि हमारी शिक्षा का जो ढांचा है वह बदल जाय, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन हो और जो लड़के शिक्षा पाकर निकलें वे वास्तव में राष्ट्र का निर्माण कर सकें, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकें। तो इसके लिये यह बहुत जरूरी है कि अध्यक्ष वाकई ऐसा हो जो अपने यहां की शिक्षा प्रणाली को समझता हो, दूसरे देशों में जो शिक्षा पद्धतियां चल रही हों उनकी भी जानकारी रखता हो, खुद शिक्षा शास्त्री हो, वही इस पर रखा जाय अन्यथा मेरे खयाल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चलाना मुश्किल हो जायगा। जिन माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है वह मामूली सा और छोटा सा है, इसमें भी बोर्ड का संचालन गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा, गवर्नमेंट की नीति को ही बोर्ड क्रियान्वित करेगा फिर ऐसी कौनसी बात है जिसके कारण इसको मन्जूर करने में आपको एतराज हो सकता है ?

आप एक अच्छे शिक्षा शास्त्री को बुलाकर इस पद पर रख दीजिये, अगर वास्तव में शिक्षा शास्त्री हैं तो उसके कार्य में कोई दखल करेगा नहीं। हमारी शिक्षा का जो ढांचा है अगर अनाड़ी के हाथ में सौंप दिया जाता है तो यह हमारे लिये शर्म की बात है। मैं आज यह बात कहूँ तो कोई शर्म अनुभव नहीं करता कि आज जो शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर हैं, वाकई इस काम के लिये उपयुक्त नहीं हैं, इधर-उधर से लाकर विभाग को चलाने के लिये रखदिया गया है। हालांकि वे अच्छे पढ़े लिखे हैं, आई. ए. एस भी. हैं, उनकी शिक्षा खुद की बहुत अच्छी थी, लेकिन यह जो शिक्षा का मामला है वह टेकनिकल मामला है, यहां एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम नहीं है, यहां कोई रूटीन वर्क चलाने का काम नहीं है, यहां तो शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का सवाल है ताकि आने वाले जमाने में जो लड़के

(श्री अनूपसिंह)

पढ़ कर निकलें वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें और राष्ट्र-निर्माण में और उसकी प्रगति में सहायक बन सकें ।

मैं दूसरे देशों में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसके बारे में निवेदन कर दूं, हालांकि मैं वहां गया तो नहीं लेकिन पुस्तकों में वहां की शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ा है। हर जगह यह एक स्टेज रख दी गई है कि सेकन्डरी एजुकेशन पास करने के बाद हरेक छात्र के लिये यह निश्चय करना जरूरी हो जाता है कि आगे वह उच्च शिक्षा लेने के लायक है या नहीं। अगर वह उच्च शिक्षा लेने के लायक नहीं है तो वह माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण करके अपनी रूचि के अनुसार पर्टीकुलर लाइन में चला जाता है। यह सब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तय करता है कि फलां विद्यार्थी आगे शिक्षा पाने के लायक है या नहीं? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्च शिक्षा के लायक नहीं है तो उसको आगे पढ़ाने से जनता के पैसे का दुरूपयोग होता है। वहां पर यह देखा जाता है कि यह आगे पढ़ने के लायक है या नहीं, अगर नहीं होता है तो उसे टेक्निकल लाइन में डाल दिया जाता है। जैसे लंदन मेट्रिक पढ़कर जो विद्यार्थी बाहर निकलते हैं वे अपनी अपनी लाइन में चले जाते हैं। लन्दन मैट्रिक के बाद जो उच्च शिक्षा पाने लायक होता है उसको उच्च शिक्षा के लिये भेज दिया जाता है। सेकन्डरी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिस जगह पहुंच कर हर एक आदमी यह तय कर लेता है कि उसको आगे क्या करना है, क्या उसे युनिवर्सिटी एजुकेशन लेनी है या किसी लाइन में जाना है? यह स्टेज ऐसी होती है जिसमें आकर लड़के को तय करने के लिये मजबूर होना पड़ता है और इस सम्बन्ध में बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वह जानकारी रखेगा कि फलां आदमी के लिये, फलां लड़के के लिये आगे स्टडी करना जरूरी है या इसे रोक देना चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह मामूली सा संशोधन है, इसके बाद भी गवर्नमेंट के हाथ में चीज रहती है कि बाहर किसी भी शिक्षा शास्त्री को लाकर इस पद पर रख सकती है। इससे बोर्ड का कार्य सुचारू रूप से चल सकता है और आगे की जो शिक्षा की पंचवर्षीय योजना है उसके लिहाज से भी यह जरूरी है कि इस पद पर किसी शिक्षा शास्त्री को रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : I presume there is nobody now to enlighten the House.

The hon'ble Member to my right side in the distant corner.

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड का अध्यक्ष चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिये और डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिये, इस बात पर वाद-विवाद चल रहा है। जिन माननीय सदस्य ने यह रखा है कि इस बोर्ड का चुना हुआ अध्यक्ष होना चाहिये मैं उसका समर्थन करता हूं। जनतंत्र के विकास की दृष्टि से, शिक्षा के विकास की दृष्टि

(श्री किशनसिंह)

से चुना हुआ अध्यक्ष होने में हम लोगों को किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होगा और न होना भी चाहिये। जब हम जनतंत्र का विकास करना चाहते हैं, हम जनता को ज्यादा सुविधायें और अधिकार देना चाहते हैं तो हमें चुना हुआ अध्यक्ष रखने में किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं होनी चाहिये। शिक्षा की दृष्टि से चुना हुआ अध्यक्ष होने से यह होगा कि वह स्वतंत्र विचार रख सकेगा, उसी के अनुकूल अपनी नीति भी निर्धारित कर सकेगा, बिना किसी के दबाव से विचार रख सकेगा और शिक्षा का विकास कर सकेगा। मैं यह मानता कि मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उस संशोधन को पास किया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५ ए. के अन्दर जो संशोधन आया है और उसके साथ साथ मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दूसरा संशोधन रखा है मैं उनका समर्थन करता हूँ।

आज हमारे सामने राजस्थान के अन्दर माध्यमिक कक्षाओं के पुनर्गठन पर विचार चल रहा है; इन कक्षाओं को किस तरह से गाइड किया जाय, इस पर विचार हो रहा है। राजस्थान में सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड बनाने के लिये आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आया इस बोर्ड का अध्यक्ष डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन हो या किसी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री को अध्यक्ष बनाया जाय? जब हम इस बात पर अपने विचार रखते हैं तो हमारे सामने सब से पहले यह बात आती है कि जब हम शिक्षा के नियन्त्रण पर विचार कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नई शिक्षा प्रणाली पर विचार रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ, इन सारी बातों पर विचार करके ही हम शिक्षा प्रणाली में अच्छे से अच्छा सुधार कर सकते हैं। उधर की बैंचों पर भी बैठने वाले माननीय सदस्य यह मानते हैं कि शिक्षा के अन्दर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है इसीलिये शिक्षा के विकास के अन्दर बाधा पैदा होती जा रही है। शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि शिक्षा के मामले में राज्य सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये। हम इस बोर्ड के अन्दर यदि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को अध्यक्ष बना देते हैं तो जहां इस बोर्ड को ऑटोनोमस कहा जाता है, यह एक प्रकार से उसके साथ मजाक होगा। इसके अन्दर जो एक सैंक्टिटी होनी चाहिये वह इसके अन्दर नहीं रहेगी। यदि हम चाहते हैं कि सेकन्डरी एजुकेशन का सही प्रसारण हो तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम किसको अध्यक्ष बनावें?

सब से बड़ा सवाल आता है डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को अध्यक्ष बनाने का। तीन-चार साल से तो हम देखते आ रहे हैं कि वे एजुकेशनिस्ट्स नहीं हैं। फिर वे एक या दो वर्ष में बदल भी जाते हैं और कोई आई. ए. एस. आ जाता है या और कोई दूसरा आ जाता है। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का जहां तक सवाल है यह अलग बात है, और शिक्षा शास्त्री होना दूसरी बात है। हमें तो यहां एक ऊंचे दर्जे का शिक्षा शास्त्री चाहिये। अब प्रश्न यह पैदा होता है हमारे सामने कि इन दोनों में से किसको अध्यक्ष बनावें? आज की जो शिक्षा की प्रणाली है वह क्लर्कों को बनाने की एक प्रकार की मशीन सी है, अब उसको हमें बदलना है और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इन बातों को देखते हुए जो संशोधन आये हैं वे अत्यन्त महत्व के हैं।

शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्त सत्ता को स्वीकार करते हुए उसे हमें मुक्त रखना चाहिये, राज्य के नियन्त्रण से कम से कम। वैसे तो इस विधेयक के ऑब्जेक्ट्स में ही बताया है कि यह ओटोनोमस बोड़ी होगी; पर इसके गठन पर विचार करते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें राज्य सरकार के जितने भी लोग हैं उनको रखा जा रहा है। इसे देखते हुए यह ओटोनोमस बोडी रह सकेगी यह सन्देहास्पद है। यह स्वतन्त्र नीति से नहीं चल सकेगा। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति-परिवर्तन आए, आज जिस प्रकार की समस्या बेकारी की हमारे सामने है शिक्षितों की, वह दूर हो, वे किसी काम–धन्धे पर लगाये जा सकें और इस दिशा में यह बोर्ड उन्मुक्त होकर, बिना किसी सरकारी नियन्त्रण के अपनी स्वतन्त्र क्रान्तिकारी शिक्षा नीति पर अग्रसर हो नो इसमें शिक्षा को सर्वोपरि समझते हुए ऐसे ही आदमी अधिक रक्खे जावे जो इसमें क्रियात्मक रुचि रखते हों, जिन्होंने अपना जीवन क्रान्तिकारी शिक्षण के परीक्षणों में बिताया हो, जिसकी वजह से इस बोर्ड में स्वतन्त्र काम करने की सामर्थ्य आए और हमारी सारी शिक्षण संस्थायें एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा शास्त्री को ही इसका अध्यक्ष बनाया जावे और यह संशोधन स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble member in charge of the Bill.

श्री पूनमचन्द्र बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : This clause may be deferred, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : The question is that clause 15A be deferred for consideration.

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ ए पर विचार विमर्श डेफर किया जाता है।

(विराम)

Clause, 16, amendments to clause 16.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सिक्सटीन पर तो श्रीभानसिंह जी का ही संशोधन है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६ में सब–क्लॉज़ (३) पर मेरा संशोधन है कि लास्ट वर्ड 'फॉर एप्रूवल' डिलीट कर दिया जावे, क्योंकि जब वह चेयरमेन को इमर्जेन्सी पॉवर दी है एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर के अन्दर कोई एक्शन लेने की, तो उसमें जब वे इमर्जेन्सी के अन्दर कोई एक्शन ले लेते हैं और फिर उसको बोर्ड में एप्रूवल के लिये रक्खा जावे तो मेरी यह समझ में नहीं आया कि आखिर इसका क्या इन्टेन्शन है, क्योंकि जब अगर एक बोडी को हम पॉवर ऑफ एप्रूवल देते हैं तो यह उसमें ओब्वियस है, पॉवर ऑफ डिसएप्रूवल भी उसमें छिपा हुआ है। तो अगर किसी मौके पर चेयरमैन के ऑर्डर को बोर्ड सेंसर कर दे या डिसएप्रूव कर दे तो उस हालत में क्या इससे माननीय मन्त्री महोदय की यह मंशा है कि उसको वोट ऑफ सेंसर मान लिया जावे, एज़ ए नो कान्फीडेन्स अगेन्स्ट दी चैयरमेन माना जावे ? पर अगर आपकी मंशा केवल पॉवर

(श्री श्रीमानसिंह)

ऑफ एप्रूवल की ही देने की है तो जो आप का इन्टेन्शन है कि अपने एक्शन की चैयरमेन बोर्ड को रिपोर्ट कर दे, तो यह मंशा तो इसे डिलीट कर देने से भी सर्व हो जाती है, क्योंकि क्लॉज रीड करते हैं तो पाते हैं : "16 (3). In any emergency arising out of the administrative business of the Board, which, in the opinion of the Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman, shall take such action as he deems necessary, and shall thereafter report the action to the Board at its next meeting be for approval." तो यह जो पर्पज सर्व करना चाहते हैं इससे उसके एक्शन से बोर्ड इन्फोर्म्ड रहे, अगर इन वर्ड्स को डिलीट कर दें तो भी पर्पज सर्व हो जाता है। अगर पॉवर्स ऑफ एप्रूवल देते हैं चैयरमेन को और पॉवर्स ऑफ डिसएप्रूवल नहीं देते हैं तो इस दृष्टि से डिसएप्रूव नहीं कर सकता है तो यह नहीं हो सकता है। यदि बोर्ड डिसएप्रूव भी कर सकता है तो उस इन्स्टान्स में उसके एक्शन की क्या पोजिशन होगी ? क्या चैयरमेन के अगेन्स्ट में नोकॉन्फिडेन्स समझा जाय ? इस लिए मैं समझता हूँ,"The power of approval also carries with it the power of disapproval." डिसएप्रूवल की मंशा है, it is a censure, it is a no-confidence against the Chairman.

उसी मंशा से इन वर्ड्स का डिलीशन मैंने किया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक संशोधन क्लॉज १६ की सब क्लॉज (३) में रखा गया है कि फोर एप्रूवल, ये शब्द इसमें से हटा दिये जायें, मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में जिस इन्टेन्शन से इसको रखा गया है वहां पर डिस्कशन से काफी बातें साफ हो गई थीं कि 'फोर एप्रूवल' इसमें रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर इसमें से 'फोर एप्रूवल' ये शब्द हटा दिये जावेंगे तो जैसी कि कई बार शंकायें होती हैं कि चेयरमेन जो कि एक सरकारी अधिकारी है, सरकार के इशारे पर नाचने वाली एक कठपुतली है वह कभी भी अपनी मन चाही बात कर सकता है, जब कि बोर्ड के अन्य सदस्य उस बात से खिलाफ हों और वह बिना बोर्ड के सदस्यों की राय में लाये कर सकेगा। केवल इस बात का भय कि बोर्ड का चेयरमेन सदस्यों के साथ कोऑपरेट करते हुए उनके विचारों को लेते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए, कोऑपरेशन की स्प्रिट रखते हुए भी, थोड़ा बन्धन रखने की दृष्टि से वह इमर्जेन्सी में अपनी स्वेच्छा से कोई काम करता है, बाकी सदस्यों के एप्रूवल के लिए फिर रख देता है तो यह चेयरमेन के प्रति अविश्वास है, अगर वह कार्य जो उसने स्वेच्छा से किया है मंजूर नहीं किया गया तो चेयरमेन हट जावेगा, ऐसी बात नहीं है। यह केवल इस लिए है कि बोर्ड के जो दूसरे सदस्य हैं उनमें आपस में सहकारिता की भावना रहे। चेयरमेन नाखुश न हो जाय इसलिए इसको रखा गया है, यह सही नहीं है। इसमें दूसरी बात यह भी है कि अगर इमर्जेन्सी के नाम पर चेयरमेन कोइ बात कर देता है तो उसकी जानकारी दूसरे सदस्यों को नहीं मिलती है, इसलिए सदस्य उससे परिचित हो जयं कि यह इमर्जेन्सी के कारण किया गया है और चैयरमेन के ऊपर एक अंकुश रखने के लिए भी यह आवश्यक था, "फोर एप्रूवल" शब्द इसमें जोड़े

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जांय। इन शब्दों को प्रवर समिति में सब की राय से रखा गया था। इसलिए जो यह संशोधन रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूँ इस दृष्टि से कि चेयरमेन के प्रति कोई अविश्वास नहीं है, इसमें जो भावना है वह सहकारिता की भावना है, एक अंकुश रखने की भी भावना हैं कि इमर्जेन्सी में जो कुछ चेयरमेन बिना अन्य सदस्यों की जानकारी के करे तो उससे उनको बाद में परिचित कराये और उनकी एप्रूवल ले। ये जो शब्द "फोर एप्रूवल" रखे गये हैं उनको काफी वजनदार मान कर रखा गया है, इसलिए जो संशोधन रखा गया है वह बेमतलब का है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon' ble Minister in-charge of the Bill.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amendment put in by shri Sribhan Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that clause 16, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 16, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 16 A

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Mr. Dy. Speaker, this clause may also be deferred because it is related to 15A and 4.

श्री उपाध्यक्ष : After discussion.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On clause 16-A I have suggested an amendment that the proviso to it may be deleted :

"Provided that the Director of Education, Rajasthan, shall so long as he is not the Chairman of The Board be its Vice-Chairman"

इसके लिए मैं तो दूसरे कोई आर्गुमेन्ट्स देना नहीं चाहता। इसका मतलब यह था कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को चेयरमैन बनाना चाहिए। इस दृष्टि से यह अमेन्डमेन्ट रखा था और उस सम्बन्ध में जो डिस्कशन हुआ है उस लाइट से डिस्कशन हुआ, है उसको लेकर मानते हुए कोई फरदर आर्गुमेन्ट नहीं देना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that clause 16A be deferred for consideration.

(स्वीकृत)

Claure 16A is also deferred for consideration.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is my amendment on this clause, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, "Substitute thef ollowing for the clause."

"The Direct6r of Education shall be the Vice Chairman of the Board."

Page No.90

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वैसे क्लॉज़ १५ (ए), जिसमें चेयरमेन के सम्बन्ध में डिसीज़न होने का प्रश्न है और क्योंकि उस पर निर्णय नहीं हुआ है और उसको डेफर कर दिया गया है और यदि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन चेयरमैन होते हैं तो फिर उनके वाइस चेयरमैन इस अमेन्ड-मेन्ट द्वारा होने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मंत्री महोदय इसके लिए राजी हो गये हैं कि यह क्लॉज़ डेफर कर दिया जाय और उस पर बाद में विचार कर लिया जाय तो मैं समझता हूं कि उसके साथ ही इस अमेंडमेंट पर भी निर्णय हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that clause 16A be deferred for connsideration.

(स्वीकृत)

Clause 16A is deferred for consideration.

(विराम)

Claue 17

(विराम)

The question is that clause 17 stand part of the Bill.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Clause 17 is deleted, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : We have already issued a corrigendum regarding this..

The question is that clause 17 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Claure 17 is added to the Bill.

श्री तनसिंह : यह डेफर्ड क्लॉज़ दो है उसके साथ में लेने का है। माननीय मंत्री महोदय को याद होगा कि जब कि क्लॉज़ २ को डेफर किया गया था उस समय कहा था कि १७ ए को लेते समय लिया जायगा। यदि चेयरमैन के सिलसिले में तय कर लेते हैं तो डेफर्ड किया हुआ क्लाज़ २ है, इसका असर उस पर पड़ेगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This is a general clause and it has nothing to do with the clauses which have been deferred.

श्री उपाध्यक्ष : That has no relation with the clauses which have been deferred.

श्री तनसिंह : यह तो ठीक है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that clause 17 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 17 is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज़ १८, श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के चौधरी (फुलेरा) : I move, "That snb-clause (6) of this clause be retaind as it was in the original Bill."

ओरीजिनल बिल में ऐसा था कि।

"The Secretary shall be entitled to be present and to speak at any meeting of the Board, but shall not be entitled to vote thereat."

(श्री पी० के० चौधरी)

लेकिन इसमें जो एमेंडमेंट किया गया है, आई मीन, सिलेक्ट कमेटी ने जिस रूप से इसको पेश किया है वह ऐसा है :

"The Secretary shall be entitled to be present and may with the permission of the Chairman speak at any meeting of the Board, but shall not be entitled to vote thereat."

मैं समझता हूं यह जो सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश है यह तो with all respects I say it is a childish recommendation. किसी भी मीटिंग में बगैर चेयरमैन की इजाजत के नहीं बोल सकते हैं। हम मज़दूरों की मीटिंग करते हैं, वहां पर भी बगैर सभापति की इजाजत के बात नहीं करते हैं और वहां पर कोई कॉन्स्टीच्यूशन या रूल्स नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा टर्ब्युलेंट जो मीटिंग्ज़ होती हैं वे मजदूरों की होती हैं। वहां पर भी हमने देखा है कि किसी आदमी ने बगैर चेयरमैन की इजाजत के बात नहीं की, उसका कारण यह है कि आखिर पब्लिक सेन्क्शन रहती है। यह एक ट्रेडीशन है और कम से कम मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में इतनी डेमोक्रेसी हम लोगों ने डेवलप कर ली है। आज किसी भी गांव में जायं, अनपढ़ से अनपढ़ गांव में भी जायेंगे तो सभापति की बगैर इजाजत पब्लिक मीटिंग में नहीं बोलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मिनिस्टर इन चार्ज कैसे सेक्रेटरी को विज्युलाकरइज़ रहे हैं.. ....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, Sir, the Minister-in-charge is not the sole person in the Select Committee. He has only one vote and the right to preside over it.

श्री पी. के. चौधरी : You were the chairman of the Committee.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I was the chairman of the Select Committee but I was not the sole man to decide matters in it. Whatever were my views I am not going to disclose them here.

श्री पी. के. चौधरी : मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि सिलेक्ट कमेटी ने क्या ऐसे एक सेक्रेटरी को विज्युलाइज़ किया है जो कि मजदूरों की मीटिंग होती है उसमें भी लड़ते झगड़ते हैं, उससे भी ज्यादा अन कल्चर्ड, उनसे भी ज्यादा अन्डेवलप्ड सेक्रेटरी रहेगा, जिसको कि मीटिंग में बोलने से रोकने के लिए स्टेच्यूट में प्रोवीज़न होना चाहिए कि "the Secretary shall not speak without the permission of the chair." मैं समझता हूँ कि ऐसे लेजिस्लेशन को पास नहीं करें, यदि हम पास करेंगे तो लोग हंसेंगे। मैं समझता हूँ कि ओरीज़िनल बिल में जो प्रोवीज़न था :

"He will be entitled to speak but not to vote."

वह काफी था। यह जो लिखा है, मैं समझता हूँ, it is against the decorum of this House to pass such a clause. We preconceive, कि आज इसको पास कर देते हैं तो इसका मतलब ऐसा होता है कि हम प्रीकन्सीव करते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ दी बोर्ड ऐसे केलीबर का आदमी होगा, ऐसे स्टेटस का आदमी होगा, जो कि इतना अन्कल्चर्ड और क्रूड होगा कि जिसको कि बिना कानून के पास किये कब्जे में नहीं रख सकते हैं, इसलिए प्रोवीज़न रखा है।

(श्री पी० के० चौधरी)

I will request the Minister in-charge of the Bill to accept this amendment of mine.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस क्लॉज पर एमेंडमेंट इसी प्रकार का है जो कि अभी माननीय सदस्य ने रखा है। उन आर्ग्युमेन्ट्स को दोहराऊं तो फिर रिपीटेशन होगा, मगर इतना तो कम से कम है कि सेक्रेटरी हरेक मीटिंग के अन्दर उसके चेयरमैन की इजाजत से ही बोलते हैं तो फिर इस एडीशन की कोई जरूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दिया जाय और इसकी जगह ये वर्ड्स इन्सर्ट कर दिये जायं:-

"explain certain matters under discussion."

"with the permission of the Chairman speak" डिलीट कर दिये जायं। अब यह क्लॉज़ रीड करेगी :—

"The Secretary shall be entitled to be present and may explain certain matterr under discussion at any meeting of the board, but shall not be entitled to vote thereat."

यह मेरा संशोधन है। "with the permission of the Chairman." यह सुपरफ्लुअस है एड करना। उनको डिलीट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १८ (१) में मेरा एमेण्डमेंट है। अभी अभी फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने क्लॉज १८ की सब-क्लॉज (६) में जो अपना संशोधन पेश किया है और संशोधन पेश करते समय उन्होंने यह आशंका व्यक्त की, और यह भय व्यक्त किया है कि क्या सेक्रेटरी हमारे बोर्ड का ऐसा भी हो सकता है जो शायद चेयरमैन को ओवरपॉवर करके अपनी बात बोर्ड में रख ले। उन्हें शायद यह आशंका है कि चेयरमेन जो रखेंगे वह एक एजुकेशनिस्ट होगा, जिसके बारे में सदन में इतने संशोधन के प्रस्ताव आये हैं और वह शिक्षा शास्त्री स्वभाव से प्रकृति से सरल विचारों का होगा, और सेक्रेटरी जिसको कि क्लॉज १८ (१) में नोमीनेट किया जायगा बाई दी स्टेट गवर्नमेंट और एपॉइन्टेड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट और इसलिए जिस सेक्रेटरी को स्टेट गवर्नमेंट ने एपॉइन्ट किया है वह शायद हमारे विद्वान् शिक्षा शास्त्री के ऊपर हावी हो जाय, इसलिए मैंने क्लॉज १८ की सब क्लॉज (१) में यह संशोधन प्रस्तुत किया है। सब क्लॉज (१) इस प्रकार है "The Secretary shall be appointed by the State Government upon such conditions and for such period as the State Government may deem fit."

This is the original sub-clause. My amendment is like this-

"Sub clause (1) : Substitute the following for the whole :

'The Secretary shall be appointed by the Board on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following:

(1) The Chairman,

(2) The Chairman of the Public Service Commission.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(3) One member to be nominated by the Board from amongst themslves."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सेकन्डरी एजुकेशन बिल में जितनी क्लॉजेज़ के ऊपर अभी तक हमने बहस की है, उस बहस के दौरान में सब माननीय सदस्यों ने एक भाव व्यक्त किया है। वह भाव यह है कि जिस बोर्ड को हम ऑटोनोमस रूप देने जा रहे हैं, जिस बोर्ड के हाथों में हम राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा के विकास का भार सौंपने जा रहे हैं, उस बोर्ड का सेक्रेटरी गवर्नमेंट के द्वारा एपोइन्टेड होता है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा माननीय मन्त्री महोदय से कि यदि उन्होंने युनिवर्सिटी ऑफ राजपूताना एक्ट का वह प्रोविज़न देखा है, जिस प्रोवीज़न के द्वारा युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का एपोइन्टमेंट होता है। माननीय उपाध्यक्ष, युनिवर्सिटी ऐसी एक आटोनोमस बोडी है शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने निवेदन किया है कि शिक्षा के क्षेत्र को हम तीन भागों में विभक्त करना चाहते हैं, और जिस प्रकार की भावना दिखाई देती है कि प्राइमरी एजुकेशन हमारी स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा चलाई जाय, हमारी माध्यमिक शिक्षा का कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा चलाया जाय और उसके बाद का कोर्स युनिवर्सिटी के द्वारा चलाया जाय। इस क्षेत्र के आधार पर यदि हम विचार करने लगें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र, सबसे बड़ा फील्ड युनिवर्सिटी एजुकेशन का है। वह युनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बोडी है, वह युनिवर्सिटी राजपूताना युनिवर्सिटी एक्ट के तहत बनी है, और युनिवर्सिटी का जो चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर है जिसको कि रजिस्ट्रार कहते हैं उसका एपोइन्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है।

युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का अपोइन्टमेंट सिन्डीकेट के द्वारा जो सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, जिसमें वाइस चान्सलर, पी. एस. सी. के मेम्बर और एक सीनेट के मेम्बर होते हैं, इन तीनों आदमियों की रिकमन्डेशन के ऊपर सिन्डीकेट द्वारा किया जाता है। मैं समझता हूँ सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के अपोइन्टमेंट के फंडामेंटल बेसिस और यदि उसके सिद्धान्तों पर विचार करें तो मैं नहीं समझता कि जब युनिवर्सिटी एक्ट में रजिस्ट्रार को अपोइन्ट करने की पॉवर सिन्डीकेट को दी है कि सिलेक्शन कमेटी की रिकमन्डेशन पर वह उसका अपोइन्टमेंट कर सकती है, तो मैं नहीं समझता कि हम क्यों नहीं बोर्ड के सेक्रेटरी के अपोइन्टमेंट के सारे पॉवर्स इस बोर्ड को दें। हमने इतने कॉम्पीटेन्ट आदमी इस बोर्ड में रखे हैं, वाइस-चान्सलर, डीन ऑफ फेकल्टीज़, टीचर्स के रिप्रजेन्टेटिव्ज़, मेडिकल और दूसरी साइन्स के रिप्रजेन्टेटिव्ज़ राजस्थान में जो प्रखर बुद्धिवाले हैं, उनका क्रीम इस बोर्ड पर होगा तो इस आशंका की संभावना नहीं प्रतीत होती जिसके कारण मन्त्रीजी ने यह प्रोविजन रखा है कि सेक्रेटरी या बोर्ड का चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर होगा उसका अपोइन्टमेंट सरकार के द्वारा किया जाय। मैं समझता हूँ, उनकी शायद ऐसी भावना हो सकती है कि इसमें सारे लोग चुने हुए होंगे, उनके द्वारा सच्चाई का ही काम होगा, कोई और तरह का काम नहीं होगा, इसलिये एक आदमी वहां पर अपना रहना चाहिये। क्योंकि सेक्रेटरी बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, सारी व्यवस्था और प्रशासन का इन्तजाम उसके हाथ में होता है इसलिये उन्होंने सोचा होगा कि सारी ताकत सेक्रेटरी के हाथ में होती है, चेयरमेन तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

केवल नाम मात्र का होता है इसलिये उस स्थान पर अपना ही आदमी रखा जाय। मैं समझता हूं चेयरमेन को दिखावटी और फ्लॉवर पोट का गुलदस्ता न समझें। सारे पॉवर्स उसके ही होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सारे पॉवर्स सेक्रेटरी के हाथ में रखना चाहती है। यह ओटोनोमस बोडी, विशेष प्रकार का बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के प्रभाव से मुक्त रहना, चाहिये यह मेरी मान्यता है। शिक्षा के विकास का सारा भार शिक्षा शास्त्रियों के हाथ में रहना चाहिये। देश का विकास उन्हीं के हाथों से हो सकता है। लोगों का बौद्धिक विकास शिक्षा शास्त्रियों के हाथ से ज्यादा हो सकता है। सरकार, जो पार्टीबाजी में फंसी रहती है उसके हाथ से यह काम नहीं हो सकता।

जहां तक क्लॉज़ १८ (१) में सेक्रेटरी के अपोइन्टमेंट का प्रश्न है हम सब बैठ कर विचार करें। मैंने युनिवर्सिटी का उदाहरण दिया, रजिस्ट्रार के अपोइन्टमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती! इसलिये मैंने सुझाव रखा है कि सिलेक्शन कमेटी रख दी जाय और उसे भी बोर्ड बनायेगा, गवर्नमेंट नहीं बनायेगी। इसलिये मैंने क्लियर किया है कि उसमें वाइस चान्सलर हों जो कि बोर्ड के चेयरमेन भी होंगे और चेयरमेन पी. एस. सी. भी इसमें होंगे। चेयरमेन पी. एस. सी. राज्य की बड़े से बड़े अफसरों का सिलेक्शन करने की दृष्टि से हाइयेस्ट ऑथोरिटी है। उसी हाइयेस्ट ऑथोरिटी को इसका चेयरमेन रखा है और बोर्ड के २ सदस्य रखे हैं जिनको बोर्ड के लोग चुनकर भेजें। इसका डेमोक्रेटिक करेक्टर रखा है, इसके साथ साथ प्रतिभा सम्पन्न लोगों को रखा है। ऐसे लोगों को रखा है जिनको सर्विसेज़ के लोगों को चुनने का अधिकार है जैसे चेयरमेन पी. एस. सी.। जो सिलेक्शन कमेटी ३ प्रतिभा सम्पन्न आदमियों की बनेगी उनकी रिकमेन्डेशन पर यदि बोर्ड उचित समझेगा तो विचार करके सेक्रेटरी को अपोइन्ट करेगा। मैंने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी युनिवर्सिटी जो शिक्षा के क्षेत्र में इस बोर्ड से भी एक कदम आगे रखती है, उसके रजिस्ट्रार का अपोइन्टमेन्ट यदि सिलेक्शन कमेटी की रिकमन्डेशन पर किया जा सकता है तो मैं नहीं समझता कि इस बोर्ड के सेक्रेटरी का अपोइन्टमेंट बोर्ड के द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता ?

जिस सिद्धान्त के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उसके अनुसार अलग ऑटोनोमस बोडी होनी चाहिये, इसका सारा भार अलग ओटोनोमस बोडी पर होना चाहिये। मैं समझता हूँ जिस भावना से प्रस्तुत किया है यदि हमने इस प्रोविजन के साथ उस बोर्ड के सेक्रेटरी की अपोइन्टमेंट की सत्ता गवर्नमेंट के हाथ में दे दी तो हम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र का सारा भार शिक्षा शास्त्रियों के हाथ में हो, वह स्वप्न हमारा पूरा नहीं हो सकेगा, हमारी सारी कल्पना धराशायी हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी नाराज बहुत होंगे क्योंकि सारा अधिकार उनके हाथ से छीना जा रहा है। सेक्रेटरी का अपोइन्टमेंट अपने हाथ में रखने से अपनी बातों को वहां पर मनवाने और और भी कई इर्रेगुलेरिटीज़ होती हैं उन पर पर्दा डालने का काम आसानी से हो सकता है यदि सेक्रेटरी गवर्नमेंट की मर्जी का होगा। आज हम देखते हैं कि जिन संस्थाओं में गवर्नमेंट के द्वारा अपोइन्टेड आदमी रखे

Page No.95

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गये हैं वे गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं या मन्त्रीजी की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो उनकी ट्रान्सफर कर दी जाती है। मैं समझता हूं, जो माध्यमिक शिक्षा विधेयक रखा है उसका सेक्रेटरी गवर्नमेंट की मर्जी पर यदि रहे, तो मन्त्रीजी की स्वीट विल पर यदि बोर्ड चलता रहे, तो मैं समझता हूँ बोर्ड का कल्याण हो जायगा। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि बोर्ड का चीफ एग्ज़ीक्युटिव ओफिसर को मन्त्रीजी के विल पर रखेंगे तो कल्याण नहीं होगा। सेक्रेटरी रिपोर्ट करेगा कि उसमें फलां चीज की कमी है इसलिये वह इन्स्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज़ नहीं हो सकता और यदि वह स्कूल मन्त्रीजी के कॉन्स्टिट्युएन्सी में है तो टेलीफोन खटखटायेंगे, दुअन्नी खर्च करेंगे और कहेंगे कि यह काम कर दो। यदि सेक्रेटरी उनका आदमी नहीं हुआ तो कहेगा कि मैं यह काम कैसे कर दूं इसमें फलां खामियां हैं ....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, the Hon'ble Member is going beyond the point.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि सेक्रेटरी का जहां तक ताल्लुक है....आप बात सुनिये, गलत बात नहीं है, सही बात है, यह गलत हो तो आप जवाब दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please refrain from making such references; will not anticipate things which are irrelevant.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : These are correct things. These are not incorrect. What I am stating is correct. Any way......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : These are incorrect, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सुनते जाइये शान्ति से। उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं हमको लाइन पर लाने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please continue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) मैं अर्ज कर रहा हूं कि सेक्रेटरी के अपोइन्टमेन्ट के बारे में जो शंकाएं प्रगट कीं, वे शंकाएं जिनसे..... .

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No personal remarks please. I will request you not to make any personal aspersions,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Neither it is personal nor any aspersions. Why do you interrupt me ? I am in possession of the House. There is absolutely no thing personal about it.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please continue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल Why does he interrupt me ?

श्री उपाध्यक्ष : Please continue the debate; no more explanations about it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि सेक्रेटरी की अपोइन्टमेन्ट का जहां तक तालुक है वहां तक यह अपोइन्टमेन्ट बोर्ड के द्वारा होना चाहिये। जिन सिद्धान्तों के आधार पर, जिन बातों के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आधार पर मैंने निवेदन किया, मैं समझता हूं सारी बातों को देखकर लगता है कि मंत्रीजी राजी नहीं होंगे; यद्यपि सदन के माननीय सदस्य इस बात पर तुले हुए है और समझते है हमने जो राजस्थान युनीवर्सिटी कानून पास किया है उसमें जो रजिस्ट्रार का अपोइन्टमेंट होता है, उसका पहले सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन करती है, उसके बाद में सिन्डीकेट अपाइन्टमेंट करता है । इसी तरह से सेक्रेटरी ऑफ सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड का अपोइन्टमेंट होना चाहिये । मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री इस प्रकार चलने लगेंगे और जो भी बात सदस्य यहां रखें, उसको नहीं मानेंगे तो माननीय सदस्यों को इस पर विचार करना होगा, गम्भीरता से विचार करना जरूरी होगा। माध्यमिक शिक्षा विधेयक के अनुसार बोर्ड की स्थापना करना जरूरी है और सम्पूर्ण शिक्षा का भार इस बोर्ड के कन्धों पर डालने जा रहे हैं, इसका जो एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी होगा, उसके बारे में विचार करना होगा, गम्भीरता से विचार करना होगा कि यह सेक्रेटरी सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्ट किया हुआ और बोर्ड का अपोइन्ट किया हुआ हो । मैं यह निवेदन करूंगा सब बातों से ऊपर उठ कर, क्योंकि यह शिक्षा का प्रश्न है, शिक्षा के प्रश्न में पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर, जो मैंने रखा है उस पर गम्भीरता से विचार करें।

४. १२ म. प.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक सेक्रेटरी का सवाल है, मैं समझ नहीं पाया कि क्या यह बिल और बोर्ड गवर्नमेंट की देख रेख में चलेगा ? क्या कोई ऐसा बोर्ड कायम कर दें जिसका सम्बन्ध सरकार से बिल्कुल न हो, जिसकी मन्शा, जिन महाशय ने यह संशोधन पेश किया है, उनके अनुसार यह हो कि सारे का सारा काम बिल्कुल गवर्नमेंट से अलग कर दिया जाय और सेक्रेटरी हो, उसका चुनाव कर दिया जाय, चेयरमेन के लिये भी हमने काफी जोर दिया है कि इस पद पर कोई शिक्षा शास्त्री होना चाहिये । तो क्या इस बोर्ड का सारा काम इन्डीपेंडेंट हो, जिसका गवर्नमेंट से कोई सम्बन्ध न हो । इस प्रकार का संशोधन पेश करके, जो इस विधेयक की मन्शा है, जो सेकन्डरी एजुकेशन बिल की मन्शा है, उसको कार्यान्वित नहीं करना है । इस बोर्ड का जो सेक्रेटरी बनाना है, उसका चुनाव हो, मेरी समझ में नहीं आता, अगर ऐसा न हो तो क्या अड़चन पैदा होगी ? आखिर सम्बन्ध तो सरकार से रखना है और सरकार की देख-रेख में शिक्षा का काम चलाना है । आप कह सकते हैं कि असेम्बली सेक्रेटरी हैं, उनका भी चुनाव होना चाहिये, हर बात का चुनाव हो, यह चीज यहां लागू नहीं होती । इस बिल के अन्तर्गत जो सेक्रेटरी चुनने की बात करते हैं, वह मुझे वाजिब प्रतीत नहीं होती, न तो प्रशासन की दृष्टि से और न व्यवस्था की दृष्टि से । अगर व्यवस्था रखना चाहते हैं और अगर सेक्रेटरी का चुनाव हुआ, तो प्रशासन में कई कठिनाइयां उपस्थित होंगी । मैं विनय करूंगा, यह संशोधन है, इसको रखने वाले जो महाशय हैं, वे इसे वापिस ले लें ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता ने यह फर्माया कि गवर्नमेंट के हाथ में यह हक न रखा जाय कि वह सेक्रेटरी को अपनी मर्जी से अपोइन्ट करे । इसका मतलब यह नहीं निकलता कि सेकन्डरी एजुकेशन का बोर्ड गवर्नमेंट के हाथ से बिल्कुल निकल जायगा या गवर्नमेंट का उसके ऊपर कन्ट्रोल

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं रहेगा। मेरा उनसे निवेदन है कि उनको इस तरह के वहम में नहीं रहना चाहिये। अगर सेक्रेटरी गवर्नमेंट की तरफ से नोमिनेटेड या अपोइन्टेड नहीं होता तो कोई खास बात नहीं होती। जब कि उन्होंने अपने संशोधन में रखा है कि तीन आदमियों की एक कमेटी हो, जो सेक्रेटरी का चुनाव करके उसे अपोइन्ट करें, इस कमेटी में चेयरमैन ऑफ बोर्ड है, उसके साथ में एक बोर्ड का मेम्बर है। इस प्रकार अपोइन्टमेंट करने से ऐसा क्या हो जाता है जिससे बोर्ड का काम सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो जाय, या गवर्नमेंट का कंट्रोल न रहे। अगर ध्यान से देखेंगे तो मालूम होगा कि बोर्ड में १७ मेम्बर गवर्नमेंट के हैं, जो या तो एक्स ओफिशियो हैं या गवर्नमेंट के नोमीनेटेड हैं और बाकी जो रहते हैं, उनमें से छः इलेक्टेड हैं। तो इस प्रकार बोर्ड करीब सारा का सारा गवर्नमेंट के इन्फ्लुएन्स से दबा हुआ है, गवर्नमेन्ट की पॉलिसी को चलाने वाला है। इस बोर्ड में १७ आदमी गवर्नमेन्ट की मर्जी से, गवर्नमेन्ट की मन्शा से बैठे हैं, अगर वे चाहें तो वह जगह टूट सकती है। इसके अलावा जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस हैं, वे गवर्नमेन्ट की पॉलिसी को चलाने के लिये हैं। तो इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि यहां गवर्नमेन्ट की पॉलिसी को चलाना मुश्किल हो जायगा, या गवर्नमेन्ट का इन्फ्लुएन्स नहीं रहेगा, हाथ नहीं रहेगा, ऐसी गलतफहमी होना जरूरी नहीं है। अगर सेक्रेटरी अलग अपोइन्ट हो जाता है तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं होगी। क्योंकि गवर्नमेन्ट का जैसा कि रवैया रहा है, टेलीफोन के ऊपर अपोइन्टमेंट के लिए प्रेशर हुआ करते हैं, उस लिहाज से बोर्ड द्वारा सेक्रेटरी चुन लिया जाय......

श्री उपाध्यक्ष : Again hear-say points are being raised. You will kindly confine to the facts existing.

श्री तनसिंह : This is a fact.

श्री अनूपसिंह : यह हुक्म, फेक्ट है या नहीं, यह थोड़े दिनों के बाद आप सुन लेंगे। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि १७ आदमी बोर्ड में गवर्नमेन्ट के बैठे हैं, जो पेड सर्वेन्ट्स हैं और नोमीनेटेड और एक्स-ओफिशियो मेम्बर्स हैं। अगर सेक्रेटरी और चेयरमैन बाहर से आ जाते हैं, तो भी मेरी राय में गवर्नमेंट का हाथ रहता है। यह ठीक नहीं है कि पॉलसी को चलाने का कोई जरिया नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जिन महाशय ने यह संशोधन रखा है कि सेक्रेटरी बोर्ड द्वारा अपोइन्ट किया जाय और जो दो-तीन सदस्यों की कमेटी बताई है, सेक्रेटरी को अपोइन्ट करने के लिए, यह संशोधन मंजूर किया जाना चाहिए और सेक्रेटरी इसी तरह अपोइन्ट होना चाहिए।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I may avail of the opportunity of expressing my views over the amendment motion moved by the member coming from Jaipur Constitunency. I am afraid the bad experiences have so influenced the member that he is viewing the constitution of this board from a different perspective. He may have bad experiences, but then it should not deviate from the main scheme of of the Secondary Education Board. We, at the first instance, should realise that the basic education and the secondary education is the

Page No.98

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

responsibility of the State Government and with this object in view we have to see that the Board should be so composed that the Government at a latter stage, may not back out from its responsibility. The Government should have full control over the constitution of the Board. In an earlier motion, on the discussion over clause 15A, I was watching the discussions and I should say that the Chairman of that Board, whatever it may be, must be the Director of Education. The Commission which was set up by the Government of India and has submitted a Report on the Secondary Education has very strongly recommended that the Chairman of such Board must be the Director of Education, because unless the Government will have full control over the Board, Government's responsibility wfll not be fully materialised. Further when we see that the Secretary should not be a man of the choice of the Government or the choice af the board, where the Government is dominating, I think we are not fair. In the present case, the Member who has tabled the amendment has envisaged the University Registrar. In his opinion the Univercity is an autonomous body. It is true. The University is an autonomous body, but not the Secondary Education Board. The Board is a creation of this Legislature and in every way it owes its existence to Government. The State Government and the various officers of the State Departments are the-e and the Government wants to spread the secondary education amongst the public. So the Secretary must be a man as has been envisaged by the main provisions of this Bill, i. e. there should not be too much limitations over his selection by a Committee. We cannot, of course, undermine the benefits of the bureacracy and even if the secretary may be from the services, we must take advantage of his talents. It will be very unfortunate, as my other friend who has come from Pali has just said, if the state is gradually alloowed to withdraw or it might deviate from the man objects of the Act and we may set up a parallel body which may not be responsible to the Government, to that body whose responsibility it is to impart secondary education.

So I think it will not be in the fitness of things to have a secreatary as envisaged by this amendment. I object to this and express that this amendment should be turned down.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : जहाँ तक इस बोर्ड के सेक्रेटरी की सरकार द्वारा नियुक्ति का इस बिल में प्रावधान किया गया है, इसका सम्बन्ध है, मैं इस प्रावधान से सहमत हूँ। लेकिन मेरे मित्र ने अपने भाषण में जो चेयरमेन के बारे में सुझाव दिया है और इसके सारभूत तत्व, तथ्य हमारे

(श्री जनार्दनराय नागर)

सामने रखे हैं इससे हम लोग चौंक गये हैं। आपने रखा है कि जो बोर्ड इस बिल के द्वारा पैदा किया जा रहा है वह सरकार की पूर्ण आधीनता में रहना चाहिऐ, इस सिद्धान्त को रखने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि सदस्यों को अब इस प्रकार का विरोध नहीं कि यह सरकार की मुट्ठी में रहे।

यदि इस बिल के सारे क्लॉज़ेज़ को ध्यान से पढ़े तो कई स्थानों पर इस बिल से प्रस्तावित बोर्ड को स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस बिल में क्लॉज़ है कि जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में, यानि आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में बोर्ड अमुक गति-विधि से चले तो सरकार आदेश देगी। जहां तक शिक्षात्मक विधियों का सवाल है सरकार ने पूर्ण आजादी बोर्ड को दी है कि किसी प्रकार की ननूनचे और दखल सरकार नहीं करेगी। इसलिए यह कहना कि सरकार के सम्पूर्ण कंट्रोल में, नियन्त्रण में, बोर्ड को चलायें, मैं समझता हूँ, यह सरकार का जो इरादा नहीं उस इरादे को बना कर सरकार के सामने रखने की बात है।

हां, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि बोर्ड के सेक्रेटरी की नियुक्ति सरकार के द्वारा होनी चाहिए। हमारे यहां केवल यह बोर्ड ही स्वायत्त संस्था नहीं बनाई जा रही है, हमारे यहां पहले से ही और और स्वायत्त संस्थाएं हैं, म्युनिसिपल बोर्ड है, लोकल सेल्फ बोडीज़ हैं, जिला बोर्ड्स हैं, जिनमें अनुभव से, परम्परा से सरकार द्वारा ही ऐसे प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जो सरकार के मत के अनुसार इनका शासन करते हैं। यूनिवर्सिटी को बोर्ड के स्तर पर मान कर चलते हैं तो यह एक प्रकार से उचित नहीं, विश्व-विद्यालय कायम किये गये हैं इसमें तात्विक फर्क है, सेटिंग का फर्क है। यह बोर्ड इसलिए स्थापित किया जा रहा है कि माध्यमिक प्रशिक्षण में स्वतन्त्र रूप से प्रबन्ध करे। यह सेक्रेटरी इस बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। यह ठीक है कि बोर्ड की मीटिंगों में उसे बोलने का अधिकार होगा पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा। बोर्ड के स्वीकृत विधि-विधान द्वारा अध्यक्ष को कार्य चलाने का अधिकार होगा।

तो इस प्रकार सेक्रेटरी की नियुक्ति सरकार द्वारा होनी चाहियें, इस मत को माननीय सदस्य व्यक्त करते हैं तो इसमें मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। जहां तक चेयरमेन का सवाल है, मैं समझता हूं इस प्रश्न को इससे संयुक्त नहीं करना चाहिए, यदि वे यह चाहते हैं कि बोर्ड पर सरकार का सर्वांगीण नियन्त्रण हो तो वैसी स्थिति में इस बोर्ड को बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहता।

बोर्ड को स्वायत्तता इस बिल के द्वारा दी गई है, मूल प्रस्ताव हमारे सामने आया था उसमें यह नहीं था, प्रवर समिति ने यह किया है, जिसे सरकार ने स्वीकार किया है। मूल मसविदे में था कि सरकार बोर्ड को चाहे जैसे डायरेक्टिव्स आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक मामलों में दे, बोर्ड को उन्हें सुनना आवश्यक होगा, यदि बोर्ड नहीं सुनेगा तो उन डायरेक्टिव्स को सीधे कार्य रूप में लाने का अधिकार सरकार को होगा। पर प्रवर समिति ने यह रखा कि शैक्षणिक मामलों में बोर्ड को पूर्ण रूप से आजाद रखा जाय, सरकार को आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में बोर्ड को डायरेक्टिव्स देने का अधिकार

(श्री जनार्दनराय नागर)

होगा, पर प्रशिक्षण के मामलों में सरकार डायरेक्टिव्स नहीं देगी। एक प्रबन्ध, एक व्यवस्था प्रवर समिति ने बोर्ड के बारे में कर दी है कि जहां तक कर्तव्यों को प्रवृत्त करने का सवाल है, स्वतन्त्र, निरपेक्ष बुद्धि से करने का जो अधिकार है वह बोर्ड का सुरक्षित है।

सेक्रेटरी की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं कि सेक्रेटरी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, मुख्य अधिकारी तो अध्यक्ष है। सेक्रेटरी का काम है अध्यक्ष के नियन्त्रण में बोर्ड की मीटिंग्स बुलायेगा, बोर्ड के द्वारा स्वीकार किये गये जो प्रस्ताव हैं उनको अमल में लायेगा, तो इस प्रकार बोर्ड की मदद ही सरकार करना चाहती है, इसके लिए लम्बी चौड़ी सिलेक्शन कमेटी मुकर्रर हो और सेक्रेटरी का चुनाव हो, यह ठीक नहीं है।

जहां तक जनतन्त्र के उसूलों का सवाल है, उन्हें सांगोपांग मानते हैं तो सेक्रेटरी का भी चुनाव होना चाहिए, पर बोर्ड के सम्पूर्ण जनतन्त्रीय आधार जैसे कि विश्व-विद्यालय के होते हैं, उसके अनुसार नहीं हैं। यह तो एक बीच के आधार पर निश्चित है। सरकार के प्रति न्याय करने की दृष्टि से सरकार की पसंद का, विवेक का हमें स्वागत करना चाहिए और मन्त्री पद पर नियुक्त करने का अधिकार सरकार को देना चाहिए। मन्त्री पद के बारे में शंका नहीं करनी चाहिए। वह तो अधिकारी है, मेम्बर नहीं है। बोर्ड की गति-विधि में अपना प्रभाव कर नहीं सकता, तो सरकार इस बारे में जैसा चाहती है उसे मान लेना चाहिए। हां, अध्यक्ष की बात है उसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों की यह राय है कि यह बोर्ड किसी शिक्षाशास्त्री के हाथों में हो।

मन्त्री की नियुक्ति की बात है यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, बोर्ड की स्वायत्तता के अन्दर किसी प्रकार का असाधारण प्रभाव आयेगा या छद्म बात बोर्ड के सामने रखी जायगी यह तो केवल मन की भयावह स्थिति के कारण ही शंका होती है।

सरकार ने इस बिल के द्वारा कह दिया है कि शिक्षा के मामलों में बोर्ड पूर्ण स्वतन्त्र रहेगा....

श्री पी. के. चौधरी : Hon'ble Deputy speaker, Sir, the Hon'ble Member may continue tomorrow. It is exactly 4. 30.

श्री उपाध्यक्ष : We are not to be debarred by 4. 30. We are to continue upto 5. 00 O'clock.

श्री नरेन्द्रसिंह : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो उनको पूरा कर लेने दीजिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के इरादे के ऊपर हम बातें कहें, मैं मेरे माननीय मित्र से सहमत हो सकता था यदि सरकार के इरादे में शंका करने की बात नहीं कही जाती। प्रारम्भिक मोशन मूव करते समय जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त सेक्रेटरी सरकार की कठपुतली होगा और उसको चलाने वाले सरकार के रुख के अनुसार काम को पूरा करते चलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा है तो स्वतन्त्र जनतन्त्रीय अधिकारों की कमी है। कमी तो

(श्री जनार्दनराय नागर)

नहीं कहना चाहिये मगर कमी कह कर चलना चाहता हूं। सही बात तो यह है कि सरकार को आधार भूत बातों को मान कर चलना पड़ेगा। सरकार की किसी बात से हमारा मतभेद है, हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी की समस्या कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि अध्यक्ष की है। इसलिए हमारे माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ।

यह मेरे खयालात हैं। मैं तो यह बात कहना चाहता हूं कि इसे सरकार के संपूर्ण नियंत्रण में चलाने के प्रश्न का बराबर मैं विरोध करूंगा, चाहे मुझको इसमें सफलता हो या असफलता मिले। यह कोई विरोध करने का प्रश्न नहीं है। जहां तक बोर्ड के चेयरमेन का प्रश्न है। यदि आप कहते हैं कि आपकी राय नहीं मिलती तो मैं मानता हूँ और मैं समझता हूं कि मुझे इस मामले में सदन की राय मालूम है कि अध्यक्ष के मामले में बहुत सारे सदस्य चाहे इधर बैठने वाले हैं या उधर बैठने वाले उसूलों की दृष्टि से एक मानसिक संस्थिति में पहुंच गये हैं और हो सकता है कि मेरे पक्ष के दो या तीन व्यक्ति ..

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I rise, Sir the hon'ble member can make declarations about his convictions but he cannot take the whole House with him.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूँ कि यदि मैंने ऐसा कह दिया तो कोई अत्युक्ति नहीं है। किसी आधार पर, किसी बात पर अगर सारे सदन को अपना बताऊं तो मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा पर कोई बात कह रहा हूँ........

श्री श्रीमानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य को इस विषय पर बोलने से डिबार किया जावे क्योंकि वे इस सिलेक्ट कमेटी के सदस्य रहे हैं और सिलेक्ट कमेटी में इन्होंने कोई अपना नोट ओफ डिसेन्ट नहीं दिया और अब इस स्टेज पर यहां बोल रहे हैं इसलिये इनको डिबार किया जाए; क्योंकि यह संसदीय परम्परा के माफिक नहीं है। माननीय सदस्य का कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें मेरा मतभेद है और अध्यक्ष महोदय के पास इन विचारों को रखा था।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I am afraid, the Hon'ble Member is divulging some secrets of the Select Committee which he is not authorized to.

श्री श्रीमानसिंह : आपका नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सबको एक मत से इस मामले में सरकार की बात को मान लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : After all this has enabled him to make a briefer speech.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में काफी वाद-विवाद हो चुका है और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कह कर थोड़े शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मत यह है कि जो चेयरमेन

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

हो बाहर का हो और सेक्रेट्री गवर्नमेंट का हो यह मेरा मत है। क्योंकि सेक्रेट्री तो इन्स्ट्रूमेन्टल हो, जो भी हो, उसको तो जो भी हुक्म होगा वह तामील करेगा वह अपनी राय नहीं दे सकेगा और न किसी प्रकार से वोट दे सकेगा। बाहर का व्यक्ति चुनाव में लिया जाए जैसे डा० महाजनी जैसा व्यक्ति। यह समय वह है कि जिसमें प्रश्न इस समय सामने आ रहा है मैं उसको ज्यादा उपयोगी समझता हूँ कि इस तरह का आदमी हो जो अपनी स्वतन्त्र राय देने में स्वतन्त्र रहे। इसमें डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को किसी तरह से बुरा मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अपने काम में काफी लगे रहते हैं और उनको समय भी नहीं मिलता है। इसलिये बाहर का आदमी होना चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १८ में जो संशोधन अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस प्रकार का संशोधन रखा है कि माध्यमिक शिक्षा विधेयक जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें सेक्रेटरी हो वह सरकार द्वारा नियुक्त नहीं होकर केवल तीन व्यक्तियों की एक समिति के द्वारा निर्वाचित होना चाहिये और उसके अन्दर तीन व्यक्ति होने चाहिये वे काफी अच्छी प्रतिष्ठा के हों जैसे वाइस-चान्सलर साहब, चेयरमेन ओफ दी बोर्ड, चेयरमेन ऑफ पी. एस. सी.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : On a point of information, Vice-Chancellor has not been suggested in the amendment.

श्री उपाध्यक्ष : You will kindly amend your speech accordingly.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मेरा मतलब यह था कि अच्छे शिक्षा-शास्त्री जो भी हों। तीन अच्छे शिक्षा-शास्त्रीयों का सुझाव रखा है और इस सुझाव के साथ जो भावना रही है उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ पूर्व वक्ताओं ने अपनी ऐसी राय प्रकट की है कि आप इस बोर्ड को सरकार से बिल्कुल ही अलग क्यों नहीं करना चाहते? इस बोर्ड को सरकार के हस्तक्षेप से बिल्कुल ही अलग करना चाहिये लेकिन आज इस क्लॉज़ से फिर विचारना होगा। बहुत से सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा बोर्ड ऐसा बनना चाहिये जो स्वतन्त्र हो और सरकारी नियंत्रण से उसको मुक्त करना चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि जब हम शिक्षा संस्थाओं को सरकारी कन्ट्रोल (नियंत्रण) से मुक्त करना चाहते हैं और कुछ लोग पहले इस बात का दावा करते हैं कि हम शिक्षा संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखेंगे तो फिर समझ में नहीं आता कि अब वे कहते हैं कि अध्यक्ष को बाहर से रखते हैं और सेक्रेटरी सरकार द्वारा नियुक्त होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि इसकी क्या मंशा है? आज सेक्रेटरी के हाथ में कितने अधिकार हुआ करते हैं। मैं आपको बताऊं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी एक सरकारी ट्रस्ट का सदस्य हूं और उस ट्रस्ट का सेक्रेटरी है वह सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ है। मैं यह कहूंगा कि हम ट्रस्ट के सदस्यों को कभी कभी ज्ञान भी नहीं होता और ऐसे काम वह कर डालता है। चेयरमेन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भी दूसरे काम में बिज़ी होता है, लगा रहता है और उसको समय का अभाव रहता है। इसलिये सेक्रेटरी जो चाहे कर लेता है। इसलिये मैं इस बात को यहां साफ कहना चाहता हूं कि सरकार का सेक्रेटरी नहीं होना चाहिये, क्योंकि सेक्रेटरी के हाथ में बहुत बड़ी पॉवर होती है और वह बिना किसी बात को पूछे काम कर सकता है। वही सारे काम का संचालन करता है और इस वजह से भी उसके हाथ में बड़ी पॉवर होती है।

आज जब हम यूनीवर्सिटी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि रजिस्ट्रार के हाथ में कितनी बड़ी पॉवर्स होती हैं और सभी काम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार ही करता है। जब हम यह देखते चले आ रहे हैं कि सेक्रेटरी है, रजिस्ट्रार है या कोई दूसरा एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर सरकार द्वारा रखा गया है, लेकिन उनके हाथ में जो पॉवर्स होती हैं उनको यदि हमारे सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्तियों के हाथ में दे देते हैं तो जो बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं, वह एक प्रकार से सरकारी ही हो जायेगा। वह एक ऑटोनोमस बोडी नहीं हुई और न वह इन्डीपेन्डेन्ट बोर्ड ही होगा। आज हमारे शिक्षा देने का माध्यम जो है वह स्कूल है और शिक्षा की अन्य संस्थायें हैं उनको हम देख रहे हैं कि वह सरकार के हाथ में जा रही हैं। मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि हम बेसिक और सेकन्डरी एजुकेशन जो देने जा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सेबिलिटी गवर्नमेन्ट के ऊपर है और जिस प्रसंग में उन्होंने कहा वह मुझे मालूम है और वह प्रसंग यूनिवर्सिटी का प्रसंग लगता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ में हम किसी प्रकार भी सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड को नहीं रख सकते। जितनी भी शिक्षण की संस्थायें हैं वह चाहे प्रारम्भिक हों, चाहे माध्यमिक हों या चाहे ऊंची संस्थायें हों इन सब को हमारा प्रयत्न यह रहना चाहिए कि सरकार के अधिपत्य से मुक्त करें। इन सारी शिक्षण संस्थाओं को केवल हमें शिक्षा शास्त्रियों के हाथ में देनी चाहिए और यह सारी शिक्षण संस्थायें शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा बनाये गए नियमों के द्वारा ही चलायी जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि उनको शिक्षा के विषय का पूर्ण ज्ञान है और वह सही रूप में यह कार्य कर सकेंगे। आज एक प्रश्न को लेकर यहां पर इस क्लॉज़ १८ पर एक संशोधन रखा गया है और इस संशोधन में यही बताया है कि बोर्ड का सेक्रेटरी एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए या उसका निर्वाचन होना चाहिए। साथ ही एक और सदस्य ने रखा था कि यदि हम सरकार के द्वार नियुक्त व्यक्ति नहीं रखेंगे तो उसको कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई अवश्य आयेगी। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार की बात-चीत की जाती है तो सीधी तरह से वहां के जो सदस्य हैं या जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर सरासर अविश्वास है। उस बोर्ड में अधिकारी ज्यादातर नॉमीनेटेड हों या निर्वाचित हों उन सब का जो बोर्ड बनता है उसके ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर विश्वास मानकर चलते हैं और यह समझकर चलते हैं कि शिक्षा की जिम्मेदारी इस बोर्ड के सदस्यों पर है तो यह विश्वास करके चलना होगा कि जिस व्यक्ति को भी राज्य-सेवा लाये तो वह व्यक्ति विश्वास का होगा और जो कुछ भी वह कर रहा है अथवा करता है वह राज्य के हित में, बच्चों की शिक्षा के हित में कर रहा है। यदि संस्थाओं का आपस में कोई

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सम्बन्ध है तो सबसे बड़ा सम्बन्ध आर्थिक संम्बन्ध रहता है। आज जो बोर्ड बन रहा है और उसके अन्तर्गत जो प्रावधान बन रहे हैं उसके लिए मैं कहूँगा कि आर्थिक सम्बन्ध ऐसा सम्बन्ध होता है जिसके द्वारा कोई भी संस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अगर इस प्रकार का सम्बन्ध संस्थायें आपस में नहीं रखती हैं तो इन संस्थाओं का सरकार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। लेकिन जब शिक्षा का सारा भार हमारी सरकार उटा रही है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम इस बोर्ड को सरकार से दूर ले जाना चाहते हैं। हमारा विरोध करने का मतलब यही है कि हमारी शिक्षण संस्थायें सरकार के दबावों से मुक्त होनी चाहिए। केवल हम यहां पर शिक्षा-शास्त्री को ही रखें। यह जो बोर्ड बनायें वह ऐसा हो जिसमें विश्वासी व्यक्ति हों और सरकार के नियंत्रण में कम से कम हों। इसका आधार यही रहता है कि यहां का सेक्रेटरी मेम्बरों के द्वारा ही चुना हुआ रखें। इसी कारण मैं इस संशोधन का समर्थन करना चाहता हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा बोर्ड अच्छी तरह वर्क करे, उसका अच्छा प्रशासन रहे, तो यह आवश्यक है कि सेक्रेटरी सरकारी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है और जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि प्रशासनिक ढांचा बिगड़ जायेगा। मगर मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि मैं एक नगरपालिका का सदस्य हूं। मेरे वहां सेक्रेटरी के साथ हमेशा इस बात का झगड़ा चलता रहता है कि चेयरमेन तो क्या करना चाहता है और सेक्रेटरी क्या करता है। दिन-रात शिकायतें होती हैं, लेकिन चूंकि वहां सरकार की मर्जी का आदमी थोपा गया है इसलिए उसको हटाने का म्युनिसिपेलिटी बोर्ड के हाथ में अधिकार नहीं है और इसी कारण वह मनमानी करता है। इसलिए कि केवल सेक्रेटरी मनमानी न करे और वहां का मंत्री मनमानी न करे उसके लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि सेक्रेटरी उन मेम्बरों के द्वारा ही चुना हुआ होना चाहिए और मंत्री भी वहां का ही चुना होना चाहिए। यदि इस सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड में सेक्रेटरी सरकार के द्वारा चुना हुआ रखा जायेगा और अध्यक्ष जो कि स्वतंत्र व्यक्ति होगा जिसके लिए यहां बहुत बड़ी चर्चा हुई और जिसके पक्ष में बड़ा प्रबल वातावरण निर्माण किया जा रहा है तो संभव है कि सेक्रेटरी और अध्यक्ष में आपस में न बने, क्योंकि एक तो सरकार द्वारा नियुक्त होगा और दूसरा स्वतन्त्र व्यक्ति होगा। मैं समझता हूँ कि शायद इस वातावरण का प्रभाव हो जाय और एक स्वतन्त्र व्यक्ति यहां पर आ जाय तो उसका सेक्रेटरी के साथ संघर्ष चलता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि उस वातावरण का थोड़ा बहुत प्रभाव है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का वातावरण पैदा करने में योग देते हैं तो मैं कहता हूँ कि प्रशासनिक ढांचा ठीक चलाने के लिए एक स्वतन्त्र आदमी इसमें रखें। दो तरह की बात यहां पर करना ठीक नहीं है। दोनों ही जगह अगर हम स्वतन्त्र आदमी को रखें तो मैं समझता हूँ कि इससे प्रशासन ठीक चलेगा। एक ओर सरकारी अधिकारी और दूसरी ओर स्वतंत्र व्यक्ति रखा जाय तो ढांचा बिगड़ जायगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि स्वतंत्र सेकेट्री को ही रखा जाय और मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूँ।

श्री तनसिंह : अब तो खत्म कर दिया जाय क्योंकि बहुत समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member-in charge of the Bill will please reply but he must be brief

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपशिक्षा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में तीन संशोधन आये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका जवाब कल ही देते तो अच्छा रहता, क्योंकि मैं भी तो बोलना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : I hope let us retain that patience which we had in the beginning.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आधा रह जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आधा क्यों थोड़ा सा अंश रख दें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में तीन संशोधन पेश हुए हैं। पहला तो यह है कि सब क्लॉज़ (६) को जो सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले था उसको उसी तरह रखा जाये। दूसरा यह है उसमें Substitute the words "explain certain matters under discussion" for the words "with the permission of the Chairman speak"

और तीसरा यह है कि बोर्ड का जो सेकेट्री होगा उसकी नियुक्ति एक कमेटी करे और राज्य सरकार न करे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जहां तक पहले अमेंडमेंट का सवाल है मैं उसको स्वीकार करता हूँ जहां तक दूसरे अमेन्डमेन्ट का सवाल है मेरा निवेदन यह है कि बोर्ड में जितनी कार्यवाही होगी, बोर्ड में जितने मामले विचाराधीन होंगे उनकी पूरी जानकारी बोर्ड के सेकेट्री को होगी। बोर्ड की बैठक साल में एक या दो बार से ज्यादा नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड के सेकेट्री के बोलने पर कोई पाबन्दी लगाना या कोई मामला चल रहा है उसके विषय में कहने का ही अधिकार देना यह कुछ ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमने जब यह रख दिया है कि इस बोर्ड में वह बैठ सकेगा जो विषय चल रहे हैं उन पर या उनके अलावा कुछ कहना चाहेगा, कहेगा लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं बैठता अगर यह क्लॉज़ इस तरह से रखा जाता है तो इसमें क्या हर्ज है? और इसमें यह जोड़ देना Explain certain matters imder discussion" इसमें यह मतलब होगा कि बोर्ड के विचाराधीन जो भी मामले होंगे अन्य सदस्य जहां कुछ भी कह सकते हैं उस पर चर्चा चालू कर देते हैं तो सेक्रेटरी को भी कुछ कहने का अधिकार होगा, अगर उसको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं देते हैं तो उस संबंध में जो कुछ जानकारी उसके पास होगी वह नहीं दे सकेगा। मेरे ख्याल से जो ओरीजनल क्लॉज़ है वह ज्यादा अच्छा रहेगा इससे बोर्ड का काम ज्यादा सुचारू रूप से चल सकेगा।

तीसरा अमेन्डमेन्ट है वह यह है कि राजस्थान सरकार, सेक्रेटरी की नियुक्ति न करे। इस दौरान में जो बहस चली उसे सुनकर मुझे दुख भी हुआ। ऐसा लगता था कि राजस्थान सरकार सेकन्डरी एज्युकेशन बोर्ड को कुचलना चाहती है, बोर्ड को बनाना नहीं चाहती सेकेन्डरी एज्युकेशन के राजस्थान सरकार खिलाफ है और जिन्होंने अमेन्डमेन्ट पेश किया है वे सेकन्डरी एज्युकेशन बोर्ड को

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

बढ़िया से बढ़िया ढंग पर चलाना चाहते हैं, सरकार का बोर्ड पर आक्रमण हो रहा है उसको सुरक्षित रखना चाहिये, इस तरह की बातें कही गईं। मैं उन माननीय सदस्य से नम्र निवेदन कर दूं यह सेकन्डरी एजुकेशन की जो निश्चित नीति है उसकी कर्णधार सरकार है। राजस्थान सरकार का प्रस्ताव है कि हमारे यहां सेकेन्डरी एजुकेशन आगे बढ़नी चाहिये, नये सांचे में ढलनी चाहिये। मेरी समझ में नहीं बैठता कि राजस्थान सरकार की जो रीति-नीति है इस बोर्ड के प्रतिकूल कैसे रहेगी ? क्या राजस्थान सरकार के पास दूसरा काम नहीं रहेगा ? क्या इस बोर्ड के काम में ही रात-दिन अड़चने डालने की कोशिश करेगी ? क्या उसके पास इस बोर्ड के अख्तियारात को वीटो करने के सिवाय और कोई काम नहीं होगा ? यह जो बातें करते हैं वे भ्रम में हैं। इस बोर्ड के बनाने की मन्शा और इसे कायम करने का सरकार का उद्देश्य यह है कि हमारे यहां माध्यमिक शिक्षा का स्तर अच्छा रहे और सुचारू रूप से यह शिक्षण चल सके। अब हमारे सामने मामला यह है कि जो इस बोर्ड का सचिव होगा वह राजस्थान सरकार नियुक्त करे या बोर्ड द्वारा नियुक्त हो ? इस विषय में मैं निवेदन कर दूं लेटेस्ट जो ट्रेन्ड्स हैं उनमें यह रखा गया है कि कोई भी संस्था चाहे वह स्वायत्त शासन की संस्था हो, म्युनिसिपेलिटी हो, चाहे राज्य सरकार की लोकल बोडीज़ हों या पंचायतें हों, उनमें एक व्यक्ति सर्विस क्लास का स्टेट लेवल पर प्रोवीन्सियेलाइज्ड होना चाहिये। जहां तक हमारी मान्यता है कि अगर किसी को नियुक्ति करने का अधिकार होता है तो उसके खिलाफ अगर किसी प्रकार कोई एक्शन लेना चाहे जो जिनके नीचे काम करता है उनके हाथ में यह अधिकार नहीं होना चाहिये। ऐसे व्यक्ति के रखने से सर्विस क्लास के व्यक्ति को रखने से यह होता है कि चाहे जितने भी मोड़ उसमें आजाय वह व्यक्ति बिजली की तरह काम करेगा किसी भी सिच्युएशन में वह मुड़ेगा नहीं, वह किसी भी प्रकार की राजनीति से प्रभावित नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों से बचने के लिये तो आई० ए० एस० और आई० पी० एस व्यक्तियों को रखा जाता है। म्युनिसिपल सर्विसेज़ को प्रोवीन्सीएलाइज्ड करते हैं उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन अपोइन्ट करता है और वही एक्शन लेता है....

श्री श्रीभानसिंह : आप बोर्ड में मंत्री मत रखिये, नहीं तो आपके राइवल बढ़ जायेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मंत्री कहने का मेरा मतलब सचिव से है।

श्री उपाध्यक्ष : मि. नागर ने भी सचिव को मंत्री कहा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बहां हमने इसको स्वतंत्र रूप देने की कोशिश की है तो इनका ओहदा मंत्री से कम नहीं होता है।

श्री श्रीभानसिंह : आप अपने राइवल्स मत बढ़ाइये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (जारी) रायवाइल्स न बढ़ाये जाय यह ठीक है, किन्तु राज्य सरकार भी तो आप ही की देन है, आपके जोर से ही चलती है। हम इस बोर्ड को ऐसी बोडी बनाना चाहते हैं जो स्वतंत्र रूप से चल सके। मेरा नम्र निवेदन यह था कि जहां कहीं भी इस प्रकार की संस्थायें चलती हैं या कायम होती हैं उसकी पक्की जिम्मे-

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वारी होनी चाहिये, जो भावना के साथ न बह जाय, इसीलिये मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां आई० ए० एस और आई० पी० एस. सर्विसेज़ हैं। बोर्ड के सचिव को बोर्ड नियुक्त करेगा या उसके द्वारा बनायी हुई कमेटी नियुक्त करेगी, उसका मतलब यह हुआ डिसीप्लीनरी एक्शन भी वही बोर्ड लेगा या कमेटी लेगी, सर्विसेज़ की कन्डीशन भी वही प्रेसकाइब करेगी, टर्मिनेशन भी वही कर सकेगी, ये सब अधिकार उसको देने होंगे, उसका नतीजा यह होगा कि बोर्ड की मन्शा से बाहर जाने का उसको अधिकार नहीं होगा। हम यह चाहते हैं कि वाकई बोर्ड में जो गड़-बड़ हो, अगर उसका काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा हो, तो सचिव यदि कोई सर्विस क्लास का होगा तो उसकी एक प्रकार से जिम्मेवारी होगी। वह बोर्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी उसकी राज्य सरकार को सूचना दे सकता है और राज्य सरकार एक्शन भी ले सकती है, उसके सदस्यों से पूछताछ कर सकती है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था अगर सरकार नियुक्त कर देती है उसको कुछ हैसियत भी मिल सकती है। बोर्ड द्वारा अपोइन्टेड होता है तो उसको कहने की पोज़ीशन होती है, बोर्ड यदि किसी चीज में वीटो कर देता है तो उसके अधिकार में यह नहीं होगा। बोर्ड में गड़बड़ी को बचाने के लिये एक ऐसे रेस्पोन्सिबल व्यक्ति को, राज्य सरकार की तरफ से सचिव का नियुक्त होना जरूरी है और इन्हीं लिमिटेशन्स के अन्दर आप और हम सब वर्क कर रहे हैं। आज हम मंत्री लोगों को भी यह अधिकार नहीं कि हमारे सचिव की नियुक्ति हम कर दें, इसलिये मेरा निवेदन यह था कि यह जो संशोधन है मैं मन्जूर नहीं करता। माननीय सदस्य इसको विदड्रॉ करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn till tomorrow to meet at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४ बज कर ५७ मिनट पर, बुधवार दिनांक १३ नवम्बर, १९५७ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, १२ नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

इस वर्ष प्राइमरी व मिडिल स्कूलें खुलने की तारीख तथा पांचवीं कक्षा तक पुस्तकें।

सिरोही जिले में डिप्टी इन्स-पेक्टरेट ऑफ स्कूल्स की संख्या में वृद्धि।

राजस्थान में महिला कल्याण केन्द्र एवं उन्हें शासकीय अर्थ सहायता।

जुलाई १९५७ तक नायब-तहसीलदार पदमपुर के पास विचा-राधीन दरख्वास्तों व मिसलों विषयक कार्यवाही में विलम्ब।

सरकार द्वारा जिला विकास समितियों को सन् १९५२ से ५७ तक स्थानीय विकास कार्यों के निमित्त प्रदत्त धन-राशि।

बाड़मेर नगर के संस्कार केन्द्र पर व्यय तथा उससे लाभ उठाने वाले व्यक्ति।

राजस्थान लैंड रेवन्यु एक्ट के अन्तर्गत नियम।

सरकार द्वारा हरिजनों को मकान बनाने हेतु धन-राशि तथा निःशुल्क कानूनी सलाह।

सन् १९५१ में राजस्थान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से घास की खरीद में घाटा।

स्कम्भ

कस्बा हनुमानगढ़ में मंडी के अथवा रिहायसी प्लॉट अलॉट करने की योजना।

बाड़मेर में गत पांच वर्षों से चूना जलाने का ठेका व उसकी शर्तें।

राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर विदेशियों की मूर्तियें।

सैटलमेंट महकमें में नियु-क्तियों में पक्ष-पात।

वर्तमान सत्र में जयपुर जिले में अध्यापकों की नियुक्ति।

तहसील रूपवास व बसेड़ी में बांध टूटने से फसल को हानि।

मंत्रियों व सरकारी अफसरों द्वारा ऑफिस के चपरासियों से अपने घर पर काम लेना।

राजस्थान के अकाल ग्रस्त घोषित जिले।

गत आम चुनावों में शिक्षा विभाग की सिनेमा दिखाने वाली मोटर द्वारा उम्मीदवारों की सभाओं में बाधा।

ग्राम- खूंटखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर की प्राइ-मरी स्कूल बन्द।

तहसील कोलायत, जिला बीकानेर के अकालग्रस्त ग्रामों को सरकार द्वारा सहायता।

ग्राम गढ़ी जालिमसिंह, तहसील भरतपुर में बेसिक स्कूल के लिए वहां के निवासियों का सरकार के समक्ष ज्ञापन।

तहसील सांचोर, जिला जालौर में गर्ल्स स्कूल के मकान का किराया।

माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर, तहसील दीगोद में स्थानाभाव।

सरकारी कर्मचारियों को बैड क्लाइमेट अलाउन्स।

धौलपुर उपजिले में उपसहायक, शिक्षा निरीक्षक आदि के कार्यालय।

शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये व्यावहारिक उपाय।

ब्यावर तहसील में फसल बिना ही तकावी वसूल।

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७ पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड ९:—उप शिक्षा मन्त्री द्वारा इस खण्ड पर हुई बहस का उत्तर दिये जाने पर श्री पी. के. चौधरी का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा श्री श्रीमानसिंह ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया। तदुपरान्त खण्ड स्वीकृत किया गया।

खण्ड १० व ११:—इन्हें स्वीकृत किया गया।

खण्ड १२:—इस खण्ड पर श्री सतीशचन्द्र तथा श्री श्रीमानसिंह द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। उप शिक्षा मन्त्री द्वारा इनका उत्तर दिये जाने पर श्री सतीशचन्द्र का प्रस्ताव गिर गया तथा श्री श्रीमानसिंह ने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया। तदुपरान्त खण्ड स्वीकृत किया गया।

खण्ड १३:—इस खण्ड पर श्री सतीशचन्द्र ने संशोधन प्रस्तुत किया जो उप शिक्षा मन्त्री द्वारा उत्तर दिये जाने पर अस्वीकृत किया गया। तदुपरान्त खण्ड स्वीकृत किया गया।

खण्ड १४ व १५:—इन्हें स्वीकृत किया गया।

खण्ड १५ ए:—इस खण्ड पर श्री पी. के. चौधरी तथा श्री नारायणसिंह (मसूदा) द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। इनके अतिरिक्त ९ अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये। तदुपरान्त खण्ड पर निर्णय स्थगित रखा गया।

खण्ड १६:—इस खण्ड पर श्री श्रीमानसिंह ने संशोधन प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।

खण्ड १६ ए:—इस खण्ड पर श्री पी. के. चौधरी तथा श्री सतीशचन्द्र द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। खण्ड पर निर्णय स्थगित रहा।

खण्ड १७:—इसे स्वीकृत किया गया।

खण्ड १८:—इस खण्ड पर श्री पी. के. चौधरी, श्री श्रीभान-सिंह तथा श्री सतीशचन्द्र द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। इनके अतिरिक्त अन्य ६ सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये। उप शिक्षा मन्त्री के उत्तर के पश्चात् खण्ड पर निर्णय कल के लिये स्थगित रहा।

बुधवार, दिनांक १३ नवम्बर, १६५७ की कार्य-सूची

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७

(क्रमशः अग्रेतर वाद-विवाद)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५४ का उत्तर देखिए)

STATEMENT OF FUNDS ALLOTTED TO DISTRICT DEVELOPMENT COMMITTEES OF RAJASTHAN FOR LOCAL DEVELOPMENT WORKS FROM 1952 TO 1957.

No. 1	Name of District. 2	1953-54. 3.	1954-55. 4	1955-56. 5.	1956-57. 6	1957-58. 7.
1.	Bikaner.	23,100	75,000	49,300	37,000	27,500
2.	Ganganagar.	44,100	75,154	1,18,950	40,227	66,600
3.	Churu.	26,600	1,77,500	82,200	50,000	38,500
4.	Jodhpur.	55,600	1,09,750	1,08,600	86,411	51,500
5.	Nagour.	53,500	2,47,300	1,28,050	93,113	68,600
6.	Pali.	46,200	25,000	1,21,650	79,754	74,600
7.	Bermer.	30,900	75,575	65,700	45,547	31,500
8.	Jalore.	32,200	1,23,950	78,300	46,367	27,000
9.	Sirohi.	16,600	25,000	39,400	22,622	22,000
10.	Jaisalmer.	–	40,000	29,700	9,205	23,000
11.	Udaipur.	83,400	1,07,196/5/-	2,02,100	1,73,671	1,42,600
12.	Chittor.	41,100	36,450	82,200	60,000	42,600
13.	Dungarpur.	31,600	45,200	57,600	1,24,614	85,500
14.	Banswara.	24,900	75,500	68,600	58,995	42,000
15.	Bhilwara.	50,900	36,241/10/-	87,700	75,000	46,600
16.	Kota.	53,600	24,050	1,22,050	1,66,948	1,10,000
17.	Bundi.	19,600	22,390	43,800	24,000	22,000
18.	Jhalawar.	26,100	27,500	54,800	32,000	55,000
19.	Jaipur.	1,15,900	4,04,120	2,85,700	2,00,712	1,13,100

1	2	3	4	5	6	7
20.	Sikar.	47,400	1,88,300	1,04,100	35,000	37,000
21.	Jhunjhunu.	41,200	1,62,750	87,700	53,500	39,100
22.	Sawai-Madhopur.	53,500	42,700	1,22,700	2,23,762	28,500
23.	Alwar.	60,300	76,100	1,29,500	94,020	72,100
24.	Bharatpur.	63,600	37,369/8/-	1,60,300	1,01,937	76,600
25.	Tonk.	28,000	48,900	60,300	40,963	29,500
26.	Ajmer.	-	-	-	1,59,000	1,07,000
	Total:-	10,79,900	23,08,296/7/-	24,89,000	21,34 368	15,40,000

परिशिष्ट २

(क)

(कृपया प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिये)

संस्कार केन्द्र बाड़मेर के सदस्यों की सूची

क्रम सं०	नाम सदस्य	जाति	उम्र
१.	श्री नारायण दास	जटिया	२६
२.	श्री दामरदास	,,	२३
३.	श्री डूंगरदास	,,	२३
४.	श्री सूरजकरण	,,	२२
५.	श्री दयालचन्द्र	,,	१८
६.	श्री पन्नाराम	,,	२१
७.	श्री पोकरदास	,,	२१
८.	श्री छीगालाल	,,	१६
९.	श्री चन्दूलाल	,,	१६
१०.	श्री सोनाराम	,,	१९
११.	श्री नारायणदास	,,	२२
१२.	श्री तेजाराम	,,	१८
१३.	श्री केशवराम	,,	१८
१४.	श्री भोलाराम	,,	१७
१५.	श्री बिरमचन्द	,,	१५
१६.	श्री मथूलाल	,,	१४
१७.	श्री किशनलाल	,,	१५
१८.	श्री पूनमचन्द	,,	१७
१९.	श्री भीखाराम	,,	२५
२०.	श्री हेमाराम	,,	२६
२१.	श्री दल्लाराम	,,	१६
२२.	श्री मांगीलाल	,,	१९
२३.	श्री दयाराम	,,	१४
२४.	श्री मेलसाराम	,,	२५
२५.	श्री नेनाराम	,,	
२६.	श्री कल्याणसहाय	,,	२१
२७.	श्री घीसाराम	,,	
२८.	श्री दुरसाराम	,,	
२९.	श्री जीयाराम	,,	१५

(ख)

संस्कार केन्द्र बाड़मेर की सदस्याओं की सूची

क्रम सं०	नाम सदस्या	जाति	उम्र
१.	श्रीमती रूपाबाई	जटिया	२६
२.	श्रीमती मगली बाई	,,	१६
३.	श्रीमती हावी बाई	बनिया	२५
४.	श्रीमती गोधीबाई	,,	१४
५.	श्रीमती मानीबाई	जटिया	२८
६.	श्रीमती झमकूबाई	,,	१३
७.	श्रीमती मिरयाबाई	,,	२६
८.	श्रीमती जमुनाबाई	,,	३०
९.	श्रीमती पेमीबाई	,,	२२
१०.	श्रीमती राजाबाई	,,	२४
११.	श्रीमती धापूबाई	,,	२३
१२.	श्रीमती राधाबाई	,,	२५
१३.	श्रीमती तुलसीबाई	,,	२२
१४.	श्रीमती गिल्लीबाई	,,	२५
१५.	श्रीमती भीमाबाई	,,	२८
१६.	श्रीमती पेमीबाई	,,	२८
१७.	श्रीमती गंगाबाई	जटिया ब्रा०	२३
१८.	श्रीमती विद्याबाई	ब्राह्मण	१५
१९.	श्रीमती केसीबाई	जटिया	२३
२०.	श्रीमती रामीबाई	,,	
२१.	श्रीमती रामीबाई	,,	
२२.	श्रीमती रुकमाबाई	,,	
२३.	श्रीमती जोशीबाई	बनिया	

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १६१ का उत्तर देखिये)

List of Statues of foreigners already removed and those proposed to be removed, in the near future in the State of Rajasthan.

S. No.	Description of the Statues.	Location.	Arrangements for maintenance.	Remarks.
	(a) Statues already removed.			
1.	Statue of Queen Victoria.	Udaipur.	Museum.	Removed on 15-8-56.
2.	Chhatri of Col. Wylie.	Udaipur.	Museum.	
	(b) Statues proposed to be removed in the near future.			
1.	Statue of Lord Mayo.	Ramniwas Gardens, Jaipur City.		
2.	" of Lord Luke.	Kutputli.		
3.	" of Lord Mayo.	Near entrance of Mayo College, Ajmer.		
4.	Bust of Queen Victoria.	Victoria Hospital Compound, Ajmer.		
5.	" of Col. John Sutherland.	-do-		
6.	" of Queen Victoria (Bronze)	Ajit Sagar, Tehsil Khetri.		
7.	" of Edward VII.	Museum, Jodhpur.		It is already in the Museum.

(कृपया प्रश्न संख्या १६५ का उत्तर देखिये)

(General Administration Department 'A')

No. F. 4 (26) GA/A/57 Dated the 21st September, 1957.

CIRCULAR

Complaints have been received that some officers of Government are utilising Class IV Servants for domestic duties such as cleaning utensils, washing clothes etc. against their wish. It should be clearly understood that Class IV Servants are not meant for domestic work and that any complaints that particular persons are being compelled to do domestic duties will hereafter have to be enquired into.

All Secretaries to Government and Heads of Departments are requested to issue necessary instructions in the matter to their subordinate officers in this respect.

K. N. Subramanian
Chief Secretary to the
Government of Rajasthan

No. F. 2 (26) GA/A/57 P Dated the 28th September, 1957.

Copy forwarded to:-

1. All Secretaries to Government.
2. All Deputy Secretaries to Government.
3. Secretary to Governor.
4. Secretary to Chief Minister.
5. Private Secretaries to Ministers and Deputy Ministers
6. Registrar. Government Secretariat, Jaipur.
7. All Sections of the Secretariat.
8. All Heads of Departments.

Copy also forwarded to:-

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Jaipur.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.
4. Deputy:Registrar, Rajasthan High court Bench, Jaipur.

Sd.--(Sukhdeo Prasad)
Assistant Secretary to Govt.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, मंगलवार, दिनांक १२ नवम्बर, १६५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१०६३	अंतिम से ४	श्रीमती सतवन्तकौर	१५३. श्रीमती सतवन्तकौर
१०६५	१०	१३.७.५७.	३१-७-५७
,,	२३	श्री भीमसेन	१५४. श्री भीनसेन
११०३	१७	not permissrible	not permissible
११२१	अंतिम से २	घोसित कर दिये जावेंगे	घोषित कर दिये जावेंगे
११४०	अंतिम से ४	Secondary Edncation	Secondary Education
११५२	१६	this act	this Act
११८३	१०	"Application of Borad.	"Application of Board
११८५	१६	श्री पूनमचन्द विश्नाई	श्री पूनमचन्द विश्नोई
१२२१	१७	दा एक वर्षों में	दो एक वर्षों में
१२३३	६	अपनी इन्स्ट्रीट्यूशन	अपनी इन्स्टीट्यूशन
१२४१	१४	सदन में अनिधिकृत	सदन में अनधिकृत
,,	अन्तिम से ८	I repest you	I request you
१२४८	शीर्ष पंक्ति	अनधिकृत प्रवेश पर वा-विवाद	अनधिकृत प्रवेश पर वाद-विवाद
१२६६	,,	राजस्यान माध्यमिक	राजस्थान माध्यमिक
१२७६-१२७७	,,	१२ वम्वर ५७	१२ नवम्बर, ५७
१२७७	अंतिम से ६	वक्ता ने यह फार्मया	वक्ता ने यह फरमाया
१२८१	१५	of the bureacracy	of the bureaucracy
१२८२	१३	बिल में क्लॉज़ हैं।	बिल में क्लॉज है
१२६५	१७-१८	Explain Certain matters imder	"Explain certain matters under
१२६७	अन्तिम से ७	रायवाइल्स न वढ़ाये	राइवल्स न बढ़ायें